सत्यमेव जयते

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2017-18

वन विभाग, राजस्थान

दिनांक 10 जुलाई, 2017 को
बीड़ गोविन्दपुरा में आयोजित
68वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में
माननीया मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुन्धरा राजे
मौलश्री का पौधारोपण करते हुए।

छाया सौजन्य : सोनल जोरिहार

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रशासनिक प्रतिवेदन
2017-18

वन विभाग, राजस्थान

forest.rajasthan.gov.in

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
●	प्राक्कथन	III
●	कार्यकारी सारांश	IV
	✻ वन विभाग : एक नजर में	VI
	✻ विभाग के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रबन्ध सिद्धान्त	VII
	✻ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की क्रियान्विति	IX
	✻ वर्ष 2014-15 से 2017-18 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट	X
	✻ नीतिगत दस्तावेज के संकल्पों (सुराज संकल्प-2014) की क्रियान्विति के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति	XXXIII
अध्याय		
1.	राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय	1-4
2.	प्रशासनिक तंत्र एवं कार्य प्रणाली	5-17
3.	वन सुरक्षा	18-21
4.	वानिकी विकास	22-47
5.	मृदा एवं जल संरक्षण	48-54
6.	मूल्यांकन एवं प्रबोधन	55-58
7.	वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबन्धन	59-64
8.	कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त	65-67
9.	वन अनुसंधान	68-72
10.	विभागीय कार्य योजना	73-75
11.	तेन्दू पत्ता योजना	76-77
12.	सूचना प्रौद्योगिकी	78-84
13.	मानव संसाधन विकास	85-89
14.	संचार एवं प्रसार	90-92
15.	सामाजिक, आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान एवं साझा वन प्रबन्ध	93-98
16.	परिशिष्ट	99-114

सत्यमेव जयते

ए. के. गोयल
IFS
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,
जयपुर
फोन : 0141-2700016

प्राक्कथन

''हमारी संस्कृति में प्राचीनकाल से ही वनों को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। सरोवर, पर्वत, वन एवम् वृक्षों, वन्यजीवों आदि को देवताओं से जोड़ा जाकर पूजनीय स्थान दिया गया है। गत कुछ सदियों में आधुनिक युग ने प्रवेश के साथ औद्योगिक विकास के कारण वनों का ह्रास हुआ है तथा पर्यावरण संतुलन पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। जैसे सूखे व अकाल की समस्या, असामयिक वर्षा, अतिवृष्टि, निरन्तर घटता भू-जल आदि। यद्यपि पृथ्वी का लगभग तीन चौथाई क्षेत्र जलमग्न है, परन्तु उपयोग करने योग्य जल की निरन्तर कमी आ रही है।

इसी को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के दूसरे फेज के अन्तर्गत राज्य के 33 जिलों के 4200 गांवों में 16485 कार्य करवाए गए हैं। इन कार्यों में विभाग की विभिन्न योजनाओं से 19000 क्षेत्र में वृक्षारोपण करवा कर द्वितीय फेज में 62 लाख पौधों का रोपण कार्य किया गया है। इसी प्रकार द्वितीय फेज में शहरी क्षेत्रों में राज्य के 25 जिलों के 64 शहरों में 69 शहरी वनीकरण के कार्यों के अन्तर्गत 505 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 1.26 लाख पौधों का पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है। राज्य की इस योजना के अन्तर्गत किये गये कार्यों व वृक्षारोपण कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी सराहना की गई है। उल्लेखनीय है कि यह देश का सबसे बड़ा 'क्लाईमेट चेंज एडाप्टेशन' अभियान भी है।

राज्य की संरक्षित क्षेत्र में बाघ परियोजनाओं में स्थित ग्रामों को 'लकड़ी मुक्त ईंधन ग्राम योजना' के अन्तर्गत राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप रणथम्भौर, सरिस्का व मुकुन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के ग्रामों के निवासियों को अनुदानित दर पर 65 हजार से अधिक गैस कनेक्शन वितरित किए गए हैं।

इस वर्ष ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामानों की बिक्री ऑनलाइन भी आरम्भ की गई है।

विभाग अपने प्रशासनिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभाग की गतिविधियों का पूर्ण विवरण प्रतिवर्ष सभी की जानकारी के लिये प्रस्तुत करता है। इसी क्रम में विभाग का वर्ष 2017-18 का प्रशासनिक प्रतिवेदन आपके हाथ में है, इस प्रतिवेदन को बनाने, सामग्री एवम् छायाचित्र उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा योगदान दिया गया है। एतदर्थ वह सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

मुझे विश्वास है कि यह प्रतिवेदन सभी के लिए लाभकारी होगा।

(ए. के. गोयल)

कार्यकारी सारांश

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32828.37 वर्ग किमी. है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.59 प्रतिशत है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो कुल वन क्षेत्र के क्रमशः 37.63, 56.08 और 6.29 प्रतिशत है। राज्य में कुल वनावरण (Forest Cover) 16,171 वर्ग किमी. तथा वृक्षावरण (Tree Cover) 8269 वर्ग किमी. है।

वन विभाग के विभागाध्यक्ष प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान जयपुर है जिनके द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण संबंधी दायित्व का निर्वहन किया जाता है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं वन बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों, आदि का स्वतंत्र रूप से देखरेख एवं प्रबंध के उत्तर दायित्व का निर्वहन किया जाता है, प्रशिक्षण संबंधी कार्यों की देख-रेख हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर है। प्रधान मुख्य वन संरक्षकगणों के दायित्व निर्वहन में सहयोग हेतु राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित है। अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक राजस्थान वन्य जीव प्रबंधन संबंधी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं। संभागीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षकगणों के पद सृजित किये गये हैं। जिनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक-एक वन संरक्षक पदस्थापित है। प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं तथा प्रत्येक वन मंडल में सामान्यतः दो उप खंड हैं जिसमें सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। वन मंडल के अधीन सामान्यतः 5 से 7 वन रेंज होती है, जिसके प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है जिसके प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते हैं। नाके के अन्तर्गत बीट का क्षेत्र होता है जिसका प्रभारी वनरक्षक अथवा गेमवाचर होता है एवं यह वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है।

संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीव संपदा की सुरक्षार्थ गश्ती दलों का गठन किया गया है। वन अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये आवश्यक वायरलेस प्रणाली स्थापित की गई है एवं कतिपय क्षेत्रों में वन कर्मियों को हथियार भी उपलब्ध करवाये गये हैं। वन भूमि में अतिक्रमण हटाने के लिये राज्य सरकार द्वारा संबंधी सहायक वन संरक्षकों भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के अंतर्गत तहसीलदार की समस्त शक्तियों एवं कर्तव्यों के प्रयोग हेतु अधिकृत किया गया है। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जों का अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है, इस हेतु राज्य में T.A.D. विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्यरत है। राजस्थान वन (उपज परिवहन) नियम 1957 के नियम 2 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में अधिसूचना संख्या एफ 15 (33) वन/98 दिनांक 28.04.2017 से 29 वृक्ष प्रजातियों की टिम्बर को परिवहन पार पत्र से मुक्त कर राज्य के कृषकों को राहत प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा जरिये नोटिफिकेशन दिनांक 25.10.2017 से पूरे राज्य में बांस के परिवहन हेतु पारपत्र की आवश्यकता को खत्म कर किसानों को राहत प्रदान की गई है।

वन विकास के लिये राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त नाबार्ड एवं जापान इंटर नेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी (जे.आई.सी.ए) जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है। 8 वर्षीय राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-II 2011-12 में प्रारंभ की गई थी। जिसकी कुल लागत 1152.53 करोड़ रुपये है। प्रदेश में जल ग्रहण क्षेत्र के विकास द्वारा राजस्थान को हराभरा बनाये जाने हेतु नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. अंतर्गत वित्त पोषण से राज्य के

17 जिलों में पंचवर्षीय परियोजना अंतर्गत 52,750 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण, भू एवं जल संरक्षण तथा कृषि वानिकी कार्यों हेतु राशि रुपये 336.65 करोड़ की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त कर वर्ष 2012-13 से कार्यों का संपादन किया जा रहा है। इसी प्रकार नाबार्ड के फेज-III के अंतर्गत राशि रुपये 15761.24 लाख रुपये की परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इसमें 27400 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करवाये जाने के लक्ष्य हैं। राज्य में स्टेट कैम्पा का गठन वर्ष 2009-10 में किया गया था। स्टेट कैम्पा में प्राप्त राशि से क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, पक्की दीवार का निर्माण, जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण आदि कार्य कराये जा रहे हैं।

प्रदेश में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान का क्रियान्वयन गत दो वर्षों से किया जा रहा है। इसके द्वितीय फेज में वर्ष 2017-18 में कुल 62.00 लाख पौधों का रोपण किया गया है तथा 16485 जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। अभियान अंतर्गत चयनित गांवों में लगभग 885 वृक्ष कुंज की स्थापना भी की गई है। राज्य की इस महत्त्वाकांक्षी योजना की प्रशंसा विभिन्न स्तर पर की गई है। इसके बारे में यह भी उल्लेखनीय है कि यह देश का सबसे बड़ा क्लाइमेंट चेंज एडाप्टेशन अभियान भी है।

राज्य में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संपादित विकास कार्यों की गुणवत्ता विदित करने एवं सुनिश्चित करने के मद्देनजर मूल्यांकन कार्यो हेतु संभागीय स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाई सृजित है। सभी मूल्यांकन इकाइयों के प्रभारी उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी हैं। राज्य के वन विभाग शोध एवं अनुसंधान कार्यों के लिये वर्ष 1956 में राज्य वनवर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मंडल की स्थापना की गई। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। मुख्य वन संरक्षक विभागीय कार्य जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

विभाग में ई गवर्नेंस गतिविधियों को गति प्रदान करने एवं सफलतापूर्वक इनको संपादित करने के लिये ई गवर्नेंस सैल का गठन किया गया है। भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत नवीन इन्टीग्रेटेड पोर्टल (forest.rajasthan.gov.in) को विकसित कराया गया जिसका लोकार्पण दिनांक 29.4.2016 को माननीय वन मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। राज्य में प्रशिक्षण देने हेतु 3 संस्थाएं यथा वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर तथा मरू वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में स्थित है। यहां पर नवनियुक्त वनरक्षक/वनपालों को आधारभूत प्रशिक्षण विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किये जाने के अतिरिक्त समसामयिक विषयों/विभाग की नवीन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक तकनीकी जानकारी हेतु विभाग के समस्त संवर्गों के अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त संबंधित व्यक्तियों /छात्रों/संस्थाओं को भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

राज्य में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 अभ्यारण्य एवं 11 कन्र्जेवेशन रिजर्व स्थित है। जिनका कुल क्षेत्रफल 11243.02 वर्ग किमी. है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। राज्य में 5 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थित है, जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों हेतु केन्द्र एवं राज्य योजनाओं के अन्तर्गत राशि प्राप्त होती है। राज्य में वन्य जीवों द्वारा मानव/पशुओं को नुकसान पहुंचने पर देय मुआवजा/एक्सग्रेसिया राशि को जरिये आदेश दिनांक 16.11.2017 से दो गुना कर दिया गया है।

संक्षेप में वन विभाग राजस्थान, राज्य में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण, संवर्धन एवं समग्र विकास हेतु सदैव तत्पर एक सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित परिवार है, जिसका प्रत्येक सदस्य विभाग में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु प्रतिबद्ध है।

वन विभाग : एक नजर में

प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	:	3,42,239 वर्ग किमी.
प्रदेश का कुल वन क्षेत्र	:	32,828.37 वर्ग किमी.
आरक्षित वन क्षेत्र	:	12,352.78 वर्ग किमी.
रक्षित वन क्षेत्र	:	18,408.85 वर्ग किमी.
अवर्गीकृत वन क्षेत्र	:	2,066.74 वर्ग किमी.
कुल भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत वन क्षेत्र	:	9.59
प्रदेश का कुल वनावरण (2015)	:	16,171 वर्ग किमी.
वृक्षावरण	:	8,269 वर्ग किमी.
वनावरण एवं वृक्षावरण	:	24,440 वर्ग किमी.
राज्य पशु	:	चिंकारा एवं ऊंट
राज्य पक्षी	:	गोडावण
राज्य वृक्ष	:	खेजड़ी
राज्य पुष्प	:	रोहिड़ा
राष्ट्रीय उद्यान	:	3
वन्य जीव अभयारण्य	:	26
बाघ परियोजनाएं	:	3 (रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स)
महत्त्वपूर्ण पक्षी स्थल	:	24
रामसर स्थल	:	2 (केवलादेव नेशनल पार्क एवं सांभर झील)
संरक्षित क्षेत्र (कंजर्वेशन रिजर्व)	:	11
कुल प्रादेशिक मण्डल	:	38
वन्य जीव मण्डल	:	16
विभागीय कार्य मण्डल	:	5
कार्य आयोजना अधिकारी	:	7
भू-संरक्षण अधिकारी	:	7
भारतीय वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	145
राज्य वन सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	429
अभियांत्रिकी सेवा के अधिकारी (स्वीकृत पद)	:	7
अधीनस्थ सेवा (स्वीकृत पद)	:	7,658
एस. टी. पी. एफ. रणथम्भौर	:	112
लेखा एवं तकनीकी संवर्ग	:	741
मंत्रालयिक संवर्ग/कार्मिक (स्वीकृत पद)	:	991
चतुर्थ श्रेणी संवर्ग	:	413
वर्क चार्ज कार्मिक	:	5,274
ग्राम्य वन सुरक्षा समितियां	:	6,377
स्वयं सहायता समूह	:	4,405

विभाग के प्रमुख उद्देश्य एवं प्रबन्ध सिद्धान्त

वन विभाग के उत्तरदायित्व :

राजस्थान प्रदेश में वन विभाग, राजस्थान को निम्न कार्य आवंटित हैं :

* प्रदेश के उपलब्ध वन क्षेत्रों का संरक्षण एवं विकास।
* प्रदेश के वन्य जीवों का रक्षित क्षेत्र एवं रक्षित क्षेत्र से बाहर संरक्षण एवं विकास।
* प्रदेश के जैव संसाधनों की सुरक्षा एवं विकास।
* मरु प्रसार नियंत्रण
* जलवायु परिवर्तन को वन संसाधनों से नियंत्रित करने का प्रयास करना।
* वन प्रबंध में सभी भागीदारों व स्थानीय समुदायों की सहभागिता प्राप्त करना तथा उन्हें प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ उपलब्ध कराना।
* सतत वन प्रबंधन
* पर्यावरण संतुलन के प्रयास करना।
* मृदा एवं जल संरक्षण
* वनों पर आधारित समुदायों के सामाजिक आर्थिक उन्नयन के लिए क्षमता विकास एवं कौशल संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन।

लक्ष्य (Targets) :

राज्य वन नीति के अनुसार विभाग के आधारभूत लक्ष्य इस प्रकार हैं:–

* मानव समुदाय की पारिस्थितिकीय सुरक्षा के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता से राजस्थान के प्राकृतिक वनों की सुरक्षा, संरक्षण व विकास करना।
* इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी एवं गैर काष्ठीय वन उपज की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में राज्य का हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजकीय एवं सामुदायिक भू–खंडों, निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि तथा गैर कृषि भूमि पर सघन वृक्षारोपण करना।
* वर्तमान व भावी पीढ़ी की मांगों की आपूर्ति के लिए सटीक प्रबन्धकीय उपायों व आधुनिक तकनीक के प्रयोग से वनों की उत्पादकता में वृद्धि करना।
* मरुस्थलीय क्षेत्रों में शेल्टर बेल्ट, ब्लॉक वृक्षारोपण, टीबा स्थिरीकरण तथा कृषि वानिकी के माध्यम से मरुस्थल प्रसार पर नियंत्रण करना तथा सभी प्रकार की भूमि पर अतिक्रमण की रोकथाम करना।
* वन उपज विशेषकर गैर काष्ठीय वन उपज की प्रक्रिया, मूल्य संवर्धन तथा विपणन की उचित सुविधाओं का विकास कर आदिवासियों व अन्य वन आधारित समुदायों की आजीविका सम्बन्धी आवश्यकताओं की आपूर्ति करना एवं इस प्रकार उनकी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम करना।
* राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, 'कन्जर्वेशन रिजर्व' (संरक्षित क्षेत्र) तथा 'सामुदायिक रिजर्व' की संख्या में वृद्धि कर वानस्पतिक एवं वन्य जीवों तथा जीनपूल की विविधता को संरक्षित करना।
* जैव विविधता से समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्रों यथा तृणभूमि, ओरण, नम भूमि आदि में जैव विविधता संरक्षण एवं प्रबन्ध के साथ–साथ राज्य में दुर्लभ व लुप्त प्रायः वनस्पति व वन्य जीव प्रजातियों का स्थानिक व बाह्य–स्थानिक उपायों से संरक्षण करना।
* वानिकी के सतत् प्रबन्धन के लिए साझा वन प्रबन्ध व्यवस्था के माध्यम से ग्राम समुदायों का सशक्तीकरण करना।
* वन उपज के श्रेष्ठतर उपयोग को प्रोत्साहित करने तथा वनों की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए शोध आधारित वानिकी को सशक्त करना।
* उपयोगकर्ताओं द्वारा अपनाए जाने योग्य, शोध के परिणामों तथा प्रमाणिक तकनीकों का प्रसार व प्रसारण तथा कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें अनुषंगी सेवाएं उपलब्ध कराना।
* वानिकी कार्मिकों, ग्रामीणों व अन्य महत्त्वपूर्ण हिस्सेदारों की तकनीकी व व्यावसायिक दक्षता के उन्नयन हेतु जीवनवृत्ती नियोजन व विकास के सुव्यवस्थित तंत्र के माध्यम से मानव संसाधन विकास का संस्थानीकरण करना।
* वन विभाग की कार्यप्रणाली में गहन सहभागी रणनीति का समावेश कर वन प्रबन्ध का उत्तरदायित्व पारम्परिक प्रबन्ध व्यवस्था के स्थान पर जन अनुकूल उपागमों पर हस्तान्तरित करना ताकि इसे महिलाओं की बढ़ती सहभागिता के साथ जन आन्दोलन बनाया जा सके।
* वन नीति का प्रमुख उद्देश्य हरित आवरण में वृद्धि कर पर्यावरणीय स्थिरता व पारिस्थितिक सुरक्षा करना।

वन प्रबन्ध के सिद्धान्त :

इन लक्ष्यों को निम्न व्यापक सिद्धान्तों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा :-

- मौजूदा वन क्षेत्रों में सभी प्रकार के मानवीय हस्तक्षेपों/दावों से पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। इन वनों का सतत् प्रबन्धन कार्य/प्रबन्ध योजना के माध्यम से किया जाएगा।
- स्थानीय समुदायों की भूमिका वन प्रबन्ध के केन्द्र में रहेगी। वन आधारित समुदायों व अन्य भागीदारों की चिन्ताओं, आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को एकीकृत करने के लिए सहभागी उपागम अपनाया जायेगा।
- संरक्षित क्षेत्रों व श्रेष्ठ वन्य जीव अधिवास क्षेत्रों को राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभयारण्यों की अधिसूचना 'लैण्ड स्केप' आधार पर जन केन्द्रित उपागम अपनाकर पुनः जारी की जाएगी। ऐसे लघु क्षेत्र जिनमें अच्छे वन हों अथवा अधिवास हो तथा ऐसी शामलाती भूमि जहां वन्य जीवों की सघन उपलब्धता हो, को 'कम्यूनिटी रिजर्व' अथवा सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। इन क्षेत्रों का प्रबन्धन उस क्षेत्र हेतु अनुमोदित प्रबन्ध योजना के अनुरूप किया जा सकता है।
- वनारोपण व चरागाह विकास के माध्यम से अकाल नियंत्रण कार्य वानिकी के केन्द्र में रहेंगे।
- राज्य वन विभाग, राज्य की जनता के वनों का संरक्षक है किन्तु वन पारिस्थितिकी तंत्र, विलुप्त व विलुप्ति के कगार पर पाई जाने वाली जैव विविधता, जो कि सतत् जीवन व आजीविका अर्जन के लिए महत्त्वपूर्ण है, की रक्षा का दायित्व सभी पर समान रूप से है। किन्तु यदि किसी मामले में लोक अभिरुचि में ऐसा संरक्षण नहीं किया जा सके तो क्षेत्र की जनता जिस उत्पाद व सेवाओं से वंचित हो रही हो उसका मुआवजा ऐसी गतिविधि प्रस्तावित किए जाने वाले से मांगा जाना चाहिए।
- 'सेक्टोरल' नीति व कार्ययोजना में पर्यावरणीय चिन्ताओं का समावेश कर वनों के हित में राज्य के अन्य राजकीय विभागों व लोकतांत्रिक संस्थाओं से समन्वय किया जाएगा।
- एक पारदर्शी, उत्तरदायी व जवाबदेह तथा गम्भीर व समर्पित मानव शक्ति तथा पर्याप्त आधारभूत संरचना वाले वन प्रशासन पर बल दिया जायेगा ।

रणनीति (Strategy):

- राजकीय, सामुदायिक व निजी स्वामित्व वाले भू-खण्डों पर विस्तृत वनीकरण एवं चरागाह विकास कर राज्य का हरित आवरण 20% तक करना।
- वृक्षावली-वृक्षारोपण एवं टिब्बा स्थिरीकरण के माध्यम से मरु प्रसार की रोकथाम।
- जीव-जन्तुओं एवं वनस्पति का यथा-स्थान ***(in-situ)*** एवं बाह्य-स्थान ***(ex-situ)*** संरक्षण।
- कृषि वानिकी के माध्यम से गैर वनभूमि पर अधिकाधिक वृक्षों का रोपण।
- वन क्षेत्र में मृदा एवं जल संरक्षण कार्य।
- उन्नत तकनीक अपनाना तथा कार्यालयों का आधुनिकीकरण।
- वन क्षेत्रों का कार्य योजना के अनुरुप प्रबन्धन व प्रबन्ध योजना तैयार कर परिपक्व वृक्षारोपण क्षेत्रों के विदोहन उपरान्त पुनः वृक्षारोपण।
- प्रकृति-पर्यटन स्थलों के चिह्नीकरण उपरान्त, विकसित कर उन्हें विरासत-पर्यटन के साथ जोड़ना।
- मानव संसाधन विकास एवं क्षमता व दक्षता अभिवृद्धि।
- साझा वन प्रबन्धन का संस्थानीकरण व महिला सशक्तीकरण।
- जन समुदाय को वानिकी विकास के साथ जोड़ना। वन सुरक्षा एवं संवर्धन में बड़े पैमाने पर जनसहभागिता उपागम अपनाना।
- ''प्रदूषण फैलाने वाला ही उसका मूल्य चुकाए'' के सिद्धान्त का अनुपालन।
- बहुउद्देशीय प्रजातियों के रोपण के माध्यम से अधिकाधिक सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करना।
- वन उपज की मांग घटाने तथा स्थानीय समुदायों को आर्थिक लाभ देते हुए उनकी आपूर्ति में वृद्धि करने की द्विमार्गी रणनीति अपनाना।
- नदी घाटी व बाढ़ सम्भाव्य नदियों के आवाह क्षेत्रों का सटीक मृदा व जल संरक्षण तकनीकों से उपचार तथा कन्दरा क्षेत्रों का सुधार।
- औरण व देव वनों को आवश्यक वित्तीय व विधिक सहयोग।

महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण वर्ष 2017 की क्रियान्विति की सूचना

घोषणा क्रमांक	विभाग से सम्बन्धित अभिभाषण के बिन्दु	क्रियान्विति
113.	टाईगर रिजर्व क्षेत्रों के पास रहने वालों को वैकल्पिक ईंधन स्रोत उपलब्ध कराकर महिलाओं को चूल्हे के धुएं से उत्पन्न होने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाने हेतु वर्ष 2016 को ''जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना'' लागू की गई है। इसमें लक्षित गांवों के सभी परिवारों को 100 प्रतिशत अनुदान पर गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं।	टाईगर रिजर्व क्षेत्रों के पास रहने वाले लोगों को ''जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना'' के अन्तर्गत वर्ष 2016-17 में 40,000 गैस कनेक्शन वितरण के लक्ष्य के विरुद्ध 46,312 गैस कनेक्शन 100 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराये गये। वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत 50,000 अतिरिक्त परिवारों को 100 प्रतिशत अनुदान पर नये गैस कनेक्शन दिये जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 20,840 गैस कनेक्शन वितरित किये जा चुके हैं।

बाघ परियोजना सरिस्का के समीपवर्ती ग्रामों को ''जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना'' अन्तर्गत ग्रामवासियों को अनुदानित दरों पर गैस कनेक्शन वितरण।

छाया सौजन्य : गजनफर अली जैदी

वर्ष 2014-15 से 2017-18 की बजट घोषणाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

बजट घोषणा वर्ष 2014-15

(माह दिसम्बर, 2017)

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
1.	115.0.0	चूरू जिले में ₹ 1 करोड़ 73 लाख की लागत से नेचर पार्क की स्थापना की मैं घोषणा करती हूं।	चूरू जिले में नेचर पार्क की स्थापना की जा चुकी है।	क्रियान्वित	
2.	120.11.0	धौलपुर में वन विहार को विकसित किया जायेगा। इसके विकास कार्य के लिए 1 करोड रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।	वन विहार कोठी को विकसित करने हेतु राज्य सरकार ने इसे पी.पी.पी. मोड पर कराने का निर्णय लिया गया। उक्त कार्य करवाने हेतु कन्सलटेंसी सर्विसेज प्रदान करने हेतु पी.डी. कोर का चयन किया गया। पी.डी. कोर से इस सम्बन्ध में दिनांक 25.10.2017 को प्राप्त Request for Proposal (RFP) का परीक्षण कर संशोधन करने हेतु दिनांक 05.11.2017 को भिजवाया गया। संशोधित प्रस्ताव प्राप्त होने पर RFP को मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर द्वारा अपलोड कर दिया गया है। माह जनवरी 2018 में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।	प्रगतिरत	

बजट घोषणा वर्ष 2015-16

(माह दिसम्बर, 2017)

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
1.	55	पर्यटन सीजन में रणथम्भौर टाईगर रिजर्व में निर्धारित Carrying Capacity से कई गुना अधिक पर्यटक रणथम्भौर भ्रमण हेतु आते हैं। बढ़ते हुए पर्यटक दवाब के दृष्टिगत रणथम्भौर टाईगर रिजर्व के बफर क्षेत्र आमली वन खण्ड में एक टाईगर सफारी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है।	रणथम्भौर के निकट आमली वन खण्ड में टाईगर सफारी की योजना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 09.01.2015 को स्वीकृत की गई। टाईगर सफारी की डी.पी.आर. बनाने के लिए कन्सलटेंट का चयन कर लिया गया है। चयनित टेंडरर M/s जैन एण्ड एसोसिएटस, गुड़गांव द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. तैयार होने के पश्चात् टाईगर सफारी की डिजाइन का अनुमोदन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, दिल्ली से प्राप्त किया जायेगा। ● परियोजना की अनुमानित लागत रुपये 133.65 करोड़ है। पांच एनक्लोजर्स की स्वीकृति मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा दी जा चुकी है।	प्रगतिरत	जून, 2018
2.	56	उदयपुर में एक नया बायोलॉजिकल पार्क तैयार हो चुका है। साथ ही जयपुर और जोधपुर में भी एक-एक बायोलॉजिकल पार्क का कार्य प्रगति पर है। अब मैं बीकानेर में ₹ 25 करोड़ की लागत से बीछवाल बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना करने की घोषणा करती हूं।	केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क (बीछवाल) का मास्टर ले आउट पत्रांक 317 दिनांक 22.02.2016 से अनुमोदित होकर तैयार की गई डी.पी.आर. की लागत 36.00 करोड़ रुपये है। इस वर्ष रुपये 3.50 करोड़ की राशि आवंटित हुई जो व्यय किये जा चुके हैं। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, दिल्ली द्वारा 10 एनक्लोजर्स की डिजाइन एवं ड्राइंग अनुमोदित कर दिये गये हैं तथा 5 एनक्लोजर्स की स्वीकृति मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक द्वारा दी जा चुकी है।	प्रगतिरत	अप्रैल,2018
3.	57	गत बजट में चूरू में नेचर पार्क बनाने की घोषणा की गयी थी, जिसके लिए ₹ 7 करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवायी जाएगी।	चूरू नेचर पार्क विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 7 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा विकास कार्य किये जा चुके हैं।	क्रियान्वित	

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
4.	58	जयपुर-पुष्कर बाईपास मुख्य मार्ग पर 20 हैक्टेयर क्षेत्र में हर्बल गार्डन विकसित किया जायेगा। इन कार्यों पर ₹ 2 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	हर्बल गार्डन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।	क्रियान्वित	मार्च, 2017
			नोलक्खा स्मृति वन का कार्य पूर्ण किया जाकर राशि ₹ 113.00 लाख का उपयोग किया गया है।	क्रियान्वित	मार्च, 2017
5.	59	वन क्षेत्र के निकट रहने वाले लोगों के विकास, उनकी वनों पर निर्भरता कम करने, रोजगार उपलब्ध करवाने, वन्य जीव तथा वनों की सुरक्षा के लिए वन धन योजना रणथम्भौर टाईगर रिजर्व, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, माउण्ट आबू, कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य एवं जवाई Conservation reserve में Pilot basis पर लागू की जायेगी। इस हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 7 करोड़ 50 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	संरक्षित क्षेत्रों में समीपस्थ 140 ग्रामों का चयन कर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। वर्ष 2015-16 में राशि रुपये 231.29 लाख व्यय किये गये। वर्ष 2016-17 में राशि रुपये 106.51 लाख का व्यय किये गये। वर्ष 2017-18 हेतु राशि रुपये 100.00 लाख के आवंटन के विरुद्ध रुपये 10.74 लाख का व्यय हो चुका है।	प्रगतिरत	
6.	60	रणथम्भौर, सरिस्का टाईगर रिजर्व तथा जवाई Leopard Conservation reserve की पेरीफरी में बसे गांवों में क्रमश: 5 हजार, 5 हजार एवं 2 हजार Gas connection जारी करने हेतु ₹ 2 करोड़ 25 लाख का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।	बजट घोषणा के अनुरूप रणथम्भौर, सरिस्का एवं जवाई कंजर्वेशन रिजर्व में क्रमश: 4834 , 5000 तथा 2000 कनेक्शन वितरित किये जा चुके हैं।	क्रियान्वित	मार्च, 2016

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
7.	335	पिछले वर्षों में वन विभाग द्वारा वनों की देखरेख एवं संरक्षण हेतु वर्क फोर्स की कमी महसूस की जा रही है। इसको देखते हुए वन विभाग में वन रक्षक के 500 नवीन पदों का सृजन किया जाएगा।	वनरक्षकों के सृजित 500 पदों पर भर्ती की जा चुकी है।	क्रियान्वित	

बजट घोषणा वर्ष 2016-17

(माह दिसम्बर, 2017)

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
1.	62.0.0	शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ाने हेतु राज्य में 'नगर वन उद्यान योजना' लागू की जाएगी। प्रथम चरण में जयपुर व अजमेर में कम से कम 20 हैक्टेयर भूमि पर नगर वन उद्यान विकसित किये जायेंगे, जिनमें स्थानीय प्रजातियों के वृक्ष, औषधीय पौधे, जोगिंग ट्रैक एवं साइकिल ट्रैक आदि की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी। बजट बहस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जवाब दिनांक 14.03.2016 में कोटा शहर में चम्बल नदी के किनारे भदाना वन खण्ड की 30 हैक्टेयर भूमि पर एक नगर उद्यान विकसित किया जाएगा। इस उद्यान का विकास वन विभाग तथा UIT Kota के संयुक्त प्रयासों से किया जावेगा। जिस पर ₹ 5 करोड़ का व्यय अनुमानित है।	नगर वन उद्यान योजना अजमेर, जयपुर, कोटा व उदयपुर में वर्ष 2016-17 में लागू कर दी गयी है। नगर वन उद्यान बनाये जाने हेतु कैम्पा से राशि रुपये 179.80 लाख का आवंटन आदेश 21 दिनांक 11.01.2017 से किया जा चुका है तथा 20% राज्य सरकार के शेयर की राशि रुपये 50.60 लाख उपलब्ध हो चुकी है। जयपुर में मुहाना, अजमेर में महुवा बीड़, कोटा में भदाना तथा उदयपुर में चीरवा घाटा में नगर वन उद्यान बनाने का कार्य प्रगतिरत। अब तक कुल राशि रुपये 97.29 लाख का व्यय।	प्रगतिरत	

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
2.	63.0.0	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत वन क्षेत्रों, वन्यजीव क्षेत्रों तथा गैर-वन क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने हेतु राज्य के 17 जिलों यथा अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर एवं सिरोही में ₹157 करोड़ 61 लाख की लागत से विशेष परियोजना क्रियान्वित की जायेगी।	वित्त विभाग की उच्च स्तरीय समिति द्वारा योजना का अनुमोदन दिनांक 11.02.2016 को किया जा चुका है। नाबार्ड द्वारा पत्रांकदिनांक 22.08.2016 द्वारा राशि रुपये 157.61 करोड़ की नाबार्ड वित्त पोषित (Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF-XXII, Phase-III 2016-17 to 2020-21) परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है। जिलों में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत 16401 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करवाये जा चुके हैं।	क्रियान्वित	
3.	64.0.0	राज्य में वन विकास एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु वर्ष 2016-17 में campa funds के माध्यम से ₹ 138 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	उक्त घोषणा के क्रियान्वयन हेतु कैम्पा फण्ड के माध्यम से 138 करोड़ रुपये के विरुद्ध अब तक वर्ष 2016-17 में स्वीकृत कार्य कराये जाने हेतु कार्यकारी एजेंसियों को राशि रुपये 168.81 करोड़ का आवंटन किया गया। अब तक कुल व्यय राशि रुपये 116.15 करोड़।	क्रियान्वित	2016-17
4.	65.0.0	रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के बीच स्थित गांवों के निवासियों के लिए वर्तमान में प्रचलित पुनर्वास पैकेज की समीक्षा कर उसे तर्कसंगत बनाया जाएगा। यह पुनर्वास का पैकेज उन्हीं गांवों पर लागू होगा जो स्वेच्छा से अपने पुनर्वास की इच्छा व्यक्त करते हैं।	पुनर्वास पैकेज की समीक्षा हेतु दिनांक 2-3 मई, 2016 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार संशोधित ग्राम विस्थापन पैकेज 2016 तैयार की जाकर राज्य स्तरीय प्रबोधन समिति के समक्ष दिनांक 19.05.2016 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा आवश्यक बदलाव सुझाये गये, जिसे सम्मिलित कर बैठक में लिये गये निर्णयों के परिपेक्ष्य में वित्त विभाग को स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को दिनांक 02.09.2016 को प्रस्तुत किये गये हैं, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। भारत सरकार द्वारा ग्राम विस्थापन पैकेज में संशोधन करने के लिये आदेश दिनांक 16.08.2017 द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसकी दो बैठकें आयोजित की चुकी हैं।	प्रगतिरत	

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
5.	65.01.0	टाईगर रिजर्व क्षेत्रों के निकटवर्ती गाँवों में नवीन कुकिंग गैस कनेक्शन हेतु वर्तमान में लागत का 50 प्रतिशत अनुदान देय है, जिसे बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की घोषणा। आगामी वर्ष में ऐसे 40 हजार गैस कनेक्शन दिये जाने प्रस्तावित हैं।	टाईगर रिजर्व क्षेत्रों के आसपास के गांवों में गैस कनेक्शन वितरित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.10.2016 को ''जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना (Fuel Wood Free Village Scheme)" का अनुमोदन किया गया। माह मार्च, 2017 तक कुल 46312 गैस कनेक्शन (सरिस्का में 18110, रणथम्भौर में 17868 एवं मुकन्दरा में 10334 गैस कनेक्शन) दिये गये हैं।	क्रियान्वित	
6.	66.0.0	रणथम्भौर टाईगर प्रोजेक्ट की सुरक्षा हेतु Special Tiger Protection Force (STPF) का गठन किया हुआ है। मैं अब सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर प्रोजेक्ट के लिए भी STPF के गठन की घोषणा। इन 2 नये STPF के लिए पुलिस की जगह Forest guard एवं Forest watcher नियुक्त किये जायेंगे, जिनकी भर्ती केवल प्रोजेक्ट से विस्थापित होने वाले गाँव, प्रोजेक्ट से सटे हुए गाँव और उनके buffer क्षेत्र में स्थित गाँवों के युवाओं में से होगी। इस हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।	सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में Special Tiger Protection Force (STPF) के गठन के लिये forest watchers की भर्ती प्रोजेक्ट से विस्थापित होने वाले गांव, प्रोजेक्ट से सटे हुए गांव और उनके बफर क्षेत्र में स्थित गांवों के युवाओं में से करने हेतु भर्ती नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रगतिरत है। बजट घोषणा के अनुरूप सरिस्का में STPF के गठन हेतु प्रस्ताव दिनांक 30.05.2016 व 06.07.2016 द्वारा राज्य सरकार को भेज दिये गये हैं। मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में विशेष बाघ संरक्षण बल (STPF) के गठन का प्रस्ताव पत्रांक 707 दिनांक 04.07.2016 व 809 दिनांक 18.07.2016 द्वारा राज्य सरकार को भेज दिये गये हैं। राज्य सरकार के द्वारा एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित कर दिनांक 28.12.2017 को एन.टी.सी.ए. को भिजवा दिये गये।	प्रक्रियाधीन	

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
7.	341.0.0	Tiger reserve में वन्य जीवों का संरक्षण तथा इन क्षेत्रों में पर्यटन का विकास स्थानीय लोगों के रचनात्मक सहयोग से ही संभव है। स्थानीय समुदाय की उन्नति में पर्यटन उद्योग की भागीदारी के क्रम में प्रथम चरण में राज्य के रणथम्भौर एवं सरिस्का Tiger reserve के 10 किलोमीटर की परिधि में संचालित होटल, रिसोर्ट आदि पर Local conservation fees लागू किया जाना प्रस्तावित है। यह फीस tiger conservation foundation द्वारा वसूल की जाएगी और सम्बन्धित tiger reserve से लगते हुए गांवों में eco-development और स्थानीय समुदाय की उन्नति के लिए उपयोग में ली जायेगी।	प्रस्ताव दिनांक 31.03.2016 को राज्य सरकार को प्रस्तुत करने पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रक्रियाधीन	
8.	411.0.0	विलायती बबूल से निर्मित कोयले के परिवहन को सरल बनाने के उद्देश्य से transit pass जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं decentralisation किया जावेगा।	राज्य सरकार ने अधिसूचना क्रमांक एफ15(33) फोरेस्ट/98 दिनांक 24.05.2016 से राजस्थान वन उपज (परिवहन) नियम 1957 के नियम 3 के उप नियम (1) के क्लॉज (II) के प्रावधान अन्तर्गत सरलीकरण के आदेश पारित कर दिये गये हैं तथा राजस्व अधिकारियों को भी चारकोल के परिवहन पारपत्र जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।	क्रियान्वित	

बजट घोषणा वर्ष 2017-18

(माह दिसम्बर, 2017)

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
1.	75.0.0	ऐतिहासिक नगर जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर आकल wood fossil पार्क है। इस wood fossil पार्क में मौजूदा wood fossil को संरक्षित करने, इन्हें बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने एवं पर्यटन की आधारभूत सुविधाओं के विकास का कार्य किया जायेगा। इस परियोजना पर 10 करोड़ 90 लाख रुपये का व्यय होगा। वर्ष 2017-18 में इसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।	आकलवुड फोसिल पार्क हेतु राशि रुपये 10.90 करोड़ के परियोजना प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को दिनांक 28.8.2017 को प्रेषित किये गये हैं। डी.पी.आर. बनाने हेतु पी.डी. कोर ने 28 लाख रुपये का प्रस्ताव दिया है, जो स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को एकल पत्रावली पर दिनांक 29.11.2017 को भिजवा दिये गये हैं।	प्रगतिरत	31 मार्च, 2018
2.	76.0.0	Desert National Park और उसके आसपास के क्षेत्र में राज्य पक्षी गोडावण (Great Indian Bustard) के संरक्षण हेतु स्थानीय ग्रामवासियों के सहयोग से Grasslands का विकास किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2017-18 में 10 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।	राष्ट्रीय मरु उद्यान अभ्यारण्य, जैसलमेर एवं आसपास के क्षेत्रों में राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु ग्रासलेण्डस का विकास करने हेतु परियोजना तैयार कर राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु दिनांक 28.08.2017 को प्रेषित की गई है। प्रशासनिक विभाग एवं माननीय वन मंत्री महोदय द्वारा दिये गये सुझावों को सम्मिलित करते हुए संशोधित प्रस्ताव दिनांक 08.10.2017 को राज्य सरकार को भेजे गये। वर्ष 2017-18 में इस परियोजना के लिये राशि रुपये 2.00 करोड़ का प्रावधान राज्य योजना मद में स्वीकृत हैं। इस वर्ष 1300 हैक्टेयर पुराने क्लोजर्स में घास बीजों की बुआई वर्षा ऋतु में की गई है।	प्रगतिरत	31 मार्च, 2018

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
3.	77.0.0	प्रदेश में Leopard एक महत्त्वपूर्ण वन्यजीव है। Leopard कई बार वन्य क्षेत्र के समीप के आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, जिससे मानव-Leopard संघर्ष की कई घटनाएं सामने आ रही है। इससे प्रभावित क्षेत्रों में Leopard के प्रति जन आक्रोश उत्पन्न होता है। इसके ठीक विपरीत ऐसे उदाहरण भी हैं, जहां मानव तथा Leopard शांतिपूर्ण तरीके से co-exist कर रहे हैं। अत: Leopard के संरक्षण हेतु Project Leopard प्रारम्भ किया जायेगा। वर्ष 2017-18 में इस हेतु 7 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।	प्रोजेक्ट लैपर्ड के लिये 121.95 करोड़ रुपये की एक परियोजना तैयार की गई है, जिसके अन्तर्गत झालाना, कुंभलगढ़, टॉडगढ़-रावली एवं जयसमंद क्षेत्रों में कार्य कराये जायेंगे। वर्ष 2017-18 के लिये राज्य सरकार से झालाना क्षेत्र में कार्य कराने हेतु रुपये 7.00 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें कुल 30 कि.मी. के विरुद्ध 18 कि.मी. दीवार का निर्माण किया जा चुका है।	क्रियान्वित	
4.	78.0.0	माउंट आबू स्थित Trevor's Tank को Eco-Tourism के दृष्टिकोण से विकसित किया जाएगा।	ट्रेवर्स टैंक को ईको-ट्यूरिज्म के दृष्टिकोण से विकसित करने हेतु रुपये 6.95 करोड़ के प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को एकल पत्रावली से दिनांक 18.9.2017 को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये, जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है। बजट प्रावधान हेतु प्रस्ताव दिनांक 29.11.2017 को राज्य सरकार को भिजवाये जा चुके हैं।	प्रगतिरत	31 मार्च, 2018
5.	79.0.0	प्रदेश में Tiger एवं Leopard के संरक्षण तथा वन्य क्षेत्रों में शिकार एवं अन्य अवैध गतिविधियों की रोकथाम हेतु रणथम्भौर, सरिस्का, जवाई तथा मुकन्दरा वन्यजीव अभयारण्यों एवं झालाना आरक्षित वन क्षेत्रों में सुरक्षा हेतु IT Security System लगाये जाने की घोषणा करती हूँ।	रणथम्भौर, सरिस्का, जवाई, मुकन्दरा तथा झालाना में सुरक्षा हेतु IT Security System लगाये जाने हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से कार्यवाही की जा रही है।	प्रगतिरत	

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
6.	80.0.0	मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अन्तर्गत जल संरक्षण संरचनाओं को स्थायित्व प्रदान करने हेतु करवाये जा रहे वृक्षारोपण के समय बड़े पौधे की कमी महसूस की गई है। द्वितीय चरण में लगभग 60 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो प्रथम चरण की उपलब्धि के दुगुने से भी अधिक हैं। आगामी वर्ष में 25 लाख बड़े पौधे तैयार करने हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।	25 लाख बड़े पौधों की तैयारी हेतु 2 करोड़ का प्रावधान वर्ष 2017-18 बजट में करवा लिया गया है। वन मण्डलों को पौध तैयारी हेतु बजट आवंटन कर दिया गया है। पौध तैयारी कार्य प्रगतिरत।	क्रियान्वित	जुलाई, 2019
7.	81.01.0	जयपुर में JLN मार्ग पर झालाना वन क्षेत्र में विकसित स्मृति वन की तर्ज पर बांसवाड़ा-त्रिपुरा सुन्दरी स्मृति उद्यान-लागत 47 लाख रुपये से स्मृति वन का विकास किया जाएगा। उक्त उद्यान में एक हिस्सा आमजन द्वारा उनके परिजनों की स्मृति में पौधारोपण हेतु भी आरक्षित रखा जायेगा।	डीपीआर स्वीकृत, बजट आवंटित। 600 रनिंग मीटर पक्की दीवार निर्माण एवं वृक्षारोपण कार्य पूर्ण। वॉचटावर, 500 रनिंग मीटर पक्की ईको ट्रेल, 4 बैठने के चबूतरों, पानी के टैंक की छत निर्माण एवं टैरेसिंग निर्माण कार्य प्रगतिरत।	प्रगतिरत	31 मार्च, 2018
8.	81.02.0	जयपुर में JLN मार्ग पर झालाना पर वन क्षेत्र में विकसित स्मृति वन की तर्ज पर बाड़मेर-बाड़मेर हिल्ली स्मृति उद्यान लागत 2 करोड़ 96 लाख रुपये से स्मृति वन का विकास किया जाएगा। उक्त उद्यान में एक हिस्सा आमजन द्वारा उनके परिजनों की स्मृति में पौधारोपण हेतु भी आरक्षित रखा जाएगा।	डीपीआर स्वीकृत, दिनांक 24.08.2017 को 120 लाख रुपये बजट आवंटित। चयनित क्षेत्र का सर्वे कर 2700 पौधों का रोपण किया जा चुका है। अवशेष कार्य प्रगतिरत।	प्रगतिरत	31 मार्च, 2018

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
9.	81.03.0	जयपुर में JLN मार्ग पर झालाना वन क्षेत्र में विकसित स्मृति वन की तर्ज पर जालौर-सुंधा माता स्मृति उद्यान लागत एक करोड़ 81 लाख रुपये से स्मृति वन का विकास किया जाएगा। उक्त उद्यान में एक हिस्सा आमजन द्वारा उनके परिजनों की स्मृति में पौधारोपण हेतु भी सुरक्षित रखा जाएगा।	डीपीआर स्वीकृति, दिनांक 06.09.2017 को 84 लाख रुपये बजट आवंटित। पक्की दीवार निर्माण, अग्रिम, मृदा कार्य, एनीकट एवं गैबियन निर्माण कार्य प्रगतिरत, 1200 पौधे रोपित, 1000 र.मी. ईको ट्रेल निर्मित।	प्रगतिरत	31 मार्च, 2019
10.	81.04.0	जयपुर में JLN मार्ग पर झालाना वन क्षेत्र में विकसित स्मृति वन की तर्ज पर बारा-शाहबाद किला स्मृति उद्यान लागत 24 लाख रुपये से स्मृति वन का विकास किया जाएगा। उक्त उद्यान में एक हिस्सा आमजन द्वारा उनके परिजनों की स्मृति में पौधारोपण हेतु भी आरक्षित रखा जायेगा।	डीपीआर स्वीकृत, बजट आवंटित। स्मृति वन क्षेत्र को शाहबाद किला चार भागों में वाकिंग ट्रैल बनाकर बांटा गया है। समस्त वाकिंग ट्रैल पर मोर्रम बिछाकर रास्ते तैयार किये गये हैं। किले के चारों भागों में से आरबोरेटम में 140 पौधों का रोपण किया जा चुका है एवं किले का गेट तैयार करवाकर फिक्स करवा दिया गया है। इस स्मृति वन क्षेत्र को चारों तरफ से बंद कर सुरक्षित कर लिया गया है तथा वाटर टैंक का कार्य एवं शेष अन्य कार्य प्रगतिरत है।	प्रगतिरत	31 मार्च, 2018
11.	81.05.0	जयपुर में JLN मार्ग पर झालाना वन क्षेत्र में विकसित स्मृति वन की तर्ज पर भीलवाड़ा-भरख माता स्मृति उद्यान-लागत 25 लाख रुपये से स्मृति वन का विकास किया जाएगा। उक्त उद्यान में एक हिस्सा आमजन द्वारा उनके परिजनों की स्मृति में पौधारोपण हेतु भी आरक्षित रखा जाएगा।	डीपीआर स्वीकृत, बजट आवंटित। सड़क मार्ग वृक्षारोपण पूर्ण, ट्री गार्ड लगाकर 200 बड़े पौधे रोपित, अवशेष कार्य प्रगतिरत।	प्रगतिरत	31 मार्च, 2018

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
12.	313.01.0	वन विभाग के ऐसे कार्य प्रभाारित कर्मचारी जो अन्य पद पर नियुक्त हैं और वर्तमान में स्टोरमुंशी के पद पर कार्य कर रहे हैं, उनकी मांग है कि उन्हें स्टोरमुंशी के पद पर नियुक्त किया जावे। उनके लिये पृथक से सेवा नियम बनाये जाकर पात्रता अनुसार स्क्रीनिंग उपरान्त स्टोरमुंशी के पद पर पदस्थापित किया जायेगा।	वन विभाग में ऐसा कोई कार्य प्रभारित कर्मचारी नहीं है जो अन्य पद पर नियुक्त है और वर्तमान में स्टोर मुंशी के पद पर कार्य कर रहे हैं। अत: उक्त घोषणा पर वन विभाग के संदर्भ में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।	क्रियान्वित	
13.	314.01.0	वन विभाग में कार्यरत ऐसे कार्य प्रभारित कर्मचारी जो कि 9, 18 एवं 27 वर्षीय चयनित वेतनमान अथवा ACP (Assured Career Promotion) ले रहे हैं, उनकी लंबे समय से पदनाम परिवर्तन की मांग को ध्यान में रखते हुए पृथक से सेवा नियम बनाए जाकर केवल नये पदनाम दिये जायेंगे।	पद नाम परिवर्तन में सम्बन्ध में स्थाई आदेश 1973 में संशोधन प्रस्तावित है। उक्त संशोधन हेतु प्रस्ताव पत्र क्रमांक 1574 दिनांक 11.08.2017 से राज्य सरकार को प्रेषित किये गये। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 29.08.2017 के उक्त प्रस्ताव पर आक्षेप प्राप्त हुये हैं। आक्षेप के सम्बन्ध में प्रति उत्तर पत्र क्रमांक 1838 दिनांक 15.09.2017 से राज्य सरकार को प्रेषित। उक्त सूचनाओं का परीक्षण कर प्रस्ताव वित्त विभाग के निर्देशों के क्रम में विविक्षा हेतु कार्मिक विभाग को भिजवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।	प्रक्रियाधीन	
14.	416.0.0	रणथम्भौर के बफर एरिया में स्थित आमली फोरेस्ट ब्लॉक की सुरक्षा दीवार बनाने हेतु आगामी वर्ष 2017-18 में 18 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जायेगी।	कैम्पा से राशि रुपये 18 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। आर.एस.आर. डी.सी. के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षर किया जा चुका है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा तैयार कर प्रस्तुत करने पर परीक्षण की कार्यवाही जारी है।	क्रियान्वित	31 मार्च, 2018
15.	417.0.0	झुंझुनूं जिले की खेतड़ी तहसील में स्थित 7018 हैक्टेयर रक्षित वन भूमि को बांसियाल-खेतड़ी Conservation Reserve घोषित किया गया है। इस रिजर्व में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण पर वर्ष 2017-18 में 2 करोड़ 30 लाख रुपये की राशि व्यय की जायेगी।	बांसियाल-खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु राशि रुपये 231.75 लाख का वर्ष 2017-18 में आवंटन किया जा चुका है। 4 किमी. दीवार निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 4 किमी. दीवार निर्मित तथा एक रेस्ट पोइंट तैयार व एक प्रगतिरत है। 3 ट्यूबवैल, 10 कि.मी. निरीक्षण/पेट्रोलिंग पाथ निर्मित कर लिया गया है तथा राशि रुपये 1.35 करोड़ व्यय किये जा चुके हैं।	प्रगतिरत	31 मार्च, 2018

क्र. सं.	बजट घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	वर्तमान स्थिति	क्रियान्वयन हेतु समय सीमा
16.	418.0.0	सरिस्का, मुकन्दरा व झालाना में वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये वर्ष 2017-18 में 15 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि व्यय की जायेगी।	सरिस्का हेतु राशि 5.00 करोड़, मुकन्दरा हेतु राशि 3.00 करोड़ एवं झालाना हेतु राशि 7.00 करोड़ की परियोजना रिपोर्ट वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु तैयार कर ली गई। सरिस्का हेतु राशि रुपये 50.00 लाख, मुकन्दरा हेतु राशि रुपये 50.00 लाख तथा झालाना हेतु राशि रुपये 700.00 लाख का प्रारम्भिक आवंटन कैम्पा से प्राप्त हो चुका है तथा कार्य प्रगतिरत है।	प्रगतिरत	31 मार्च, 2018
17.	419.01.0	पिछले बजट भाषण में मैंने यह घोषणा की थी कि रणथम्भौर, सरिस्का व मुकन्दरा Tiger Reserve के निकटवर्ती गांवों में 100 प्रतिशत अनुदान पर 40 हजार नये गैस कनेक्शन दिये जायेंगे। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता है कि वन विभाग ने इस घोषणा की क्रियान्विति में एक Fuelwood Free Village Scheme लागू कर, चालू वित्तीय वर्ष में 40 हजार से भी अधिक (44000) परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान कर दिये हैं। आगामी वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत मैं 50 हजार अतिरिक्त परिवारों को 100 प्रतिशत अनुदान पर नये गैस कनेक्शन देने की घोषणा देने की घोषणा करती हूं। इसमें तीनों Tiger Reserves से संबंधित अधिकांश ग्रामीण परिवार Cover हो जायेंगें और इसका वन एवं वन्यजीवों की सूरक्षा एवं महिलाओं के स्वास्थ्य पर Visible Impact होगा।	कैम्पा मद में गैस कनेक्शन हेतु राशि 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रणथम्भौर में 20000, सरिस्का में 20000 एवं मुकन्दरा में 10000 गैस कनेक्शन वितरित किये जाने के लक्ष्य आवंटित किये जा चुके हैं। जिसमें में सरिस्का में लगभग 6840 रणथम्भौर में 11100 एवं मुकन्दरा में 3000 गैस कनेक्शन वितरित हो चुके हैं, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	प्रगतिरत	31 मार्च, 2018

नीतिगत दस्तावेज के संकल्पों (सुराज संकल्प-2014) की क्रियान्विति के सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति रिपोर्ट

(माह दिसम्बर, 2017)

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
1.	13.20	The Rajasthan Forest (Amendment) Bill 2012 में इस क्षेत्र के काश्तकारों/ ग्रामीणों के हितों के विपरीत लाए गए प्रावधानों को पुन: संशोधित किया जाएगा।	उक्त घोषणा की अनुपालना में राजस्थान वन (संशोधन) अधिनियम, 2014 विधेयक पारित किया जाकर राजस्थान के राजपत्र दिनांक 4 मार्च, 2014 में प्रकाशित किया जा चुका है।	क्रियान्वित
2.	15.01-(i)	राजकीय वन क्षेत्रों में परम्परागत उपज कैर-खींप की फली आदि को संरक्षण दिया जाएगा।	राजकीय वन क्षेत्रों में परम्परागत उपज कैर-खीप की फली आदि को संरक्षण देने के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राज. जयपुर के द्वारा परिपत्र क्रमांक 1303-1503 दिनांक 09.07.2014 जारी कर दिया गया है। उक्त परिपत्र की पालना में - 1. बीकानेर संभाग के विभिन्न वन मंडलों में फोग प्रजाति का 710 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं 287000 र.मी. में बीजारोपण किया गया तथा खींप प्रजाति का 100 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। 2. जोधपुर संभाग के विभिन्न वन मंडलों में फोग प्रजाति का 20284 र.मी. में बीजारोपण तथा खींप प्रजाति का 2809 र.मी. में बीजारोपण किया गया। 3. जयपुर संभाग के वन मंडल झुंझुनूं में जाल प्रजाति का 12 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा बीजारोपण किया गया।	क्रियान्वित
	15.01-(ii)	ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य वन सहकारी समिति के गठन को उचित प्रोत्साहन एवं संरक्षण दिया जाएगा।	वर्तमान में वन क्षेत्रों में ग्राम स्तरीय वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियां तथा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों में पारिस्थितिकीय विकास समितियां वन/वन्यजीव संरक्षण क्षेत्रों के संरक्षण, संवर्धन, विकास एवं लाभांश के युक्तियुक्त	क्रियान्वित

(माह दिसम्बर, 2017)

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
			वितरण हेतु ग्राम्य वन सहकारी समितियों के रूप में कार्य कर रही है इनके गठन को उचित प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राज. जयपुर के द्वारा परिपत्र क्रमांक 3174 दिनांक 11.08.2014 जारी कर दिया गया है।	
3.	15.02	''वनौषधि के लिए वन भूमि का पट्टा दिया जाएगा।''	वन क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से वनौषधि का उत्पादन होता है, जिसे वन सुरक्षा समितियों के सदस्यों द्वारा एकत्रित कर उपभोग किया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनौषधि उत्पादन हेतु वन भूमि का पट्टा दिया जाना संभव नहीं है। केवल लघु वन उपज एकत्रीकरण के अधिकार दिये गये हैं।	Not Feasible
4.	15.04	राज्य के वन क्षेत्रों को प्रभावी रूप से आच्छादित करने हेतु परिणामजनक योजना बनाई जाएगी	राज्य के वन क्षेत्रों को प्रभावी रूप से आच्छादित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013-14 में नाबार्ड के वित्तीय सहयोग हेतु Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF-XIX (Phase-II) योजना प्रस्तावित की गयी। उक्त परियोजना राज्य के 17 जिलों यथा - अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर व सिरोही (आबू तहसील को छोड़कर) में संचालित की जा रही है। उक्त परियोजना की अवधि वर्ष 2013-14 से 2018-19 है जिसमें भू-संरक्षण, साझा वन प्रबंध, क्षमता संवर्द्धन, प्रचार-प्रसार तथा प्रबोधन एवं मूल्यांकन के कार्य सम्मिलित किए गए हैं। प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत राशि रुपये 282.49 करोड़ है। नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित राशि रुपये 282.49 करोड़ की यह परियोजना राज्य सरकार से स्वीकृत कराकर क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2015-16 में 28840 है. में वृक्षारोपण पूर्ण	क्रियान्वित (Continue Nature)

(माह दिसम्बर, 2017)

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
			कर लिया गया है। वर्ष 2016-17 में 12600 है. तथा वर्ष 2017-18 में 18150 है. वन क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	
5.	15.05	बाघ अभयारण्य से प्रभावित होकर विस्थापित होने वाले परिवारों को बसाने की योजना की समीक्षा कर उसे रोजगार, आवास एवं जीविकोपार्जन के स्थाई संसाधन उपलब्ध कराने की योजना बनाई जाएगी।	बाघ परियोजना क्षेत्रों से विस्थापित एवं विस्थापित होने वाले परिवारों से चर्चा कर विस्थापन स्थलों पर आधारभूत सुविधा, ढांचागत विकास एवं रोजगार के सम्बन्ध में मुख्यत: निम्न कार्यों को चिन्हित किया गया:- 1. ट्रेनिंग : टेलरिंग, उन्नत कृषि, जैम कटिंग एवं कुटीर उद्योग। 2. ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम : स्टॉल फीडिंग, एनीमल होम्स हेतु ऋण, टीकाकरण, फर्टिलिटी कैम्पस एवं पशुपालन प्रसार कार्यक्रम। 3. रोजगार : डेयरी, कियोस्क का आवंटन, खनन पट्टे का आवंटन। 4. ढांचागत विकास : अप्रोच रोड, विद्युत एवं जल आपूर्ति, शिक्षा, सामुदायिक सुविधाएं। राज्य सरकार को बी.एफ.सी. में प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये थे, लेकिन उक्त कार्य हेतु प्रावधान स्वीकृत नहीं हुआ है। ग्राम विस्थापन पैकेज में संशोधन हेतु वर्कशॉप आयोजित की गई। वर्कशॉप में हुये विचार-विमर्श के अनुसार संशोधित पैकेज तैयार कराया जाकर राज्य सरकार से अनुमोदित हेतु भेजा गया है।	प्रगतिरथ
6.	15.06	National Parks तथा Sanctuaries के प्रभावी प्रबोधन (Monitoring) के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जो समय-समय पर ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण कर इनके रख-रखाव तथा विकास के सम्बन्ध में आवश्यक सुझाव देगी।	समसंख्यक पत्रांक दिनांक 15.12.2014 एवं दिनांक 29.12.2014 के द्वारा राज्य वन्यजीव मण्डल का पुनर्गठन किया जा चुका है।	क्रियान्वित

(माह दिसम्बर, 2017)

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
7.	15.08	वनवासी युवकों की वन संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित कराई जाएगी।	वनवासी युवकों की वन संरक्षण में भागीदारी सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राज. जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक 3925-4020 दिनांक 11.09.2014 जारी कर दिया गया है। इस परिपत्र के द्वारा विभिन्न वन क्षेत्रों में गठित वन सुरक्षा समितियों/पारिस्थितिकीय विकास समितियों में युवकों को वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण कार्य से सक्रिय रूप से जोड़ने के निर्देश दिये गये हैं। इसी प्रकार विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, नेहरू युवा केन्द्र, भारत निर्माण क्लब, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. एवं विद्यालयों में स्थापित ईको-क्लब से सम्बद्ध युवकों की वन संरक्षण एवं वृक्षारोपण कार्य में भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में उप वन संरक्षक, वन्य जीव उदयपुर द्वारा वन्य जीव गणना कार्य, वन एवं वन्यजीव सुरक्षा कार्य में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों से वनवासी युवकों को कार्य पर लिया जा रहा है साथ ही बायोलॉजिकल पार्क सज्जनगढ़ में भी वन्यजीव सुरक्षा कार्य पर वनवासी युवकों को कार्य पर लगाय गया है।	क्रियान्वित
8.	19.07	राज्य एवं पर्यावरण हित में पीपीपी मोड पर वनों के संरक्षण की नीति निर्धारित करना।	राज्य एवं पर्यावरण हित में पीपीपी मोड पर वनों के संरक्षण की नीति निर्धारित करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा प्रेषित योजना के प्रारूप का राज्य सरकार के स्तर से अनुमोदन किया जा चुका है। भारत सरकार से अनुमोदन अपेक्षित है।	प्रगतिरत
9.	19.13	सरकारी सड़कों एवं किसानों की खातेदारी भूमि की रिक्त भूमि पर सरकार द्वारा पेड़ लगाकर उसके संवर्धन, सुरक्षा एवं लाभ में किसानों को 50 प्रतिशत भागीदारी वाली योजना बनाई जाएगी।	उक्त घोषणा के सम्बन्ध में हरित राजमार्ग नीति में दिये दिशा निर्देशों की पालना में यदि वन विभाग को सरकारी सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करने हेतु अधिकृत किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा दिये गये राज्यादेश अनुसार विभाग में प्रचलित साझा वन प्रबन्ध के (VFPMC/EDC) ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों अथवा पर्यावरण विकास समिति द्वारा कार्य करवाया जाना प्रचलित	प्रगतिरत

(माह दिसम्बर, 2017)

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
			नियमनुसार प्रस्तावित किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत किये गये वृक्षारोपण के संवर्धन सुरक्षा एवं लाभ में स्थानीय किसानों/ग्राम्य वन सुरक्षा समिति के सदस्यों को न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ में भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। किसानों की खातेदारी भूमि की रिक्त भूमि के सम्बन्ध में परिभ्रांषित एवं वृक्षविहीन हुई वन भूमि को हरा-भरा करने में ग्रामवासियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भागीदारी प्राप्त करने की योजना राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000 में घोषित की जा चुकी है। जिसमें किये गये वृक्षारोपण के संवर्धन, सुरक्षा एवं लाभ में स्थानीय व्यक्तियों/किसानों/ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों को न्यूनतम 50 प्रतिशत लाभ में भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है।	
10.	3.15	राज्य में पशुधन, कृषि व जनजीवन के लिए हानिकारक ज्यूलीफ्लोरा (कीकर) की प्रजातियों को प्रोत्साहित करने वाले कांग्रेस सरकार द्वारा पारित कानून की वैज्ञानिक समीक्षा कर समाधान निकाला जाएगा।	वर्तमान में वन विभाग में प्रोसोपिस ज्यूलीफ्लोरा (कीकर) रोपित करना अथवा ज्यूलीफ्लोरा (कीकर) का बीजारोपण करना प्रतिबंधित है। ज्यूलीफ्लोरा (कीकर) प्रजाति को प्रोत्साहित करने के सम्बन्ध में कोई निर्देश भी जारी नहीं किये गये हैं। राजस्व अधिकारियों को चारकोल के परिवहन पारपत्र (टीपी) जारी करने हेतु अधिकृत किया गया है।	क्रियान्वित
11.	2.16	ऊँट तथा मोर को राज्य धरोहर घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार Great Indian Bustard एवं Siberian Crane को भी राज्य धरोहर घोषित करने के लिए नीति निर्धारित की जाएगी।	ऊँट को पशुपालन विभाग, राजस्थान द्वारा राज्य पशु घोषित कराया गया है। मोर राष्ट्रीय पक्षी एवं गोडावण राज्य पक्षी घोषित है। उक्त वन्यजीवों को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 के शिड्यूल-1 में शामिल होने के कारण पूर्ण सुरक्षा एवं संरक्षण प्राप्त है। साइबेरियन क्रेन एक प्रवासी पक्षी है तथा गत कई वर्षों से राजस्थान में इसका आवागमन नहीं है, अत: इस पक्षी को राज्य धरोहर घोषित किया जाना उचित नहीं है।	क्रियान्वित

(माह दिसम्बर, 2017)

क्र. संख्या	घोषणा क्रमांक	घोषणा का विवरण	अद्यतन प्रगति	क्रियान्विति
12.	3.13	पर्यावरण संरक्षण हेतु खेजड़ी वृक्ष को राज्य वृक्ष घोषित किया जाएगा।	राजस्थान सरकार, राजस्व (ग्रुप-8) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 11(33) राज. 8/77, जयपुर दिनांक 31.10.1983 द्वारा खेजड़ी वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया जा चुका है।	क्रियान्वित
13.	10.19	राजस्थान की जलवायु की विषमता को देखते हुए कम पानी में पनप सकने वाले तथा ईंधन देने वाले पेड़ों यथा खेजड़ी एवं नर्सरी लगाने के कार्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा।	राजस्थान की जलवायु की विषमता को देखते हुए कम पानी में पनप सकने वाले तथा ईंधन देने वाले पेड़ों यथा खेजड़ी एवं नर्सरी लगाने के कार्यों को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राज. जयपुर के द्वारा परिपत्र क्रमांक 7850-7950 दिनांक 10.02.2015 जारी कर दिया गया है। नर्सरियों में अधिकाधिक खेजड़ी के पौधों की तैयारी का कार्य किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में खेजड़ी एवं रोहिड़ा के 25,90,000 पौधे तैयार किये गये, जिनका रोपण इसी वर्ष विभिन्न वृक्षारोपण कार्यों में किया जा रहा है।	क्रियान्वित

प्रजनन ऋतु में ''पेन्टेड स्टार्क'' के घोंसले, चावंडिया तालाब भीलवाड़ा

छाया सौजन्य : पी.सी.जैन

डेजर्ट नेशनल पार्क, जैसलमेर का वन्यजीव सौन्दर्य

Desert Cat

Desert Fox

Chinkara Male

Steppe Eagle

Great Indian Bustard

Brilliant Agama

Fringe Toed Loizard

Spiny Tailed Lizard

Sand Fish

छाया : अनूप के. आर.

1

राजस्थान के वन संसाधन : एक परिचय

23° 30' एवं 30° 11' उत्तरी अक्षांश तथा 69° 29′ एवं 78° 17' पूर्वी देशान्तर के मध्य, स्थित 3 करोड़ 42 लाख हैक्टेयर, भौगोलिक क्षेत्रफल पर विस्तृत राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल के 9.59 प्रतिशत भू–भाग पर वन हैं। राज्य का उत्तरी–पश्चिमी भाग मरुस्थलीय या अर्द्धमरुस्थलीय है जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 61 प्रतिशत है, यह भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। राज्य के लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र पर अरावली पर्वत श्रृंखलाएं यत्र–तत्र विद्यमान हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला राज्य के मरुस्थलीय एवं गैर मरुस्थलीय भागों को अलग करती है।

राज्य के भौतिक प्रदेश (Physiographic Regions)

- पश्चिमी मरुस्थल
- अरावली पर्वतमाला क्षेत्र
- पूर्वी मैदानी भाग
- दक्षिणी–पूर्वी पठार

पारिस्थितिकीय तंत्र :

राज्य की जलवायु परिस्थितियों एवं वन–वनस्पति के आधार पर राज्य को निम्न चार मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्रों में बांटा गया है :–

मुख्य पारिस्थितिकीय तंत्र (Major Ecosystems)

(i) मरुस्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र
- नहरी–सिंचित क्षेत्र
- असिंचित क्षेत्र
- लूणी बेसिन

(ii) अरावली पर्वत श्रृंखला पारिस्थितिकीय तंत्र
- उत्तरी अरावली प्रदेश
- मध्य अरावली प्रदेश
- दक्षिणी अरावली प्रदेश

(iii) पूर्वी मैदानी पारिस्थितिकीय तंत्र
- बनास बेसिन
- माही बेसिन
- बाण गंगा बेसिन

प्रदेश का मरूस्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र

छाया : अनूप के. आर.

साहिबी बेसिन
गम्भीरी बेसिन
वराह / बराह बेसिन

(iv) हाड़ौती पठार एवं कंदरा पारिस्थितिकीय तंत्र
चम्बल बेसिन
डांग क्षेत्र

भू–उपयोग :

राज्य के विभिन्न भागों में अलग–अलग प्रकार से भू–उपयोग हो रहा है। राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य है तथा यहाँ के लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास कर रही आबादी का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है। राज्य के विभिन्न भागों में अधिकांशतः भू–उपयोग, क्षेत्र में व्याप्त भूमि एवं जल स्रोतों की उपलब्धता तथा मानव द्वारा इनके उपयोग के लिये किये जा रहे प्रयासों पर निर्भर करते हुए अलग–अलग प्रकार से किया जा रहा है।

जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है वहाँ का अधिकांश भू–भाग कृषि जोत के नीचे है। दूसरी ओर उन क्षेत्रों में जहाँ की भूमि कम उपजाऊ है वहाँ पर कम जनसंख्या की उदर पूर्ति हेतु भी अधिक भू–भाग पर कृषि जोत की आवश्यकता रहती है। राज्य में वन, चारागाह एवं बंजर भूमि क्रमशः 9.59, 4.94 एवं 6.94 प्रतिशत है।

वन सम्पदा :

- वनों के प्रकार :

राजस्थान की विविधतापूर्ण एवं समृद्ध वन सम्पदा को वनस्पति के आधार पर ''एटलस फॉरेस्ट टाईप्स ऑफ इण्डिया, 2011'' में अग्रानुसार वर्गीकृत किया गया है:–

प्रदेश की सबसे बडी चुनौती – मरूस्थलीय क्षेत्र में उडते रेत के टीबों को रोकना

छाया : अनूप के. आर.

FOREST TYPES

5A/C1a Very Dry Teak Forest
5A/C1b Dry Teak Forest
5A/C3 Southern Dry Mixed Deciduous Forest
5B/C2 Northern Dry Mixed Deciduous Forest
5/DS1 Dry Deciduous Scrub
5/DS2 Dry Savannah Forest
5/E1 *Anogeissus pendula* Forest
5/E1/DS1 *Anogeissus pendula* Scrub
5/E2 *Boswellia* Forest
5/E5 *Butea* Forest
5/E6 *Aegle* Forest
5/1S1 Dry Tropical Riverain Forest
5/1S2 Khair Sissu Forest
6B/C1 desert Thorn Forest
6B/C2 Ravine Thorn Forest
6B/DS1 *Zizyphus* Scrub
6/DS2 Tropical *Euphorbia* Scrub
6/E1 *Euphorbia* Scrub
6/E2 *Acacia senegal* Forest
6/E1S1 Desert Dune Scrub
Plantation / Tree Outside Forests (TOF)

Source : State of Forest Report 2015

- **वैधानिक दृष्टि से राज्य में वनों की स्थिति**

प्रदेश में कुल अभिलेखित वन क्षेत्र 32828.37 वर्ग किमी. है। राजस्थान वन अधिनियम 1953 के प्रावधानों के अनुरूप वैधानिक दृष्टि से उक्त वन क्षेत्र को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है :–

क्र.सं.	वैधानिक स्थिति	क्षेत्रफल (वर्ग किमी.)	प्रतिशत
1.	आरक्षित वन (Reserved Forest)	12352.78	37.63
2.	रक्षित वन (Protected Forest)	18408.85	56.08
3.	अवर्गीकृत वन (Unclassed Forest)	2066.74	6.29
	कुल योग	**32828.37**	**100.00**

स्रोत : का.प्र.मु.व.सं. (का.आ.व.व.), राजस्थान की सूचना वर्ष 2016–17

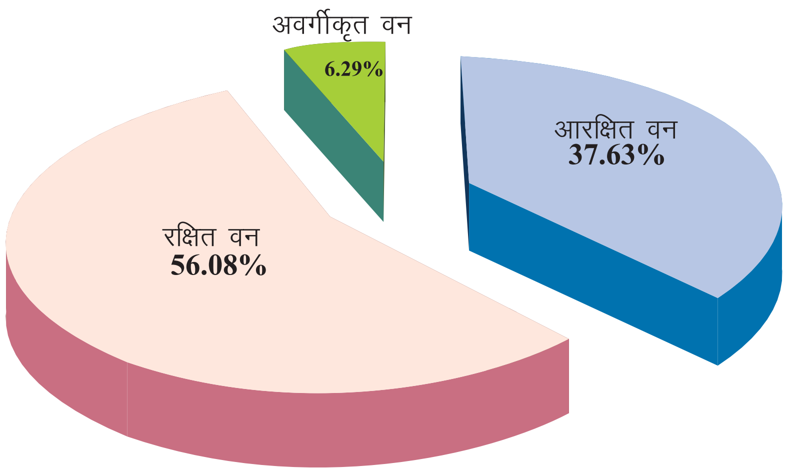

- **प्रदेश का वानिकी परिदृश्य : एक दृष्टि में**
  - अभिलेखित वन (**Recorded Forests**) : 32,828.37 वर्ग किमी.
    - * राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सापेक्ष : 9.59 प्रतिशत
  - वन आवरण (**Forest Cover**) : 16,171 वर्ग किमी.

(भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून की भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार)

ग्रीन वॉश के अन्तर्गत वनावरण

अत्यन्त सघन वन (छत्र घनत्व 70% से अधिक)	72 वर्ग कि.मी.
सामान्य सघन वन (छत्र घनत्व 40 से 70% तक)	3,969 वर्ग कि.मी.
खुले वन (छत्र घनत्व 10 से 40% तक)	7,833 वर्ग कि.मी.
योग	11,874 वर्ग कि.मी.

ग्रीन वॉश के बाहर वनावरण

अत्यन्त सघन वन	4 वर्ग कि.मी.
सामान्य सघन वन	457 वर्ग कि.मी.
खुले वन	3,836 वर्ग कि.मी.
योग	4,297 वर्ग कि.मी.

कुल वनावरण (Forest Cover)	16,171 वर्ग कि.मी.
वृक्षावरण (Tree Cover)	8,269 वर्ग कि.मी.
कुल वनावरण एवं वृक्षावरण (Total Forest Cover & Tree Cover)	24,440 वर्ग कि.मी.
प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षावरण	0.036 है.
राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का	7.14%
भारत के वन एवं वृक्षावरण का	3.08%

राज्य में जिलेवार उपलब्ध वन क्षेत्र एवं वनावरण का विवरण परिशिष्ट 1 व 5 पर दृष्टव्य है।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान में छाई हरितिमा छाया : देवेन्द्र भारद्वाज

2

प्रशासनिक तंत्र एवं कार्यप्रणाली

छाया : मुकेश सैनी

वन प्रशासन :

वनों की प्रभावी सुरक्षा, संरक्षण एवं समुचित विकास की सुनिश्चितता के लिए एक सुदृढ़ एवं संवेदनशील, प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता है। विभाग के द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों, योजनाओं एवं परियोजनाओं की सफलता के लिए विभाग में पदस्थापित अधिकारियों एवं अधीनस्थ वनकर्मियों में समुचित कार्य विभाजन किया जाकर आयोजना निर्माण, क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन के लिए अलग-अलग स्तर बनाए जाकर समुचित एवं पर्याप्त मात्रा में वनकर्मियों की उपलब्धता, उनका प्रशिक्षित एवं दक्ष होना विशेष महत्त्व रखता है। सरकारी, सामुदायिक भूमि से मृदा के कटान को रोकने व जल का प्रभावी संग्रहण, संचयन एवं संरक्षण करने तथा वनों के संरक्षण एवं विकास में स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने संबंधी मानसिकता वन अधिकारियों/ कर्मचारियों में विकसित करने को दृष्टिगत रखते हुए विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की गयी है। विभाग के प्रशासनिक तंत्र को कार्य की प्रकृति के अनुरूप मुख्यत: निम्न तीन स्तरों में विभक्त किया जा सकता है :

• उच्च स्तरीय प्रशासन :

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स), राजस्थान, विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा विभाग की सम्पूर्ण गतिविधियों पर प्रशासनिक नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान द्वारा राज्य में वन क्षेत्रों के सीमांकन एवं बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यों, कार्य आयोजना तैयार करने, नदी घाटी एवं बाढ़ सम्भावित नदी परियोजनाएं, वन उत्पादन, तेन्दूपत्ता संबंधी कार्यों का स्वतंत्र रूप से देख-रेख एवं प्रबन्ध के उत्तरदायित्व का निर्वाह किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर द्वारा प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों की देखरेख एवं नियंत्रण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षकगणों को दायित्व निर्वहन में सहयोग प्रदान करने एवं विशिष्ट योजनाओं की सुचारु क्रियान्विति के लिए राज्य में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण एवं मुख्य वन संरक्षकगण पदस्थापित हैं। वन

सीता माता अभयारण्य का सौन्दर्य

विभाग की विभिन्न परियोजनाओं, गतिविधियों के प्रभावी संचालन हेतु राज्यादेश दिनांक 12.05.2017 से अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगणों को विभिन्न वृत्त क्षेत्रों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, वन्य जीव प्रबन्धन सम्बन्धी कार्य का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करते हैं।

- **मध्यम स्तरीय प्रशासन :**

मध्यम स्तरीय वन प्रशासन को राजस्व प्रशासन के अनुरूप बनाया गया है। वन संभाग एवं राजस्व संभाग में बेहतर समन्वय बनाए रखने के लिए संभागीय स्तर पर मुख्य वन संरक्षकों के पद सृजित किए गये हैं। दिनांक 02.01.2014 से सभी संभागीय मुख्य वन संरक्षकों को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) के नियंत्रण में किया गया है। राज्य के सभी सातों क्षेत्रीय सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों का कार्य क्षेत्र राजस्व संभागों के अनुरूप है।

इन सम्भागीय मुख्य वन संरक्षकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में एक–एक वन संरक्षक का पद भी है। सम्भाग स्तर पर कार्यरत वन संरक्षक कार्यालयों का सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में विलयन किया जा चुका है। ये वन संरक्षक, सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में वरिष्ठतम सहयोगी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनके कर्तव्यों का निर्धारण पृथक् से कर दिया गया है। ये वन संरक्षक, जिला वन विकास अभिकरणों के अध्यक्ष के कार्य के साथ–साथ सौंपे गए अन्य दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। प्रत्येक संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में एक–एक कार्य आयोजना अधिकारी का पद सृजित किया गया है इनके द्वारा संबंधित संभाग के विभिन्न वन मण्डलों की कार्य योजना तैयार की जाएगी। ये अधिकारी कार्य आयोजना सम्बन्धी कार्य का निष्पादन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त) के नियंत्रण व निर्देशों के अनुरूप कर रहे हैं। भू–राजस्व का अभिलेख भी यही अधिकारी रखेंगे। इनमें से कार्य आयोजना अधिकारी के चार पद क्रमशः कोटा, जयपुर, उदयपुर तथा बीकानेर, भारतीय वन सेवा के तथा शेष तीन पद जोधपुर, भरतपुर व अजमेर राज्य वन सेवा के रखे गए हैं। प्रशासनिक कार्यों की देखरेख के लिए मुख्य वन संरक्षकों के अधीन उप वन संरक्षक (प्रशासन) तथा प्रत्येक संभाग के मूल्यांकन व प्रबोधन कार्यों के लिए एक पृथक् उप वन संरक्षक के नेतृत्व में पी. एण्ड एम. इकाई गठित की गई है। उप वन संरक्षक, मूल्यांकन एवं प्रबोधन अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) के नियंत्रण में कार्य कर रहे हैं। विधि संबंधी कार्यों में सहायता हेतु प्रत्येक संभाग में उप वन संरक्षक (विधि) का पद सृजित किया गया है।

इसी प्रकार वन्य जीव प्रबन्धन के लिये राज्य में मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव क्रमशः जयपुर, कोटा, उदयपुर व जोधपुर एवं मुख्यवन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक सरिस्का बाघ परियोजना अलवर तथा मुख्यवन संरक्षक एवं निदेशक रणथम्भोर बाघ परियोजना सवाईमाधोपुर में कार्यरत है।

प्रत्येक जिले में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उप वन संरक्षक पदस्थापित हैं। प्रत्येक वन मण्डल में सामान्यतया दो उप खण्ड बनाए गए हैं। इन उप खण्डों में सहायक वन संरक्षकों को पदस्थापित किया गया है। सामान्यतया एक उप खण्ड 3 से 4 रेंजों का है। उप खण्ड प्रभारी सहायक वन संरक्षकों के कार्य–दायित्व पृथक् से निर्धारित किए गये हैं। इस प्रणाली से वन एवं वन्य जीव सुरक्षा एवं प्रबन्धन कार्यों का समुचित पर्यवेक्षण किया जा सकेगा। ये अधिकारी अपने अधिकारिता क्षेत्र में वनों एवं वन्य जीवों के संरक्षण के साथ–साथ वानिकी विकास कार्यों का निष्पादन भी कराते हैं। प्रादेशिक वन मण्डलों के अतिरिक्त विभागीय कार्य योजना, वन्य जीव संरक्षण एवं विशिष्ट योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पृथक से आवश्यकतानुसार उप वन संरक्षकगण भी कार्यरत हैं।

• कार्यकारी स्तर :

वन मण्डल के अधीन सामान्यत: 5 से 7 वन रेंज (Forest Ranges) होती हैं। प्रत्येक रेंज के प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी होते हैं। प्रत्येक रेंज 4 से 6 नाकों में विभक्त होती है। नाका प्रभारी वनपाल/सहायक वनपाल होते हैं। प्रत्येक नाके का क्षेत्र बीट में बंटा होता है, जिसका प्रभारी वन रक्षक अथवा गेम वाचर होता है। 'बीट' वन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती है।

विशिष्ट योजनाओं/कार्यों के निष्पादन हेतु नाकों एवं बीट के स्थान पर कार्य स्थल प्रभारी पदस्थापन की व्यवस्था प्रचलित है।

वन सेवा :

प्रशासनिक तंत्र के विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों–कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए वन सेवा का गठन किया जाकर भर्ती सम्बन्धी प्रत्येक सेवा के लिए विस्तृत एवं सुस्पष्ट सेवा नियम बनाये गये हैं। राज्य में विभिन्न वन सेवा संवर्गों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कार्मिकों की दिनांक 31.12.2017 को स्थिति अग्रानुसार है:–

• भारतीय वन सेवा

(Indian Forest Service) :

भारतीय वन सेवा के राजस्थान संवर्ग में 145 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में राज्य में 88 अधिकारी विभाग में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं तथा 13 अधिकारी विभाग से बाहर विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। भा.व.से. के 8 अधिकारी राज्य के बाहर प्रतिनियुक्ति पर हैं, 3 अधिकारी सहायक वन संरक्षक के पद पर कार्यरत हैं तथा 7 अधिकारी प्रशिक्षण में हैं एवं 3 अधिकारी ''आदेशों की प्रतीक्षा'' में हैं।

क्र. सं.	पद नाम	पद स्थापन का विवरण			रिक्त पद
		कैडर में पद	एक्स कैडर में	कुल पद	
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2	2	4	–
2.	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	6	19	25	06
3.	मुख्य वन संरक्षक	21	16	37	14
4.	वन संरक्षक	16	8	24	08
5.	उप वन संरक्षक	44	15	59	17
	योग	89	60	149	45

- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारतीय वन सेवा के निम्न अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं / हो रहे हैं :**

क्र.सं.	नाम अधिकारी	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	श्री अमरीक सिंह गुरु	30.04.2017
2.	श्री लक्ष्मण लाल	31.05.2017
3.	श्री कैलाश चन्द सकरवाल	30.06.2017
4.	श्री बुद्धिप्रकाश पारीक	31.07.2017
5.	श्री धर्मपाल सिंह	31.07.2017
6.	श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा	31.08.2017
7.	श्री मनीराम पूनिया	31.12.2017
8.	श्री पी.एम. सेवदा	31.03.2018

- **राजस्थान वन सेवा (Rajasthan Forest Service) :**

क्र.सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	उप वन संरक्षक (हायर सुपर टाइम स्केल)	05	05
2.	उप वन संरक्षक (सुपर टाइम स्केल)	26	26
3.	उप वन संरक्षक (सलेक्शन स्केल)	52	14
4.	उप वन संरक्षक (सीनियर स्केल)	78	56
5.	सहायक वन संरक्षक (जूनियर स्केल)	268	153
	योग	429	254

- **अभियांत्रिकी सेवा (Engineering Service) :**

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	अधिशाषी अभियंता	4	1
2.	सहायक कृषि अभियंता	3	3
	योग	7	4

- **राजपत्रित संवर्ग के अन्य अधिकारियों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण :**

क्र.सं.	पद नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त पद
1.	राजपत्रित संवर्ग में विभिन्न संवर्ग के अधिकारीगण	130	55

• राजस्थान अधीनस्थ वन सेवा के अधिकारियों के स्वीकृत/रिक्त पदों का विवरण :

क्र.सं.	पद नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
1.	क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम	258	75	183
2.	जू-अधीक्षक	1	0	1
3.	क्षेत्रीय द्वितीय	451	371	80
4.	जू-सुपरवाइजर	4	2	2
5.	वनपाल	979	785	194
6.	सहायक वनपाल	1498	1158	340
7.	वनरक्षक	4467	3426	1041
	योग	7658	5817	1841

• लेखा संवर्ग एवं तकनीकी सेवा के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण :

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	लेखा संवर्ग एवं तकनीकी संवर्ग	741	481	260

• विशेष बाघ संरक्षण बल रणथम्भौर सवाई माधोपुर के गठन हेतु स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण :

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
	विशेष बाघ संरक्षण बल रणथम्भौर सवाईमाधोपुर	112	81	31

• मंत्रालयिक सेवा के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण :

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
	मंत्रालयिक संवर्ग	991	718	273

• चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण :

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
1.	चतुर्थ श्रेणी संवर्ग कर्मचारीगण	413	391	22

• विभाग में सीधी भर्ती नियुक्ति सम्बन्धी विवरण :-

वर्ष 2015-16 में विभाग द्वारा वनपाल के 238 एवं वनरक्षक के 1800 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु दिनांक 26.10.2015 को संशोधित विज्ञप्ति जारी की गयी थी। 2016-17 एवं 2017-18 में दिनांक 1.12.2017 तक विभाग में वनपाल के 228 एवं वनरक्षक के 1774 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है।

• अनुकम्पात्मक नियुक्ति का विवरण:-

01.01.2017 से 31.12.2017 तक सीधी भर्ती के पदों पर निम्नानुसार अनुकम्पात्मक नियुक्तियां दी गई हैं:-

क्र.सं.	पदनाम	दी गई नियुक्तियों की संख्या
1.	कनिष्ठ लिपिक	16
2.	वनपाल	54
3.	वनरक्षक	14
4.	चालक	1
5.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	19
	योग	104

• पदोन्नतियों का विवरण :-

विभाग में अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक संवर्ग में वर्ष 2017-18 में अब तक विभागाध्यक्ष स्तर पर निम्नानुसार पदोन्नतियां दी गई हैं:-

क्र.सं.	पदनाम	दी गई पदोन्नतियों की संख्या	डी.पी.सी. वर्ष
1.	प्रशासनिक अधिकारी	3	2015-16
2.	क्षेत्रीय द्वितीय (वनपाल से)	85	2016-17
3.	कार्यालय अधीक्षक (कार्यालय सहायक से)	20	2017-18
4.	कार्यालय सहायक (वरिष्ठ लिपिक से)	85	2014-15
5.	वरिष्ठ लिपिक (कनिष्ठ लिपिक से)	42	2014-15
6.	निजी सचिव (वरिष्ठ निजी सहायक से)	2	2017-18
7.	निजी सहायक (आशुलिपिक से)	1	2014-15
8.	प्रारूपकार	2	2016-17
9.	अनुसंधान सहायक (सा.अव.कम.साद. विश्लेषक से)	1	2015-16
	योग	241	

• वरिष्ठता सूचियों का वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में निम्नानुसार प्रकाशन किया गया है:-

क्र.सं.	पदनाम	आदेश क्रमांक/दिनांक	विशेष विवरण
1.	कार्यालय अधीक्षक कम सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1452-1471/सी/ दिनांक 11.04.2017	01.04.2017 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
2.	आशुलिपिक	1747-1878/सी/ दिनांक 26.04.2017	01.04.2017 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
3.	सहायक कार्यालय अधीक्षक	2315-2425/सी/ दिनांक 22.05.2017	01.04.2017 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
4.	लिपिक ग्रेड-I	311-421/सी/ दिनांक 22.05.2017	01.04.2016 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
5.	निरीक्षक	2470/सी/ दिनांक 24.05.2017	01.04.2017 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
6.	अमीन	2446/सी/ दिनांक 24.05.2017	01.04.2017 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
7.	वरिष्ठ लिपिक कम स्वागतकर्ता	1547-1551/सी/ दिनांक 02.06.2016	01.04.2016 की स्थिति अनुसार
8.	वनपाल	2845/सी/ दिनांक 10.08.2017	01.04.2017 की स्थिति अनुसार प्रोविजनल वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
9.	ट्रेसर	3178/सी/ दिनांक 06.09.2017	01.04.2017 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
10.	निजी सहायक	3364-3439 सी/ दिनांक 19.09.2017	01.04.2017 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
11.	प्रारूपकार	3454/सी/ दिनांक 10.10.2017	01.04.2017 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
12.	सर्वेयर/फील्डमेन	3574/सी/ दिनांक 10.10.2017	01.04.2016 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
13.	कनिष्ठ अभियंता	3803/सी/ दिनांक 23.10.2017	01.04.2017 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	5783-5892/सी/ दिनांक 26.12.2017	01.04.2017 की स्थिति अनुसार प्रोविजनल वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
15.	लिपिक ग्रेड-II	5899-6009/सी/ दिनांक 27.12.2017	01.04.2016 की स्थिति अनुसार अंतिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन

श्रम अनुभाग की सूचना निम्नानुसार है:-

1. विभाग में कार्य प्रभारित कर्मचारियों की संख्या 5274 है।
2. श्रमिकों के विभिन्न न्यायालयों में 149 आदेश विभाग के पक्ष में तथा 46 आदेश विभाग के विरुद्ध प्राप्त हुए हैं।
3. विभाग में विभिन्न न्यायालयों के आदेशों की पालना हेतु 57 प्रकरणों में राशि रुपये 74,81,008/- के भुगतान हेतु स्वीकृतियाँ प्राप्त की गईं।

सूचना का अधिकार सम्बन्धित कार्य

राज्य सरकार ने दिनांक 03.05.2007 के आदेश में दिनांक 5.5.2011 को आंशिक संशोधन कर शासन सचिवालय स्तर पर शासन उप सचिव, राज्य लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित किए गए हैं।

इस क्रम में विभाग ने दिनांक 12.04.2016 व 18.11.2016 को संशोधित आदेश जारी कर राज्य में 94 सहायक लोक सूचना अधिकारी, 94 लोक सूचना अधिकारी व 23 अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर के कार्यालय में प्राप्त आवेदन पत्रों / अपीलों का विवरण निम्नानुसार है :

प्राप्त आवेदनों का निस्तारण

क्र.सं.	वर्ष	अप्रैल से मार्च तक की स्थिति	निस्तारण	लंबित
1.	2014-15	279	279	-
2.	2015-16	329	329	-
3.	2016-17	316	316	-
4.	अप्रैल, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की स्थिति	205	196	9

प्राप्त अपीलों का निस्तारण

क्र.सं.	वर्ष	अप्रैल से मार्च तक की स्थिति	निस्तारण	लंबित
1.	2014-15	8	8	-
2.	2015-16	12	12	-
3.	2016-17	16	16	-
4.	1 अप्रैल, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक की स्थिति	19	16	3

विभाग में प्राप्त आवेदन पत्रों / अपीलों का विवरण निम्नानुसार है :

प्राप्त आवेदनों का निस्तारण

क्र.सं.	वर्ष	अप्रैल से मार्च तक की स्थिति	निस्तारण	लंबित
1.	2014-15	2192	2192	0
2.	2015-16	3340	3340	0
3.	2016-17	3671	3671	0

प्राप्त अपीलों का निस्तारण

क्र.सं.	वर्ष	अप्रैल से मार्च तक की स्थिति	निस्तारण	लंबित
1.	2014-15	229	229	0
2.	2015-16	277	277	0
3.	2016-17	346	346	0

विधानसभा प्रश्न एवं आश्वासन

14वीं विधानसभा में वन विभाग को प्राप्त विधानसभा प्रश्नों / ध्यानाकर्षण / विशेष उल्लेख / स्थगन / आश्वासन के प्रत्युत्तर की अद्यतन स्थिति (31.12.2017 को):

प्रथम सत्र

क्र.सं.	प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त	विधानसभा / राज्य सरकार को उत्तर प्रेषित	बकाया
1	तारांकित प्रश्न	9	9	0
2	अतारांकित प्रश्न	18	18	0
3	ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख/ स्थगन प्रस्ताव	2	2	0
4	अत: सत्र काल	1	1	0
5	आश्वासन	0	0	0
	योग	**30**	**30**	**0**

द्वितीय सत्र

क्र.सं.	प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त	विधानसभा / राज्य सरकार को उत्तर प्रेषित	बकाया
1	तारांकित प्रश्न	59	59	0
2	अतारांकित प्रश्न	44	44	0
3	ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख/ स्थगन प्रस्ताव	16	16	0
4	अत: सत्र काल	1	1	0
5	आश्वासन	4	4	0
	योग	**124**	**124**	**0**

तृतीय सत्र

क्र.सं.	प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त	विधानसभा / राज्य सरकार को उत्तर प्रेषित	बकाया
1	तारांकित प्रश्न	0	0	0
2	अतारांकित प्रश्न	0	0	0
3	ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख/ स्थगन प्रस्ताव	3	3	0
4	अत: सत्र काल	0	0	0
5	आश्वासन	0	0	0
	योग	**3**	**3**	**0**

चतुर्थ सत्र

क्र.सं.	प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त	विधानसभा / राज्य सरकार को उत्तर प्रेषित	बकाया
1	तारांकित प्रश्न	52	52	0
2	अतारांकित प्रश्न	54	54	0
3	ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख/ स्थगन प्रस्ताव	19	19	0
4	अत: सत्र काल	1	1	0
5	आश्वासन	5	4	1
	योग	**131**	**130**	**1**

पंचम सत्र

क्र.सं.	प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त	विधानसभा / राज्य सरकार को उत्तर प्रेषित	बकाया
1	तारांकित प्रश्न	12	12	0
2	अतारांकित प्रश्न	15	15	0
3	ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख/ स्थगन प्रस्ताव	2	2	0
4	अत: सत्र काल	0	0	0
5	आश्वासन	6	5	1
	योग	**35**	**34**	**1**

षष्टम सत्र

क्र.सं.	प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त	विधानसभा / राज्य सरकार को उत्तर प्रेषित	बकाया
1	तारांकित प्रश्न	57	57	0
2	अतारांकित प्रश्न	72	70	2
3	ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख/ स्थगन प्रस्ताव	16	15	1
4	अत: सत्र काल	0	0	0
5	आश्वासन	6	5	1
	योग	**151**	**147**	**4**

सप्तम सत्र

क्र.सं.	प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त	विधानसभा / राज्य सरकार को उत्तर प्रेषित	बकाया
1	तारांकित प्रश्न	11	10	1
2	अतारांकित प्रश्न	31	31	0
3	ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख/ स्थगन प्रस्ताव	0	0	0
4	अत: सत्र काल	1	1	0
5	आश्वासन	0	0	0
	योग	**43**	**42**	**1**

अष्टम सत्र

क्र.सं.	प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त	विधानसभा / राज्य सरकार को उत्तर प्रेषित	बकाया
1	तारांकित प्रश्न	79	74	5
2	अतारांकित प्रश्न	78	74	4
3	ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख/ स्थगन प्रस्ताव	18	17	1
4	अत: सत्र काल	1	1	0
5	आश्वासन	0	0	0
	योग	**176**	**166**	**10**

नवम सत्र

क्र.सं.	प्रश्न का प्रकार	कुल प्राप्त	विधानसभा / राज्य सरकार को उत्तर प्रेषित	बकाया
1	तारांकित प्रश्न	9	5	4
2	अतारांकित प्रश्न	14	8	6
3	ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख/ स्थगन प्रस्ताव	2	2	0
4	अत: सत्र काल	2	0	2
5	आश्वासन	1	0	1
	योग	**28**	**15**	**13**
	महायोग	**721**	**691**	**30**

विधिक कार्य

विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार के विरुद्ध व राज्य सरकार की ओर से दायर लंबित प्रकरणों के प्रभावी नियंत्रण व प्रबोधन हेतु प्रकरणों की सूचना को संकलित/समेकित कराने तथा उनकी प्रभावी निगरानी के उद्देश्य से 12 प्रपत्रों (Formats) को Litigation Information Tracking & Evaluation System (LITES) Website पर समय-समय पर अपडेट किया जाता है।

वन विभाग द्वारा अपने जिला स्तरीय कार्यालयों से प्राप्त सूचनाओं व मुख्यालय स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को निरन्तर न्याय विभाग की बेबसाइट पर दर्ज कराया जा रहा है।

विभाग से संबंधित 4291 न्यायिक प्रकरणों में से वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 22 प्रकरण, माननीय उच्च न्यायालय में 1384 प्रकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायालय (N.G.T.) में 19 एवं अधीनस्थ न्यायालयों में 2700 प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनोखी पहल

छाया सौजन्य : दारा सिंह

रेंज दरियावत परिसर में अपने जन्मदिन पर पौधारोपण करते वनकर्मी

लेखा अनुभाग सम्बन्धी प्रगति

गत वर्षों में प्रेषित सूचना का विवरण (सारणी):–

क्र.सं.	विवरण	01.4.2014 को बकाया		निस्तारण 2014–15		01.04.2015 को बकाया		निस्तारण 2015–16		1.4.2016 को बकाया		निस्तारण 2016–17		31.03.2017 को लम्बित	
		प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा	प्रतिवेदन	पैरा
1.	सीएजी प्रतिवेदन	1	1	2	7	2	2	3	13	1	2	2	7	1	4
2.	जनलेखा समिति	1	8	2	10	1	1	1	1	4	61	3	58	2	57
3.	ड्राफ्ट पैरा	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–
4.	तथ्यात्मक विवरण	–	–	–	2	–	–	–	2	–	1	–	1	–	1
5.	महालेखाकार के आक्षेप	457	1464	96	257	361	1207	26	80	335	1127	–	–	338	1206
6.	निरीक्षण विभाग	63	444	4	60	62	447	19	192	65	483	–	–	76	497

3

वन सुरक्षा

छाया सौजन्य : दाता राम

वन विभाग का एक प्रमुख कार्य मौजूदा संरक्षित क्षेत्रों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करना है। इसके लिए वन विभाग अपने कर्मचारियों के माध्यम से विधि प्रवर्तन तथा अवैध खनन, अतिक्रमण, चराई, छंगाई, वन उपज की चोरी, तस्करी एवं वन्य जीव सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम करता है। वन संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा की जा रही गतिविधियां इस प्रकार हैं :-

गश्तीदलों का गठन :

वन क्षेत्रों में वन अपराधों पर नियंत्रण एवं इनकी रोकथाम की प्रभावी कार्यवाही हेतु नियमित पदस्थापित स्टाफ के अतिरिक्त संवेदनशील क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव सम्पदा की सुरक्षार्थ गश्त हेतु गश्तीदलों का गठन किया गया है। इन गश्तीदलों द्वारा आकस्मिक चैकिंग कर वन अपराधों पर त्वरित कार्यवाही की जाती है। विभाग में वर्तमान में कुल 10 गश्तीदल संभागीय एवं वन्यजीव मुख्य वन संरक्षकों के नियंत्रण अधीन कार्यरत है।

वायरलैस प्रणाली :

वन क्षेत्रों में घटित होने वाले वन अपराधों पर प्रभावी रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए सशक्त सूचना सम्प्रेषण का माध्यम स्थापित किया जाना अतिआवश्यक है। सुदूरवर्ती वन नाके/चौकियों पर स्थापित किये गये वायरलेस सेट्स सूचना सम्प्रेषण किये जाने में काफी प्रभावी सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विभाग में लगभग 1010 वायरलेस सेट्स हैं जिनमें से फिक्स्ड सेट्स की संख्या 663, वाहनों पर मोबाइल सेट्स 58 तथा हैण्डसेट्स 289 हैं।

वन कर्मियों को हथियार उपलब्ध कराना:

वर्तमान युग में वन अपराधी द्रुतगति वाले वाहनों एवं आधुनिक हथियारों का उपयोग करते हैं। इसका सामना करने हेतु विभाग में वर्तमान में 32 रिवॉल्वर एवं 62 डीबीबीएल गन वन कर्मियों को आत्मरक्षा एवं वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु उपलब्ध करायी गयी है।

वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाते हुए वनकर्मी

छाया सौजन्य : दाता राम

घायल जरख को रेस्क्यू करते वनकर्मी

छाया सौजन्य : दारा सिंह

अतिक्रमण

वनभूमि से अतिक्रमियों को बेदखल करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित सहायक वन संरक्षकों को भू-राजस्व अधिनियम की धारा-91 के अन्तर्गत तहसीलदार की समस्त शक्तियों एवं कर्तव्यों के प्रयोग हेतु अधिकृत किया गया है। इन प्रावधानों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 30.09.2017 तक प्राप्त सूचना अनुसार वनभूमि पर कुल 9073 प्रकरण अतिक्रमण के दर्ज हैं जिसमें 10544.22 हैक्टेयर वन क्षेत्र शामिल था। इनमें से दिनांक 30.09.2017 तक प्राप्त सूचना अनुसार कुल 1811 प्रकरणों का निस्तारण कर कुल 1392.69 हैक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया एवं बतौर मुआवजा राशि रुपये 26.77 लाख वसूल की गई है।

अवैध खनन

राज्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 30.09.2017 तक अवैध **खनन** के कुल 2335 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें से कुल 379 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 95.55 लाख वसूल किया गया।

अवैध कटान

राज्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 30.09.2017 तक अवैध कटान के कुल 2242 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें से कुल 692 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 22.01 लाख वसूल किया गया।

अवैध चराई

राज्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 30.09.2017 तक अवैध चराई के कुल 2916 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें से कुल 2241 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 26.34 लाख वसूल किया गया।

वन्यजीव अपराध

राज्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 30.09.2017 तक वन्यजीव के कुल 1406 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 43 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 4.14 लाख वसूल किया गया।

अन्य वन अपराध

राज्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 30.09.2017 तक अन्य वन अपराध के कुल 1826 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 517 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 24.56 लाख वसूल किया गया।

पेड़ों की छंगाई एवं शाखा तराशी

राज्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 30.09.2017 तक पेड़ों की छंगाई एवं शाखा तराशी के कुल 331 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें से कुल 166 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 3.20 लाख वसूल किया गया।

सीमा चिन्हों की तोड़फोड़, परिवर्तन एवं विवरण

राज्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 30.09.2017 तक सीमा चिन्हों की तोड़फोड़, परिवर्तन एवं विवरण के कुल 8 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें कुल 1 प्रकरण निर्णित किया जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 0.11 लाख वसूल किया गया।

अवैध परिवहन

राज्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 30.09.2017 तक अवैध परिवहन के कुल 826 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें से कुल 250 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 57.33 लाख वसूल किया गया।

अवैध आरामशीन

राज्य में वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिनांक 30.09.2017 तक अवैध आरामशीन के कुल 1249 प्रकरण दर्ज हैं। इनमें से कुल 157 प्रकरण निर्णित किये जाकर बतौर मुआवजा राशि रुपये 11.21 लाख वसूल किया गया।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों को वनाधिकार पत्र जारी करना

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) एवं नियम, 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के तहत आदिवासियों द्वारा वनभूमि पर दिनांक 13.12.2005 से पूर्व किये गये कब्जों का अधिकार पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अधिनियम की क्रियान्विति के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग नोडल विभाग है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत उप मण्डल स्तरीय एवं जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है जिसमें वन अधिकारियों को भी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। वन अधिकारों की पहचान करने हेतु ग्रामसभाओं द्वारा ''वन अधिकार समितियां'' गठित की गई है। जिनके द्वारा ग्रामसभाओं को प्रेषित दावों की छानबीन कर अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है। उप मण्डल स्तरीय समिति के पास ग्रामसभाओं से प्राप्त प्रस्तावों का कमेटी द्वारा परीक्षण कर अपनी अभिशंषा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित की जाती है। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का परीक्षण कर वन अधिकार पत्र दिये जाने के बारे में निर्णय लिया जाता है।

प्रदेश में दिनांक 30.10.2017 तक कुल 73,827 दावें विभिन्न ग्राम सभाओं में प्राप्त हुए। इनमें से कुल 36,990 दावे ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत किये गये तथा 34,231 दावे स्वीकृति योग्य नहीं पाये जाने के कारण निरस्त किये गये। इस प्रकार कुल प्राप्त दावों 73,827 में से 71,221 दावे निर्णित किए जा चुके हैं। इनमें से 36,877 व्यक्तिगत अधिकार पत्र तथा 88 सामुदायिक अधिकार पत्र जारी किये जा चुके हैं। 2206 दावें उपखण्ड स्तरीय समिति/जिला स्तरीय समिति स्तर पर विचाराधीन हैं।

छाया सौजन्य : संजय गुप्ता

छाया सौजन्य : सुनील सिंह

विशिष्ट उपलब्धियां

1. राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में जारी नोटिफिकेशन दिनांक 25.10.2017 द्वारा बाँस की प्रजाति Dendrocalamus strictus जो कुछ जिलों में छोड़कर राज्य में परिवहन हेतु पारपत्र की आवश्यकता से मुक्त हैं, के साथ-साथ बाँस की अन्य सभी प्रजातियों को पूरे राज्य में परिवहन हेतु पारपत्र की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है, जिससे किसान अपनी वन उपज का विक्रय कर लाभान्वित हो सकें।
2. राजस्थान वन (उपज परिवहन) नियम, 1957 के नियम 2 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में अधिसूचना संख्या एफ. 15 (33) वन/98 दिनांक 28.04.2017 से 29 वृक्ष प्रजातियों की टिम्बर को परिवहन पारपत्र से मुक्त कर राज्य के कृषकों को राहत प्रदान की गई है। इनकी सूची इस प्रकार है:

राजस्थान में परिवहन पार-पत्र (Transit Pass) से मुक्त की गई वृक्ष प्रजातियों की सूची

1. Casuarina (Casuarina equisetifolia)
2. Australian babul (Acacia auriculiformis)
3. Khamer (Gmelina arborea)
4. Cassia Siamea
5. Gulmohar (Delonix regia)
6. Jaccaranda (Jaccaranda mimusifolia)
7. Silver Oak (Grevillea robusta)
8. Palm (Palm species)
9. Ber (Zizyphus jujuba)
10. Mulberry (Morus alba)
11. Katahal (Artrocarpus heterophyllus)
12. Amrood (Psidium guava)
13. Sehjana (Moringa oleifera)
14. Molshri (Mimusops elengii)
15. Ashok (Polyalthea longifolia and Saraca asoca)
16. Putranjiva (Putranjiva roxburghii)
17. Imli (Tamarindus indica)
18. Jamun (Syzygium cumini)
19. Saptparni (Alstonia scholaris)
20. Kaitha (Feronia limonia)
21. Jungle Jalebi (Pithecellobium dulce)
22. Peltaphorum (Peltaphorum ferrugineum)
23. Bakain (Melia azadirach)
24. Karanj (Pongamia pinnata)
25. Safed Sirus (Albizzea procera)
26. Semal (Bombax ceiba)
27. Kapok (ceiba pentandra)
28. Churel (Holoptelia integrifolia)
29. Mithi Neem (Murraya koenigii)

वनभूमि डायवर्जन

राज्य में वनभूमि के डायवर्जन की स्थिति इस प्रकार है:-

Abstract of development projects under FCA 1980 as on 31.12.2017 (online & offline)

Department	Proposal under consideration with								
	User Agency	GOI	GOR	PCCF	CCF	DCF	Total no of cases under consideration	No of cases in which inprinciple sanction has been issued proposal still under consideration	Final Sanction issued from 1.1.17 to 31.12.2017
IRRIGATION	10	0	0	2	0	1	13	16	1
PHED	12	1	0	1	0	3	17	11	3
NHAI / PWD	3	1	0	3	0	0	7	16	4
RUIDP	2	0	0	0	0	0	2	1	0
RRVPNL	23	0	0	2	3	2	30	17	1
POWER GRID CORPORATION LTD.	2	0	0	0	0	0	2	3	0
INDIAN RAILWAY	2	0	0	0	0	0	2	6	0
PWD / PMGSY	71	0	0	31	2	10	114	53	11
OTHERS	90	4	4	22	2	1	123	19	13
Total	215	6	4	61	7	17	310	142	33

4

वानिकी विकास

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है, किन्तु राज्य का 9.59 प्रतिशत भू–भाग ही वन क्षेत्र है, जिसमें से भी पूर्ण वनाच्छादित क्षेत्र मात्र 4.70 प्रतिशत है। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के सम्पूर्ण भू–भाग के 20 प्रतिशत भाग को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय संतुलन बने रहने के साथ–साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लक्ष्यों की प्राप्ति भी संभव हो सकें।

प्रदेश की विषम परिस्थितियों यथा दो–तिहाई मरुप्रदेश, शुष्क जलवायु, अल्प वर्षा, वृक्षाच्छादित क्षेत्र की कमी एवं अत्यधिक जैविक दबाव के बावजूद वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्राकृतिक वनों की स्थिति को स्थानीय लोगों की सहभागिता एवं वन विकास के जरिये सुधारने की नितांत आवश्यकता है।

इसी के मद्देनजर विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक भू–भाग को वनाच्छादित किये जाने के उद्देश्य से वानिकी विकास को गति प्रदान की जा रही है। राज्य में वनीकरण गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने दिनांक 23.10.2012 को एक आदेश प्रसारित कर वन भूमि, सार्वजनिक अथवा संस्थागत भूमि पर वृक्षारोपण करने की इच्छुक शैक्षणिक संस्थाओं, राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं ट्रस्टों को मात्र एक रुपये प्रति पौधे की दर से पौधे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इसी प्रकार उपरोक्त संस्थाओं तथा भारत स्काउट एवं गाइड, एन.सी.सी. द्वारा बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण प्रस्ताव प्रेषित करने पर उन्हें कुछ शर्तों के अध्याधीन 1000 पौधे तक 1 रुपये प्रति पौधे की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। कोई संस्था या व्यक्ति विशेष क्षेत्र विशेष के स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करना चाहे तो उसे भी कतिपय शर्तों के अध्याधीन एक रुपये प्रति पौधा की दर से ही उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

प्रदेश में वन विभाग द्वारा कराये जा रहे वनारोपण, पौध

वितरण, पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं जल संरक्षण कार्यों का विस्तृत विवरण अग्रानुसार है:-

वृक्षारोपण एवं पौध वितरण कार्य :-

विषम पारिस्थितिकीय तंत्रों की विद्यमान, प्रतिकूल जलवायु एवं दो-तिहाई क्षेत्र मरु भूमि होने के कारण प्रदेश में वानिकी विकास एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वर्तमान में इस कार्यान्तर्गत वृक्ष विहीन पहाड़ियों पर पुनर्वनीकरण, परिभ्रांषित वनों की पुनर्स्थापना, पंचायत भूमि पर ईंधन वृक्षारोपण, प्राकृतिक वनों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों की उत्पादकता में संवृद्धि, उड़ती हुई रेत से नहर तंत्रों की सुरक्षा हेतु नहर किनारे वृक्षारोपण, ब्लॉक, वृक्षारोपण, उड़ती हुई रेत से आबादी क्षेत्रों, उपजाऊ कृषि भूमि एवं ढांचागत विकास अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों की सुरक्षार्थ टिब्बा स्थिरीकरण, पशुओं के लिए पर्याप्त एवं पौष्टिक चारा उत्पादन हेतु चारागाह विकास का कार्य वृक्षारोपण कर किया जा रहा है। पारिस्थितिकीय सुधार हेतु मृदा एवं वर्षा जल संग्रहण-संचयन एवं नमी संरक्षण हेतु उपयुक्त स्थलों पर जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण भी कराया जाता है। निजी भूमि पर वृक्षाच्छादन अभिवृद्धि हेतु इच्छुक व्यक्तियों, संस्थाओं एवं विभागों को रोपण के लिए बहुउपयोगी वृक्ष प्रजातियों के वांछित आनुवंशिकीय गुणवत्ता युक्त पौधे परम्परागत पौधशालाओं व उन्नत प्रौद्योगिकी पौधशालाओं में तैयार किये जाकर कृषि वानिकी के तहत वितरित किये जाते हैं।

वर्ष 2014-15 से चालू वर्ष 2017-18 में बीस सूत्री कार्यक्रम की उपलब्धियों की स्थिति निम्नानुसार है :-

कार्य का विवरण	उपलब्धि			लक्ष्य	उपलब्धि
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	(दिस., 17 तक)
बिन्दु सं. 51 (ए) पौधारोपण (हैक्टेयर)	70423	70893.00	66815	42000	42633
पौधारोपण (लाखों में) 51 (ब)	451.96	451.14	443.57	273.00	285.39

वन विकास की योजनाएँ

राज्य में वन विकास की कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। वन विकास के लिए राज्य सरकार एवं भारत सरकार के अतिरिक्त नाबार्ड एवं जापान इन्टरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी (जे.आई. सी.ए.), जापान से वित्तीय सहयोग प्राप्त हो रहा है।

- **राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-2**

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-2 जापान इन्टरनेशनल कॉ-ऑपरेशन एजेंसी (JICA) के वित्तीय सहयोग से राजस्थान राज्य के दस मरुस्थलीय जिले (सीकर, झुंझुनूं, चूरू, जालौर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर, बीकानेर) एवं पांच गैर मरुस्थलीय जिले (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही, जयपुर) तथा सात वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों (कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, फुलवाड़ी की नाल वन्यजीव अभयारण्य, जयसमंद वन्यजीव अभयारण्य, सीतामाता वन्य जीव अभयारण्य, बस्सी वन्यजीव अभयारण्य, केलादेवी वन्यजीव अभयारण्य, टाडगढ़-रावली वन्यजीव अभयारण्य) में क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु कुल 650 गांव (मरुस्थलीय जिलों में 363 गांव, गैर-मरुस्थलीय जिलों में 225 गांव व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों के दो किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में 62 गांव) को चिह्नित किया गया है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

''साझा वन प्रबंधन (JFM) की प्रक्रिया से कराये गये वृक्षारोपण एवं जैव विविधता संरक्षण के कार्यों के द्वारा वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि करना, जैव विविधता संरक्षित करना तथा वनों पर निर्भर जन-समुदाय के आजीविका के अवसरों को बढ़ाना और इस प्रकार राजस्थान प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान करना।''

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रत्येक चिह्नित गांव में तीन नये स्वयं सहायता समूहों का गठन करके अथवा पूर्व गठित

समूहों के कौशल में वृद्धि करते हुए आजीविका संवर्धन एवं गरीबी उन्मूलन कार्य किया जाएगा। इसके साथ ही परियोजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण तथा भू–जल संरक्षण कार्य भी किये जायेंगे। ग्रामवासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यदि कोई कार्य परियोजना में नहीं कराया जा सकता है तो अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर उस कार्य को ग्राम के समग्र विकास हेतु करवाया जाने का प्रयास किया जा रहा है।

8 वर्षीय यह परियोजना 2011–12 में प्रारम्भ की गई थी। इस परियोजना की कुल लागत ₹ 1152.53 करोड़ है। जिसमें से ₹ 884.77 करोड़ का ऋण JICA द्वारा व ₹ 267.76 करोड़ का राज्य सरकार का हिस्सा है।

परियोजना की कुल लागत ₹ 1152.53 करोड़ में कराए जाने वाले कार्यों का विवरण सारणी अग्रानुसार है।

रेंज शाहपुरा अधिनस्थ क्षेत्र के वृक्षारोपण में ट्रेंच माउंड पर बीज बुआई के उत्कृष्ठ परिणाम

छाया सौजन्य : योगेन्द्र सिंह काल्वी

रेंज शाहपुरा में वितरण हेतु पौध तैयारी

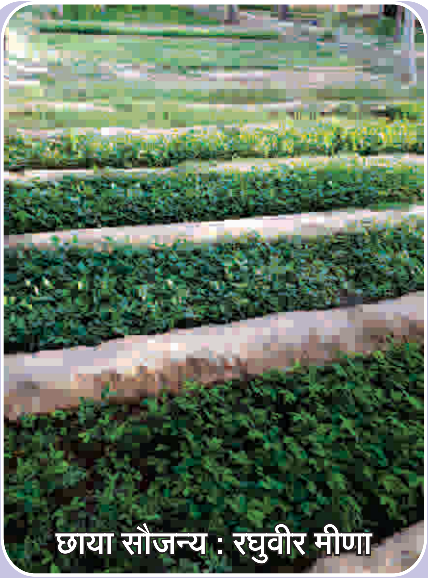

छाया सौजन्य : रघुवीर मीणा

परियोजना में कराये जाने वाले कार्य

(राशि करोड़ ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	योग
1.	वनीकरण	423.28
2.	कृषि वानिकी गतिविधियां	1.63
3.	जल संरक्षण संरचनाएं	46.92
4.	जैव विविधता संरक्षण	84.36
5.	गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सुधार	16.89
6.	समुदायों को गतिशील करना	65.42
7.	क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण एवं शोध	6.34
8.	परियोजना प्रबन्धन	29.82
9.	प्रबोधन एवं मूल्यांकन	5.90
10.	परियोजना प्रबंधन इकाई के लिए संविदा कार्यकार	14.96
	योग	695.52
11.	लागत वृद्धि	97.50
12.	फिजीकल कन्टिनजेंसी	79.30
13.	परामर्शकारी सेवाएं	12.47
14.	प्रशासनिक लागत	219.17
15.	वैट एवं आयात कर	14.00
16.	निर्माण अवधि का ब्याज	27.50
17.	कमिटमेंट प्रभार	7.07
	योग	457.01
	महायोग	1152.53

परियोजना कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ''राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण सोसायटी'' का गठन किया जाकर राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के तहत दिनांक 8 मार्च, 2011 को रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11 अप्रैल, 2011 को आदेश जारी कर राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता संरक्षण परियोजना फेज-2 हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन किया है।

सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र 27 मण्डल प्रबन्ध इकाइयों तथा 83 क्षेत्र प्रबन्ध इकाइयों में बांटा गया है। इस परियोजना के अन्तर्गत कार्य करवाने हेतु ग्राम को इकाई के रूप में लिया गया है। मण्डल प्रबंधन इकाई स्तर पर सूक्ष्म नियोजन, विकास कार्य करवाने, प्रशिक्षण देने, आजीविका संवर्द्धन की गतिविधियां संचालित करने एवं जन जागृति हेतु एक स्वयंसेवी संस्था का चयन किया गया है जो उपरोक्त कार्यों में मण्डल प्रबन्ध इकाई/क्षेत्रीय प्रबन्ध इकाई/वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति को सहयोग किया जा रहा है।

परियोजना प्रबन्ध इकाई के स्तर पर एक अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना प्रबन्ध सलाहकार समिति का भी नियोजन किया गया जिसमें अलग-अलग विषयों यथा वानिकी, आजीविका संवर्द्धन, साझा वन प्रबन्ध आदि के अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों की सेवाएं प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इस परियोजना में विषय विशेषज्ञों एवं अन्य स्टाफ की सेवाएं 'रिसोर्स आर्गनाईजेशन' के माध्यम से अनुबन्ध पर ली गई हैं, जिनमें वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक (जैव विविधता, साझा वन प्रबन्धक, व्यवसायी योजना एवं बाजार से जुड़ाव, संचार विस्तार एवं प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी, मूल्यांकन) व विभिन्न प्रोजेक्ट एक्जीक्यूटिव, ऑफिस एक्जीक्यूटिव आदि शामिल हैं।

परियोजना के अन्तर्गत किसी भी गांव में गतिविधि शुरू करने से पहले नियोजित स्वयंसेवी संस्था द्वारा विभागीय अधिकारियों एवं स्थानीय निवासियों की साझा भागीदारी से सूक्ष्म नियोजन (माइक्रोप्लान) तैयार किया गया है। परियोजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म नियोजन के आधार पर ग्राम्य वन सुरक्षा प्रबन्ध समिति द्वारा मण्डल प्रबन्धन इकाई/क्षेत्रीय प्रबंधन इकाई के निर्देशन में किया जा रहा है। परियोजना अन्तर्गत सभी गांवों में समितियों का गठन कर सूक्ष्म नियोजन कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

परियोजना के अन्तर्गत आठ वर्ष की अवधि में कुल 83650 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2017-18 में कुल 5758 हैक्टेयर क्षेत्र भूमि पर वृक्षारोपण कार्य कराए जाने का लक्ष्य है जिसमें से दिसम्बर, 2017 तक लगभग 5658 हैक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण कार्य कराया जा चुका है। अब तक परियोजना में कुल 83575 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया जा चुका है जो परियोजना लक्ष्य का लगभग 99.91 प्रतिशत है।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2011-12 से एक नये बायोलॉजिकल पार्क (माचिया बायोलॉजिकल पार्क, जोधपुर) का निर्माण तथा दो बायोलॉजिकल पार्क (सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, उदयपुर एवं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर) के विकास कार्य भी प्रारम्भ किये गये। सभी कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क अप्रैल, 2015, माचिया बायोलॉजिकल पार्क जनवरी, 2016 एवं नाहरगढ़ बायोलॉजिक पार्क जून, 2016 में जनता के लिए खोल दिये गये हैं।

आजीविका संवर्धन गतिविधियों के अन्तर्गत गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंत तक 1841 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका था। चालू वित्तीय वर्ष में माह दिसम्बर, 2017 तक 71 और नये स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाकर कुल 1912 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इन स्वयं सहायता समूहों का क्षमतावर्धन एवं रोजगार सृजन हेतु कार्य योजना निर्माण एवं वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है।

इसके अतिरिक्त कृषि वानिकी, जल संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, सामुदायिक संगठन तथा प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्य सम्बन्धित गतिविधियां भी क्रियान्वित की जा रही है।

वित्तीय प्रगति वर्ष 2017-18

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	मद	बजट अनुमान	दिसम्बर, 2017 तक उपलब्धि
1.	वनीकरण	6260.95	3699.62
2.	कृषि वानिकी गतिविधियां	54.74	4.81
3.	जल संरक्षण संरचनाएं	852.89	100.36
4.	जैव विविधता संरक्षण	600.02	292.99
5.	गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सुधार	458.50	17.98
6.	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं शोध	253.18	1.95
7.	समुदायों की गतिशीलता	547.97	18.26
8.	परियोजना प्रबन्ध	345.70	81.02
9.	प्रबोधन एवं मूल्यांकन	86.00	2.95
10.	परियोजना प्रबंधन इकाई हेतु संविदा कार्मिक	190.05	162.23
	योग	9650.00	4382.17
11.	प्रशासनिक लागत	150.00	92.83
	महायोग	9800.00	4475.00

भौतिक लक्ष्य एवं उपलब्धि वर्ष 2017-18

क्र.सं.	मद	इकाई	लक्ष्य अनुमान	दिसम्बर, 2017 तक उपलब्धियां
1.	**वनीकरण कार्य**			
अ.	वृक्षारोपण कार्य	है.	5758	5658
2.	**जल संरक्षण संरचनाएं**			
अ.	एनीकट टाइप-प्रथम	संख्या	198	36
ब.	एनीकट टाइप-द्वितीय	संख्या	128	9
स.	चैकडेम	घनमीटर	219	219
द.	कन्टूर बन्डिंग	रनिंग मी.	8722	4689
य.	परकोलेशन टेंक	संख्या	2	-
र.	सिल्ट डिटेंशन स्ट्रक्चर	संख्या	4	-
ल.	गैबियन स्ट्रक्चर	संख्या	2	1
3.	**जैव विविधता संरक्षण**			
अ.	डीएलटी वर्कस	हैं.	1004	694

गत तीन वर्षों की वित्तीय प्रगति

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	मद	2014–15	2015–16	2016–17
1.	वनीकरण	10147.71	16080.26	12030.25
2.	कृषि वानिकी गतिविधियां	0.05	3.39	35.75
3.	जल संरक्षण संरचनाएं	463.21	959.88	2714.52
4.	जैव विविधता संरक्षण	3464.10	1559.75	1178.55
5.	गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका सुधार	156.86	99.04	88.60
6.	क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं शोध	58.35	62.91	64.61
7.	समुदायों की गतिशीलता	1460.17	1104.24	1017.17
8.	परियोजना प्रबन्ध	314.62	355.06	260.48
9.	प्रबोधन एवं मूल्यांकन	64.63	36.86	13.08
10.	परियोजना प्रबंधन इकाई हेतु संविदा कार्मिक	267.45	254.27	245.96
	योग	16397.15	20515.66	17648.97
11.	प्रशासनिक लागत	102.30	104.74	111.14
	महायोग	16499.45	20620.40	17760.11

नाहरगढ जूलॉजिकल पार्क

छाया सौजन्य : संयोग मिश्रा

छाया सौजन्य : जगदीश गुप्ता

• नाबार्ड पोषित परियोजना

• Project for Development of water Catchment through Greening of Rajasthan (Phase-I) under RIDF-XVIII year 2012-13 to 2016-17

प्रदेश में जलग्रहण क्षेत्र के विकास द्वारा राजस्थान को हरा भरा बनाए जाने हेतु नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. XVIII अन्तर्गत वित्त पोषण से राज्य के 17 जिले (अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर) में पंचवर्षीय परियोजना अन्तर्गत 52,750 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण, भू एवं जल संरक्षण तथा कृषि वानिकी कार्यों हेतु राशि ₹ 336.65 करोड़ की प्रथम चरण की स्वीकृति प्राप्त की जाकर वर्ष 2012–13 से कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है। परियोजना में वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं वितरण, वन सुरक्षा प्रबन्ध समितियों का गठन एवं सुदृढ़ीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्द्धन आदि कार्य भी किये जा रहे हैं। परियोजना में समस्त कार्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से तैयार सूक्ष्म नियोजन के आधार पर कराए जा रहे हैं। अब तक परियोजना अन्तर्गत 52750 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। परियोजना में वर्ष 2012–13 में राशि ₹7897.00 लाख, वर्ष 2013–14 में राशि ₹13317.08 लाख एवं वर्ष 2014–15 में राशि ₹5154.31 लाख एवं वर्ष 2015–16 में राशि ₹1676.72 लाख एवं 2016–17 में राशि ₹915.16 लाख व्यय किए गए हैं।

• परियोजना के उद्देश्य

नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं–

- सघन वृक्षारोपण तथा जल एवं मृदा संरक्षण कार्यों के माध्यम से अरावली तथा विन्ध्याचल पर्वतमाला के पारिस्थितिकीय तंत्र पुनर्स्थापना।
- वन भूमि के पास स्थित वर्षा आधारित गैर वन भूमि में कृषि को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां संचालित करना ताकि स्थानीय लोगों की वनों पर निर्भरता कम हों तथा उन्हें आजीविका के अतिरिक्त साधन मिल सके।
- 'जीन पूल' का संरक्षण तथा क्षेत्र की जैव विविधता में अभिवृद्धि।
- राज्य में लघु वन उपज, ईंधन व चारे की उपलब्धता को बढ़ाना।
- ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार के साधन उपलब्ध करा उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना।
- साझा वन प्रबंध के माध्यम से वन सुरक्षा एवं विकास में जन भागीदारी प्राप्त करना।
- राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 के अनुरूप राज्य के 20% भौगोलिक क्षेत्र को वृक्षाच्छादित करने का प्रयास करना।
- जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को कम करना तथा कार्बन सिंक व कार्बन पूल को बढ़ाना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिभ्रांषित वन भूमि तथा पंचायत एवं गोचर भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा जिसके परिणाम स्वरूप जलग्रहण क्षेत्र में जल संरक्षण से होगी तथा आसपास निवास करने वाले लोगों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध हो सकेगा। इस हेतु परियोजना को 7 पैकेज में विभक्त किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

पैकेज– 1 : वृक्षारोपण कार्य : इस पैकेज के तहत वन क्षेत्रों में वर्तमान वनस्पति घनत्व के आधार पर वृक्षारोपण का प्रावधान है। इस पैकेज के तहत निम्न चार मॉडल्स का प्रावधान किया गया है:

(i) परिभ्रांषित वनों का पुनरुत्पादन–I (**Rehabilitation of Degraded Forests-I**) : ऐसे परिभ्रांषित वन क्षेत्र जहां का वनस्पति घनत्व 0 से 10 प्रतिशत हो तथा जहां रूट स्टॉक बहुत कम हो वहां इस मॉडल के अनुसार कार्य किया जावेगा। ऐसे क्षेत्रों में 400 से 500 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाए जावेंगे।

(ii)परिभ्रांषित वनों का पुनरुत्पादन–**II** (**RDF-II**) : ऐसे परिभ्रांषित वन क्षेत्र जहां का वनस्पति घनत्व 10 से 40 प्रतिशत हो तथा अच्छी मात्रा में रूट स्टॉक उपलब्ध हो वहाँ इस मॉडल के अनुसार कार्य किया जावेगा। ऐसे

क्षेत्रों में 200 से 300 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाए जावेंगे।

(iii) प्राकृतिक रिजनरेशन को बढ़ावा (**Assisted Natural Regeneration**) : ऐसे वन क्षेत्र जहां वनस्पति घनत्व 40 प्रतिशत से अधिक है तथा पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक रूप से पौधे तथा रूट स्टॉक उपलब्ध हो तथा खाली स्थानों में 150-200 पौधे लगाए जाने की संभावना हो, में इस मॉडल के तहत कार्य किया जावेगा।

(iv) पंचायत भूमि वृक्षारोपण (**Panchayat Land Plantation**) : वन भूमि के अतिरिक्त ग्राम की रिक्त पड़ी गैर वन भूमि, चरागाह भूमि, पड़त भूमि पर वृक्षारोपण हेतु इस मॉडल के तहत 800 पौधे प्रति हैक्टेयर लगाए जाने का प्रावधान है। इस मॉडल के तहत भूमि की उपलब्धता अनुसार 10 से 20 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जा सकता है।

पैकेज-2 : कृषि वानिकी गतिविधियां : इस पैकेज के तहत कृषकों एवं आमजन में पौधे उपलब्ध कराने हेतु नर्सरी में पौधे तैयार करने तथा इस हेतु नई नर्सरी लगाने तथा स्थापित विभागीय नर्सरियों के विकास का प्रावधान रखा गया है।

पैकेज-3 : जल एवं मृदा संरक्षण संरचनाओं का निर्माण : इस पैकेज के तहत वन तथा गैर वन भूमियों में चेकडैम, गैबियन चेकडैम, परकोलेशन टैंक (Percolation Tank), जल संरक्षण संरचनाएं तथा एनिकट बनाने का प्रावधान है। इसके अलावा वनभूमि से लगते हुए 500 मीटर के दायरे में आने वाली कृषि भूमि में कन्टूर बंडिंग तथा फार्म पौण्ड बनाने का प्रावधान है जिससे कृषि भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी।

पैकेज-4 : साझा वन प्रबन्ध : इस पैकेज के तहत परियोजना क्षेत्र में वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के गठन, समितियों से सम्बन्धी ग्रामों की सूक्ष्म योजना बनाने, साझा वन प्रबंध के सुदृढ़ीकरण हेतु स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आय सृजन की अतिरिक्त गतिविधियां करने, प्रवेश बिन्दु गतिविधियों के तहत ग्राम की आवश्यकताओं के अनुरूप सामुदायिक कार्य करने तथा आम जन में वनों एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से अवेयरनेस कैम्पस आयोजित करने का प्रावधान है।

पैकेज-5 : दक्षता निर्माण (**Capacity Building**) : इस पैकेज के तहत परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों, वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के प्रशिक्षण का प्रावधान है ताकि नवीनतम तकनीक की जानकारी देकर परियोजना के उद्देश्यों के अनुरूप सफल कार्य कराए जा सकें।

पैकेज-6 : संचार एवं प्रसार (**Communication & Extension**) : इस पैकेज के तहत परियोजना से सम्बन्धित अधिकारियों, कर्मचारियों, वन सुरक्षा समितियों के सदस्यों, स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के शैक्षणिक भ्रमण, सफल कार्य स्थलों के भ्रमण तथा इस हेतु कार्यशालाओं के आयोजन का प्रावधान है। इसके अलावा परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यक उपकरण यथा जी.पी.एस., कैमरा, टी.वी., वी.सी.आर. आदि के क्रय का तथा परियोजना के कार्यों की तकनीक सम्बन्धी वन-पर्यावरण के सम्बन्ध में जाग्रति पैदा करने हेतु सामग्री प्रकाशन का प्रावधान भी किया गया है।

पैकेज-7 : प्रबोधन एवं मूल्यांकन (**Monitoring & Evaluation**) : इस पैकेज के तहत परियोजना के तहत कराए गए कार्यों के प्रबोधन एवं मूल्यांकन का प्रावधान है ताकि इसके क्रियान्वयन में हो रही तकनीकी कमियों का पता लग सके तथा भविष्य में इसमें सुधार किया जा सके।

- **Project for Development of water Catchment through Greening of Rajasthan (Phse-II) under RIDF-XX year 2014-15 to 2018-19**

नाबार्ड वित्त पोषित RIDF-XX Phase-II परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि में 43,000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण, भू एवं जल तथा कृषि वानिकी कार्यों हेतु राशि ₹ 282.34 करोड़ की लागत का द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त की जाकर वर्ष 2014-15 से कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है।

उक्त परियोजना की गतिविधियों को वाटरशेड में कलस्टर के आधार पर जलग्रहण एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में लिया जाता है ताकि परियोजना के कार्यों का जलग्रहण विभाग द्वारा संचालित जलग्रहण परियोजना से 'कन्वरजेन्स' स्थापित हो सके। परियोजना में वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल एवं मृदा संरक्षण कार्य, कृषि

वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं वितरण, वन सुरक्षा प्रबंधन समितियों का गठन एवं सुदृढ़ीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्धन कार्य आदि भी किये जाने हैं। मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएं तकनीकी मापदण्ड के अनुसार वन क्षेत्र तथा गैर वन क्षेत्रों में भी करायी जायेगी, जिससे कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े एवं उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा वन क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता घटे।

नाबार्ड द्वितीय चरण की योजना के उद्देश्य मुख्यतया नाबार्ड परियोजना चरण प्रथम के अनुसार ही है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस परियोजना को भी 7 पैकेज में विभक्त किया गया है। प्रथम चरण पैकेज–1 के वृक्षारोपण कार्य के अतिरिक्त इस नवीन परियोजना के अन्तर्गत Bamboo Productivity Enhancement operations एवं Buffer Area Development के कार्य भी कराये जा रहे हैं। अब तक परियोजना अन्तर्गत 43000 है. में वृक्षारोपण का कार्य किया जा चुका है, परियोजना में वर्ष 2014–15 में राशि रु. 7810.20 लाख एवं वर्ष 2015–16 में राशि रु. 8837.82 लाख एवं 2016–17 में रु. 4327.13 लाख व्यय किये गये हैं। इस फेज में वर्ष 2017–18 में 1900 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं उत्पादकता संवर्धन कार्य करवाये गये हैं।

नाबार्ड वित्त पोषित परियोजना Project for Development to Water Catchment through Greening of Rajasthan Under RIDF-XXII, Phase-III 2016-17 to 2020-21

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वर्ष 2016–17 में बजट घोषणा क्रमांक 63.00 में निम्न बजट घोषणा की गयी थी:–

''मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना के तहत वन क्षेत्रों, वन्य जीव क्षेत्रों एवं गैर वन क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने हेतु राज्य के 17 जिलों यथा अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर एवं सिरोही में राशि ₹ 157 करोड़ 61 लाख की लागत से विशेष परियोजना क्रियान्वित की जायेगी।''

जिसके क्रम में नाबार्ड द्वारा पत्रांक NB. JAI/SPD/2549/RIDF-XXII (Rajasthan)/156th PSC/2016-17 दिनांक 22.08.2016 से राशि ₹ 15761.24 लाख की नाबार्ड वित्त पोषित (Project for Development of Water Catchment through Greening of Rajasthan under RIDF-XXII, Phase-III 2016-17 to 2020-21 परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है।

उक्त परियोजना की गतिविधियों को मुख्यत: मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना में चयनित गांवों में लिया जाना है। परियोजना में वृक्षारोपण के अतिरिक्त जल एवं मृदा संरक्षण कार्य, कृषि वानिकी के तहत पौध तैयारी एवं वितरण, वन सुरक्षा प्रबंधन समितियों का गठन एवं सुदृढ़ीकरण, स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आजीविका संवर्धन, कार्य आदि भी किये जाने हैं। मृदा एवं जल संरक्षण संरचनाएं तकनीकी मापदण्ड के अनुसार वन क्षेत्र तथा गैर वन क्षेत्रों में भी करायी जाएगी, जिससे कि स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़े एवं उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार हो तथा वन क्षेत्रों पर उनकी निर्भरता घटे।

नाबार्ड तृतीय चरण की योजना के उद्देश्य मुख्यतया नाबार्ड परियोजना चरण प्रथम व द्वितीय के अनुसार ही है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस परियोजना को भी 7 पैकेज में विभक्त किया गया है।

नाबार्ड परियोजना के इस तृतीय चरण में 27400 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराये जाने के लक्ष्य हैं। वर्ष 2017–18 में 16450 है. में वृक्षारोपण एवं उत्पादकता संवर्धन कार्य कराया गया है। शेष 10950 है. अग्रिम मृदा कार्य वर्ष आगामी वर्षों में पूर्ण किये जाने की कार्यवाही प्रगतिरत है।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु RIDF-XVIII Phase-I, RIDF-XX Phase-II एवं RIDF-XXII Phase-III अन्तर्गत कुल राशि रु. 4773.05 लाख का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2017 तक राशि रु. 2278.85 लाख व्यय किये जाकर 18150 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया जा चुका है।

• कैम्पा कोष (CAMPA Fund)

राजस्थान में वन भूमि का वनेत्तर उपयोग करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूजर एजेंसी से सीए, एनपीवी, एपीसीए व पीसीए लागू करने की शर्त अधिरोपित की गई थी जिसमें एकत्रित राशि के प्रबंधन हेतु नवम्बर, 2009 में अधिसूचना क्रमांक 279/12.11.2009 से राजस्थान राज्य स्टेट क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण फण्ड मैनेजमेंट एवं प्लानिंग अथॉरिटी का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 10 जुलाई, 2009 के अन्तर्गत किया गया। इसका उद्देश्य क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु यूजर एजेंसी से एकत्रित सीए व एनपीवी राशि का प्रबन्धन करना है।

स्टेट कैम्पा का उद्देश्य :

- स्टेट कैम्पा का गठन वन संरक्षण, सुरक्षा, पुनरुद्भवन व मौजूदा प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना।
- वन्य जीवों व इनके आवास संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर व बाहर का संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन करना।
- क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करना।
- पर्यावरण संरक्षण करना।
- रिसर्च, प्रशिक्षण व कैपेसिटी बिल्डिंग।

उपरोक्त कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कैम्पा योजना के अन्तर्गत गवर्निंग बॉडी, स्टीयरिंग कमेटी व एक्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया है।

1. गवर्निंग कमेटी : गवर्निंग बॉडी में चेयरपर्सन माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, सदस्य - वन मंत्री, वित्त एवं योजना मंत्री, मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव (वित्त), प्रमुख शासन सचिव (योजना), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक एवं सदस्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव (वन) हैं।

   गवर्निंग बॉडी कमेटी के कार्य : राज्य कैम्पा की पॉलिसी-फ्रेमवर्क व कार्यों का निर्धारण तथा समय-समय पर किये गये कार्यों की समीक्षा करना।

2. स्टीयरिंग कमेटी : स्टीयरिंग कमेटी में चेयरपर्सन - मुख्य सचिव, सदस्यगण प्रमुख शासन सचिव (वन), प्रमुख शासन सचिव (वित्त), प्रमुख शासन सचिव (योजना), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ), प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के प्रतिनिधि, 2 प्रमुख एनजीओ राज्य सरकार द्वारा मनोनीत तथा सदस्य सचिव अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) हैं।

   स्टीयरिंग कमेटी का कार्य : एक्जीक्यूटिव कमेटी द्वारा प्रस्तावित वार्षिक योजना का अनुमोदन करना व स्टेट कैम्पा द्वारा दिये गये बजट के उपयोग की मॉनिटरिंग करना। एक्जक्यूटिव कमेटी द्वारा बनाई गई वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृति देना। स्टेट कैम्पा की वार्षिक रिपोर्ट्स तथा लेखा (ऑडिटेड) को स्वीकार करना। 6 माह में एक बार मीटिंग करना।

3. एक्जीक्यूटिव कमेटी : एक्जीक्यूटिव कमेटी में चेयरपर्सन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), सदस्य - प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), वित्तीय सलाहकार राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 2 एनजीओ तथा अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी एफसीए) सदस्य सचिव हैं।

स्टीयरिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु उद्देश्य एवं नियमों का गठन करना। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दिसम्बर माह के पूर्व वार्षिक कार्य योजना विभिन्न कार्यकलापों के अनुसार तैयार कर स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी सहमति प्राप्त कर फण्ड रिलीज कराना।

पौधशाला जवाहरनगर, दरियावत में सागवान के पौधे छाया सौजन्य : दारा सिंह

कैम्पा फण्ड से कराये गये कार्यों का सुपरविजन करना। फण्ड प्राप्ति व उसके खर्चों की ऑडिटिंग के प्रति जवाबदेह होना। क्रियान्वयन एजेंसी का लेखा संधारण हेतु दिशा–निर्देश तैयार करना। स्टीयरिंग कमेटी के समक्ष रिव्यू हेतु रिपोर्ट्स प्रस्तुत करना। वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष समाप्ति के उपरान्त जून अंत तक तैयार करना। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.07.2009 के अनुसार तदर्थ कैम्पा में राज्य के हिस्से की जमा मूल राशि की 10 प्रतिशत राशि आगामी पांच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष स्टेट कैम्पा को रिलीज की जावेगी।

भारत सरकार द्वारा एडहॉक कैम्पा से स्टेट कैम्पा (राजस्थान) को निम्नानुसार राशि रिलीज की गई जिसके आधार पर राजस्थान स्टेट द्वारा वार्षिक कार्य योजना बनाई गई। स्टेट कैम्पा का गठन वर्ष 2009–10 में किया गया था वर्ष 2009–10 में एडहॉक कैम्पा से राजस्थान स्टेट कैम्पा में राशि 27 जनवरी, 2010 को विलम्ब से प्राप्त होने के कारण वार्षिक कार्य योजना नहीं बन सकने के कारण कोई भी कार्य नहीं कराये जा सके थे।

स्टेट कैम्पा में प्राप्त राशि का विवरण (राशि ₹ लाखों में)

वित्तीय वर्ष	दिनांक रिलीज	राशि लाखों में	ब्याज की राशि	किया गया व्यय	APO राशि
2009–10	27.01.2010	3259.08			
2010–11	18.01.2011	4206.98	0.47	2581.73	3356.70
2011–12	11.11.2011	3189.13	166.80	3718.00	5200.00
2012–13	25.02.2013	3742.98	581.15	4612.45	5512.65
2013–14	27.12.2013	3450.00	465.99	3829.29	4513.97
2014–15	09.04.2014	6000.00	490.51	6542.93	7505.53
	31.03.2015	1400.00			
2015–16	18.02.2016	4800.00	657.99	9845.49	15374.06
2016–17	15.06.2016	8100.00	449.88	11620.83	21076.42
	24.03.2017	5900.00			
2017–18	12.07.2017	9400.00	517.34	3776.57	30278.23
	कुल योग	**53448.17**	**3330.13**	**46527.29**	**92817.56**

राजस्थान स्टेट कैम्पा में वर्ष 2014–15 से 2016–17 व माह दिसम्बर, 2017 तक कराये गये प्रमुख कार्य

नाम कार्य	उपलब्धि 2014–15	उपलब्धि 2015–16	उपलब्धि 2016–17	प्रस्तावित लक्ष्य जो प्रगतिरत है 2017–18
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अग्रिम मृदा कार्य) NFL	1859.91 Ha	1853.49 Ha	1150.60 Ha	1444.13 Ha
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रथम वर्ष (पौधारोपण) NFL	354.790 Ha	1859.91 Ha	1518.48 Ha	1150.60 Ha
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (अग्रिम मृदा कार्य) DFL	3182.03 Ha	1547.08 Ha	3968.44 Ha	2867.22 Ha
क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रथम वर्ष (पौधंरोपण) DFL	1033.01 Ha	3182.03 Ha	1547.08 Ha	3968.44 Ha
परिभ्रांषित वन भूमि पर (अग्रिम मृदा कार्य) (प्राकृतिक पुनरुत्पादन में सहयोग) ANR	3962.00 Ha	6231.00 Ha	2350.00 Ha	3500.00 Ha
परिभ्रांषित वन भूमिपर रिस्टोकिंग प्रथम वर्ष – (पौधारोपण) ANR	1462.00 Ha	3962 Ha	6250.00 Ha	2350.00 Ha
पक्की दीवार का निर्माण 4 फीट ऊंचाई	31180 RMt	140517 RMt	37210 RMt	65100 RMt
पक्की दीवार का निर्माण 6 फीट ऊंचाई	35725 RMt	–	4851 RMt	47650 RMt
राष्ट्रीय राजमार्ग 14 के दोनों ओर 6 फीट ऊंची पक्की दीवार का निर्माण, केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेशों की पालना में	–	–	8 किमी.	–
वन भूमि पर सीमा स्तम्भों का निर्माण	2893 No.	4244 No.	2355 No.	100 No.
एनीकट/गजलर/जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण	52 No.	0 No.	0 No.	-
अधीनस्थ वनकर्मियों हेतु वन चौकियों का निर्माण	38 No.	40 No.	21 No.	14 No.
रेंज ऑफिस सह निवास का निर्माण	14 No.	9 No.	4 No.	3 No.

नाम कार्य	उपलब्धि 2014-15	उपलब्धि 2015-16	उपलब्धि 2016-17	प्रस्तावित लक्ष्य जो प्रगतिरत है 2017-18
रेस्क्यू सेंटर	3 No.	2 No.	-	-
रेस्क्यू सेंटर का संधारण उदयपुर, खेजड़ली व लूनी (वन्य जीव जोधपुर) फलौदी, (जोधपुर) मेड़तासिटी, देसूरी (पाली), तालछापर (चूरू), सोरसन (बारां), मुकाम, रायसिंहनगर, बज्जू, पीलीबंगा, औसियां व खारा (जोधपुर), सांचोर (जालौर), गोगेलाव (नागौर), बीकानेर	9 No.	12 No.	14 No.	14 No.
वन सुरक्षा कार्यों हेतु वाहन (केन्टर) खरीद	–	–	5 No.	
मोटर साइकिल खरीद	–	–	30 No.	150 No.
पैंथर कन्जर्वेशन रिजर्व (पाली)	10 लाख	10 लाख	–	–
इन्टरप्रिटेशन सेंटर (पाली)	3 लाख	3 लाख	–	–
अरण्य भवन, जयपुर	3.50 करोड़	4.00 करोड़	4.50 करोड़	2.00 करोड़
आरबोरेटम/हर्बल गार्डन बनाना	संधारण	संधारण	संधारण	साधारण
प्रतिवर्ष घास की सफाई कांकरोली–जोधपुर 4 के.वी. ट्रांसमिशन लाइन के नीचे	–	–	₹1.50 लाख	₹1.49 लाख
नर्सरी का विस्तार, घाट नदी देवला, उदयपुर उत्तर	–	–	₹40.00 लाख	₹7 लाख
Relocation of Villages in Tiger Reserves (WLS & NP) including compleation of relocation work in 9 M.N.P.	-	-	₹ 3.31 करोड़	₹ 20.00 करोड़
Promation of Natural regeneration throught avoided deforestaion (gas distrubution to forest dept. communities)	-	-	₹ 19.79 करोड़	₹ 25.00 करोड़
Innovation/imporvements in effectivness of mgnt. of wild life within and outside protected areas	-	-	₹ 2.06 करोड़	

उपरोक्त के अतिरिक्त वनरक्षक, सहायक वनपाल, वनपाल व क्षेत्रीय वनाधिकारी जो फील्ड में कार्यरत है, को मोबाइल फोन सुविधा CUG योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय वनाधिकारी व अधीनस्थ फील्ड स्टाफ के कार्यालय (नाका/चौकियों) का संधारण कार्य भी कराया गया।

मिटिगेटिव मैजर्स के तहत वर्ष 2016-17 तक कुल 1301.97 लाख रुपये एडहॉक कैम्पा से प्राप्त हुए जिसके विरुद्ध वर्ष 2016-17 तक 1226.84 लाख रुपये तथा वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर 2017 तक राशि रुपये 69.56 लाख व्यय किये जा चुके हैं। उक्त योजनान्तर्गत 2.50 मीटर ऊँची दीवार 6.005 कि.मी. तथा 1.50 मीटर ऊँची दीवार 37.541 कि.मी. तथा 40 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कराया गया है।

उक्त कार्यों के अलावा बांसवाड़ा सिन्टेक्स लि. में वृक्षारोपण एवं संधारण हेतु वर्ष 2014-15 से 2017-18 तक 5.94 लाख रुपये के विरुद्ध 5.12 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं तथा वर्ष 2017-18 में वन मंडल भरतपुर की रेंज बयाना, वनखण्ड-खरैरी बागरैन (अ) में वृक्षारोपण एवं संधारण कार्य हेतु 10 हैक्टेयर के लिये 10.40 लाख रुपये का आवंटन किया जा चुका है।

नगर वन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016-2017 में 179.90 लाख रुपये के आवंटन के विरुद्ध 27.35 लाख रुपये व्यय किये गये तथा वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 152.55 लाख रुपये के विरुद्ध 97.29 लाख रुपये व्यय किये गये।

नेचर पार्क-चूरू

छाया सौजन्य : नरपत सिंह

• पर्यावरण वानिकी

आज जन को प्रदुषण मुक्त पर्यावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस योजना के अन्तर्गत सीकर एवं झालावाड़ में स्मृति वनों का विकास, अजमेर में हर्बल गार्डन का विकास करवाया गया है। इको टास्क फोर्स (ई.टी.एफ.) के माध्यम से वृक्षारोपण एवं मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अनुरूप जालौर में सुधा माता, भीलवाड़ा में भरक माता, बांसवाडा में त्रिपुरा सुन्दरी, बांरा में शाहबाद किला तथा बाडमेर हिल्ली में स्मृति वनों का विकास भी इस योजना अन्तर्गत किया जा रहा है। पर्यावरण वानिकी कार्यों हेतु वर्ष 2017-18 में राशि रु. 800.61 लाख का प्रावधान रखा गया है। जिसके विरूद्ध माह दिसम्बर 2017 तक रु. 407.67 लाख व्यय किये जा चुके हैं। इस राशि का गतिविधिवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	गतिविधि का विवरण	वर्ष 2017-18 में आवंटित राशि ₹ लाखों में	दिसम्बर, 17 तक व्यय राशि ₹ लाखों में
1.	नेचर पार्क चूरू	388.50	321.39
2.	स्मृति वन झालावाड़ (नौलक्खा)	4.25	1.03
3.	स्मृति वन सीकर	33.36	23.31
4.	हर्बल गार्डन अजमेर	5.00	1.53
5.	स्मृति वन जयपुर का संधारण	25.00	13.34
6.	अन्नपूर्णा माताजी वन मार्ग वृक्षारोपण	44.50	0.00
7.	चार स्मृति वनों का विकास	300.00	47.07
	योग	**800.61**	**407.67**

• परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण

यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। इस योजना के अन्तर्गत परिभ्रांषित वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण एवं जल तथा मृदा संरक्षण के कार्य करवाये जा रहे हैं। इस वर्ष 3000 हैक्टेयर वन क्षेत्र में अग्रिम कार्य करवाया जा रहा है एवं 2850 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में ₹ 2334.90 लाख व्यय किये जाने का प्रावधान है जिसमें से दिसम्बर, 2017 तक ₹ 1064.26 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

• जलवायु परिवर्तन एवं मरु प्रसार रोक

यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वातावरण में आ रहे बदलावों को दृष्टिगत रखते हुए जलवायु परिवर्तन के कारण मरु प्रसार की अभिवृद्धि को रोकने हेतु मरुस्थलीय जिलों में टिब्बा स्थिरीकरण तथा मेगा शेल्टर बेल्ट के कार्य करवाये जा रहे हैं। वर्ष 2017-18 में 2000 हैक्टेयर में अग्रिम मृदा तथा 2050 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कार्य करवाया जा रहा है। इन कार्यों पर इस वित्तीय वर्ष में ₹ 2634.61 लाख व्यय किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें से माह दिसम्बर 2017 तक ₹1206.72 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

• साझा वन प्रबंध की सुदृढ़ीकरण योजना

वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध का क्रियान्वयन राज्य में 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 17.10.2000 व संरक्षित वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 24.10.2002 के राज्यादेशों के अनुरूप

साझा वन प्रबंध की संकल्पना की क्रियान्विति की जा रही है। राज्य में 6377 ग्राम वन सुरक्षा समितियां गठित हैं जो लगभग 11.76 लाख हैक्टेयर, जो कि राज्य में वन भूमि का 27.02% है, से अधिक क्षेत्र का प्रबंधन कर रही है। इन ग्राम वन प्रबन्ध सुरक्षा समितियों के सुदृढ़ीकरण के लिए चालू वर्ष में ₹ 20.00 लाख रुपये व्यय किये जावेंगे।

- **अनुसंधान एवं प्रशिक्षण**

वन अनुसंधान को ओर गति प्रदान करने की दृष्टि से यह नवीन योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ की गई है। वानिकी क्षेत्र में नई वैज्ञानिक तकनीकों के अनुसंधान एवं कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु इस वर्ष ₹ 85.00 लाख व्यय किये जावेंगे जिसमें से ₹ 40.00 लाख वन्य जीव एवं वानिकी इन्टर्नस पर व्यय किये जाना प्रस्तावित है। इन कार्यों पर दिसम्बर 2017 तक ₹ 35.31 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

- **भाखड़ा व गंगनहर वृक्षारोपण**

प्रदेश के थार मरुस्थल को हरा-भरा बनाने एवं आम जनता को बार-बार पड़ने वाले अकाल से राहत दिलाने वाले तत्कालीन बीकानेर रियासत के महाराजा गंगासिंह ने 1922 में सतलज नदी का पानी राज्य में लाने के उद्देश्य से एक नहर प्रणाली विकसित की जिसे गंग नहर कहा गया जो वर्तमान में बीकानेर नहर कहलाती है। इस नहर की सभी शाखाओं एवं वितरिकाओं सहित प्रदेश में कुल लम्बाई 1153 किलोमीटर है। इसी प्रकार भाखड़ा नहर, भाखड़ा नांगल बांध से निकलकर आती है। जिससे हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के 9.20 लाख एकड़ भू-भाग की सिंचाई होती है। दोनों नहरों के किनारे 2.2 लाख परिपक्व वृक्ष थे जिनके विदोहन का कार्य वन विभाग को सौंपा गया था। इन दोनों नहरों के किनारों के वृक्षारोपण परिपक्व होने के कारण विदोहन कर लिया गया था। अत: नहरों को मिट्टी के भराव से बचाने तथा क्षेत्र की मृदा व पारिस्थितिकी में वांछित सुधार के लिए पुनरारोपण कार्य किया जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। पुनरारोपण के लिए राज्य के जल संसाधन विभाग द्वारा राशि उपलब्ध करायी गयी है। भाखड़ा नहर का वृक्षारोपण कार्य वन मण्डल हनुमानगढ़ व गंगनहर वृक्षारोपण का कार्य वन मण्डल गंगानगर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

भाखड़ा एवं गंगनहर के दोनों ओर इस वर्ष ₹ 630.15 लाख व्यय किये जाकर 891 आर.के.एम. वृक्षारोपण कार्य करवाया जाना है। माह दिसम्बर, 2017 तक ₹431.33 लाख व्यय किये जा चुके हैं।

भाखड़ा नहर वृक्षारोपण की प्रगति निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	वर्ष	वित्तीय (लाख ₹)		भौतिक उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	2009-10	130.51	130.51	885 आर.के.एम. (295 है.)
2.	2010-11	120.21	117.79	450 आर.के.एम. (150 है.)
3.	2011-12	119.54	113.34	220 आर.के.एम. (73 है.)
4.	2012-13	221.81	171.84	209 आर.के.एम. (70 है.)
5.	2013-14	298.90	210.22	331 आर.के.एम. (110 है.)
6.	2014-15	232.33	193.53	576.80 आर.के.एम. (192 है.)
7.	2015-16	139.69	159.00	353.97 आर.के.एम. (118 है.)
8.	2016-17	360.76	167.95	650 आर.के.एम. (216 है.)
9.	2017-18 (दिस. 17 तक)	355.65	237.74	417 आर.के.एम. (139 है.)

गंगनहर वृक्षारोपण की प्रगति निम्नानुसार है–

क्र.सं.	वर्ष	वित्तीय (लाख ₹)		भौतिक उपलब्धि
		लक्ष्य	उपलब्धि	
1.	2009–10	104.39	104.02	507 आर.के.एम. (169 है.)
2.	2010–11	173.55	173.54	800 आर.के.एम. (267 है.)
3.	2011–12	256.21	112.67	699 आर.के.एम. (233 है.)
4.	2012–13	318.73	282.27	1002 आर.के.एम. (334 है.)
5.	2013–14	387.61	293.94	855 आर.के.एम. (285 है.)
6.	2014–15	326.18	267.93	737 आर.के.एम. (245 है.)
7.	2015–16	275.83	313.65	630 आर.के.एम. (210 है.)
8.	2016–17	315.89	228.71	385 आर.के.एम. (128 है.)
9.	2017–18 (दिस. 2017 तक)	274.50	193.59	234 आर.के.एम. (78 है.)

पौध वितरण

राजस्थान वन नीति, 2010 के अनुसार वनीकरण को बढ़ावा देने तथा वृक्षारोपण में जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वानिकी के तहत तैयार किये गये कांटेदार प्रजाति के पौधे एवं चौड़ी पत्ती वाले 2 फीट ऊंचाई तक के पौधे ₹ 5 प्रति पौधा की दर से जन साधारण को वितरित किये जाते हैं। राजकीय विभागों शैक्षणिक संस्थानों, भारतीय स्काउट एवं गाइड, एन.सी.सी. एवं स्वयंसेवी संस्थाओं/ट्रस्टों द्वारा यदि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम हाथ में लेने का प्रस्ताव प्रेषित किया जाता है तो विभाग के अधिकारियों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन दिया जावेगा एवम् पौधों की आवश्यकता का आकलन कर एक रुपये प्रति पौधे की दर से 1000 पौधे तक उपलब्ध करवाये जायेंगे परन्तु सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा यह आकलन किये जाने का प्रावधान है कि वृक्षारोपण कराने वाले के पास वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि एवं उसकी सुरक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है।

आम जनता एवं कृषकों को वितरण हेतु पौधे तैयार करने का कार्य फार्म फोरेस्ट्री (प्लान) आर.एफ.बी.पी. फेज–I (रिवोल्विंग फंड) नोन प्लान, नाबार्ड परियोजना एवं आर.एफ.बी.पी. फेज– II के अन्तर्गत किया जा रहा है। इन योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 एवं वर्ष 2017–18 में आगामी वर्षा ऋतु में वितरण हेतु तैयार किये जाने वाले पौधों का विवरण अग्रानुसार है :–

नाम योजना	वर्ष 2016–17 में वितरित पौधे लाखों में	वर्ष 2017–18 में वितरित पौधे (दिस. 2017 तक) लाखों में	आगामी वर्षा ऋतु (वर्ष 2017–18) में वितरण हेतु इस वर्ष तैयार किये जाने वाले पौधों का लक्ष्य	
			भौतिक (लाखों में)	वित्तीय (₹ लाखों में)
फार्म फोरेस्ट्री	49.60	19.31	40.00	336.00
RFBP Ph. I (रिवोल्विंग फंड)	39.64	30.58	40.00	163.92
नाबार्ड परियोजना	21.99	16.48	12.54	89.34
योग	111.23	66.37	92.54	589.26

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बजट घोषणा अन्तर्गत 25 लाख बड़े पौधो की तैयारी इस वर्ष प्रारम्भ की गई है, जिसके लिये पृथक से य 200 लाख का प्रावधान रखा गया है। ये पौधे वर्ष 2019–20 मे वितरण हेतु उपलब्ध होंगे।

कैम्पा योजना अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में 200 लाख पौध तैयारी के लक्ष्य के विरुद्ध 150 लाख पौधो की तैयारी प्रारंम्भ की गई थी। जिनका इस वर्ष के दौरान संधारण कर बड़े पौधो के रुप मे तैयार किया जा रहा है।

उपवन संरक्षक जयपुर (उत्तर) अधिनस्थ पौधशालाओं में पौध तैयारी

छाया सौजन्य : योगेन्द्र सिंह काल्वी

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने वानिकी गतिविधियों के सरलीकरण एवं उनके क्रियान्वयन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से दसवीं पंचवर्षीय योजना में चार केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को एक कर राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (National Afforestation Programme) योजना का सृजन किया था। योजनाओं को एक करने का उद्देश्य क्षेत्र में चल रही समान उद्देश्यों वाली कई योजनाओं को एक करना, वित्त व्यवस्था एवं लागू करने की प्रणाली में समानता लाना था।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम वन विकास अभिकरण के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। ये अभिकरण ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से कार्य कराते हैं।

राज्य में 33 वन विकास अभिकरण कार्यरत हैं। 9 जुलाई, 2010 से राज्य में राज्यस्तरीय ''राज्य वन विकास अभिकरण'' का गठन किया गया है। यह अभिकरण सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है।

वर्ष 2017-18 हेतु ₹105 लाख का प्रावधान रखा गया है। जिसमे से केन्द्र सरकार का अंशदान ₹ 90 लाख रखा गया है। परन्तु इसके विरुद्ध केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित योजना राशि से अधिक राशि ₹ 325.41 लाख की स्वीकृत कर प्रथम किश्त के रुप मे राशि ₹139.91 लाख रिलीज कर दी गई है।

नर्मदा नहर परियोजना

जालौर जिला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में गुजरात की सीमा पर स्थित है। जिले का क्षेत्रफल 10640 वर्ग किलोमीटर है। जिले के पश्चिमी भाग में रेगिस्तान का फैलाव है, वहीं जसवंतपुरा जैसी अरावली की ऊँची चोटियां भी हैं। जिले के सुदूर दक्षिण में रण कच्छ का खार क्षेत्र भी है। जिले में औसत वर्षा 413 मिलीमीटर है। नर्मदा मुख्य नहर राज्य में जालौर जिले की सांचोर तहसील के सीलू गांव में प्रवेश करती है, इसमें मार्च, 2008 से जल प्रवाह प्रारम्भ हो गया है। नर्मदा मुख्य नहर एवं इसकी वितरिकाओं एवं माइनरों के किनारे वृक्षारोपण की परियोजना विभाग द्वारा संचालित की जा रही है। इसका 65 किमी. (0 to 51.5RD, 58.8 to 68.3 RD, 70 to 74 RD) का हिस्सा जालौर जिले में है व शेष 9 किमी. (51.5 to 58.8 RD, 68.3 to 70) बाड़मेर में है।

इस परियोजना अन्तर्गत विभाग द्वारा वर्ष 2007 से कार्य प्रारम्भ किये जाकर 31.03.2017 तक 2371.3 लाख रुपये व्यय किये जाकर निम्नानुसार कार्य करवाये गये हैं :-

कार्य का नाम	जालौर जिले में	बाड़मेर जिले में	योग
वृक्षारोपण	1717	1000	2717 RKm
नई नर्सरी की स्थापना	4	2	6
वन चेतना केन्द्र की स्थापना	1	1	2
सहायक वन संरक्षक निवास	1	0	1
रेंजर आवास	1	0	1
वनपाल एवं नाका एवं आवास	4	1	5
वन रक्षक चौकी	8	5	13

जे.आई.सी.ए. टीम के सदस्यों एवं स्वामी की ढाणी (एस.एच.जी.) सदस्यों द्वारा पौधारोपण

छाया सौजन्य : योगेन्द्र सिंह काल्वी

• औषधीय पादप बोर्ड द्वारा संचलित परियोजनाएं:

नवीन परियोजना : प्रदेश के उदयपुर संभाग के वन क्षेत्रों में अनेक प्रकार के औषधीय पादप हैं। सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि 33 प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी व्यापारिक मांग अत्यधिक है। अत: उदयपुर क्षेत्र की संकटापन्न/लुप्त औषधीय पौधों के संरक्षण एवं विकास हेतु वन विभाग द्वारा निम्नलिखित परियोजना बनाई जाकर हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गई, जिसकी राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इस योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं:–

- संकटापन्न/लुप्त प्राय: औषधीय पौधों की कृषि
- वृक्षों के साथ–साथ झाड़ियां व बेलों का संवर्धन
- आदिवासियों को शीघ्र लाभ देने के लिये औषधीय पौधों की उपलब्धता बढ़ाने
- शोध एवं शिक्षण
- आजीविका एवं रोजगार सृजन
- सटीक संसाधन सूची तैयार करना
- पौधों के अंगों का सतत संकलन सुनिश्चित करना
- तकनीकी ज्ञान में वृद्धि करना आदि।

उदयपुर संभाग में निम्न मेडिसिनल प्लान्ट्स तैयार किये जा रहे हैं:–

अरीठा, अर्जुन, बहेड़ा, बेल, बीजासाल, चिरौंजी, हरड़, महुआ, मौलश्री, पैडल सूनाग, अरनी, चिरमी, गिलोय, गूग्गल, हड्डीजोड़, जीवन्ती, कौंच, किलीहारी, मालकांगनी, शीकाकाई, सिन्दूरी, सफेद मूसली, अलायेवेरा, करंज आदि।

✼ वर्ष 2012–13 में वन विकास अभिकरण, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ में दो नये प्रोजेक्ट के प्रस्ताव नेशनल मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली से क्रमश: 574.53 लाख 1000 हैक्टेयर में कार्य एवं रुपये 344.71 लाख 650 हैक्टेयर में कार्य हेतु स्वीकृति जारी की गई। जिसके विरुद्ध क्रमश: 558.63 लाख रुपये एवं 333.87 लाख रुपये का व्यय दिसम्बर–2017 तक हो चुका है।

✼ वर्ष 2013–14 में वन विकास अभिकरण, बांसवाड़ा की परियोजना का प्रस्ताव नेशनल मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली से रुपये 349.79 लाख 600 हैक्टेयर कार्य हेतु स्वीकृत हुए, जिसके विरुद्ध दिसम्बर–2017 तक रुपये 334 लाख का व्यय हुआ है।

✼ वर्ष 2013–14 में वन विकास अभिकरण, चित्तौड़गढ़ की परियोजना का प्रस्ताव नेशनल मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली में रुपये 304.62 लाख 500 हैक्टेयर कार्य हेतु स्वीकृत हुए, जिसके विरुद्ध दिसम्बर–2017 तक रुपये 190.93 लाख का व्यय हुआ है।

✼ वर्ष 2013–14 में वन विकास अभिकरण, डूंगरपुर की परियोजना का प्रस्ताव नेशनल मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली में रुपये 294.78 लाख 500 हैक्टेयर कार्य हेतु स्वीकृत हुए, जिसके विरुद्ध दिसम्बर–2017 तक रुपये 254.08 लाख का व्यय हुआ है।

✼ वर्ष 2015–16 में वन विकास अभिकरण, उदयपुर (उत्तर) की परियोजना का प्रस्ताव नेशनल मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली से रुपये 267.22 लाख 450 हैक्टेयर कार्य हेतु स्वीकृत हुए, जिसके विरुद्ध दिसम्बर–2017 तक रुपये 130.42 लाख का व्यय हुआ है।

✼ वर्ष 2015–16 में वन विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ की परियोजना का प्रस्ताव नेशनल मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली से रुपये 344.55 लाख 500 हैक्टेयर कार्य हेतु स्वीकृत हुए, जिसके विरुद्ध दिसम्बर–2017 तक रुपये 140.02 लाख का व्यय हुआ है।

✼ वर्ष 2016–17 में वन विकास अभिकरण, उदयपुर की परियोजना का प्रस्ताव नेशनल मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड, नई दिल्ली से रुपये 343.55 लाख 500 हैक्टेयर कार्य हेतु स्वीकृत हुए, जिसके विरुद्ध दिसम्बर–2017 तक रुपये 140.01 लाख का व्यय हुआ है।

❁ विदोहन एवं पुनः वृक्षारोपण

इंदिरा गाँधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में अब तक लगभग 145000 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाये गये हैं। नहर के किनारे एवं आबादी वृक्षारोपण क्षेत्रों से लगभग 24000 हैक्टेयर क्षेत्रफल में वृक्षारोपण विदोहन हेतु 10 वर्ष की कार्य योजना वर्ष 1999-2000 से 2008-09 बनाई गई। तत्पश्चात् दो वर्ष का अवधि विस्तार स्वीकृत हुआ। द्वितीय कार्य योजना वर्ष 2011-12 से 2020-21 तक स्वीकृति हेतु भेजी गई। वृक्षारोपणों से विदोहन का कार्य वर्ष 2000 से शुरू किया गया। पुराने वृक्षारोपणों का विदोहन कार्य विभाग की स्टेट ट्रेडिंग शाखा द्वारा सम्पादित करवाया जा रहा है। विदोहन किये क्षेत्र में पुनः वृक्षारोपण करवाया जा रहा है। अब तक पुनः वृक्षारोपण किये गये कार्यों का विवरण वर्षवार अग्रानुसार है :-

क्र. सं.	वर्ष	क्षेत्रफल जिसमें पुनः वृक्षारोपण कार्य करवाया गया (हैक्टेयर में)
1.	2000-01	265
2.	2001-02	518
3.	2002-03	821
4.	2003-04	984
5.	2004-05	1055
6.	2005-06	908
7.	2006-07	815
8.	2007-08	1045
9.	2008-09	436.83
10.	2009-10	445
11.	2010-11	376
12.	2011-12	701.5
13.	2012-13	1252
14.	2013-14	809.43
15.	2014-15	771.82
16.	2015-16	562.65
17.	2016-17	424.00
18.	2017-18 (माह दिसम्बर, 17 तक)	597.00
	योग	12787.23

पुनः वृक्षारोपण में मुख्यतया शीशम, देशी बबूल, सफेदा, अरडू, खेजड़ी, झींझा के पौधे लगाये गये हैं।

उपवन संरक्षक उदयपुर द्वारा कराये गये विकास कार्य

छाया सौजन्य : चन्द्रपाल सिंह

❁ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने के लिए दिनांक 2 फरवरी, 2006 को राज्य के 6 जिलों यथा उदयपुर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ तथा करौली में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना आरम्भ की गई थी। वर्तमान में यह योजना राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। मनरेगा कार्यों की दिसम्बर, 2017 तक की प्रगति अग्रानुसार दृष्टव्य है।

मनरेगा अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का प्रगति विवरण

क्र.सं.	जिला	विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्य				कुल व्यय (₹ लाख में)	सृजित मानव दिवस
		1.4.17 को प्रगतिरत कार्य (संख्या)	2017-18 में स्वीकृत कार्य	कुल कार्य	पूर्ण कार्यों की संख्या		
1.	अजमेर	65	32	97	12	64.77	33824
2.	अलवर	223	36	259	28	163.29	83845
3.	बांसवाड़ा	522	79	601	17	237.89	105586
4.	बारां	164	2	166	12	85.85	522.30
5.	बाड़मेर	20	47	67	3	32.32	12301
6.	भरतपुर	20	61	81	8	76.49	39345
7.	भीलवाड़ा	132	28	160	15	75.31	36785
8.	बीकानेर	244	12	256	38	250.46	63905
9.	बूंदी	225	9	234	63	263.6	113337
10.	चित्तौड़गढ़	213	76	289	72	186.47	90934
11.	चूरू	196	76	272	28	1036.67	433967
12.	दौसा	2	42	44	0	20.31	10769
13.	धौलपुर	27	23	50	0	16.52	9301
14.	डूंगरपुर	172	47	219	4	58.81	31148
15.	हनुमानगढ़	9	32	41	1	34.87	18106
16.	जयपुर	65	42	107	0	12.93	6745
17.	जैसलमेर	507	22	529	111	277.7	87147
18.	जालौर	297	32	329	57	303.74	101462
19.	झालावाड़	404	69	473	17	278.59	142323
20.	झुंझुनूं	118	44	162	25	71.85	317.38
21.	जोधपुर	291	5	296	17	233.52	78123
22.	करौली	19	3	22	1	0.18	92
23.	कोटा	211	48	259	95	334.72	202205
24.	नागौर	534	20	554	79	314.44	128247
25.	पाली	124	25	149	32	39.54	18748
26.	प्रतापगढ़	309	82	391	10	218.13	108088
27.	राजसमंद	120	66	186	43	58.02	30750
28.	सवाईमाधोपुर	30	19	49	7	17.33	9313
29.	सीकर	78	100	178	31	43.24	21243
30.	सिरोही	238	22	260	76	51.49	30954
31.	श्रीगंगानगर	33	9	42	2	12.16	6254
32.	टोंक	34	102	136	0	42.55	22857
33.	उदयपुर	805	217	1022	35	388.04	208553
	योग	6451	1529	7980	939	5301.8	2370225

महात्मा गांधी नरेगा योजना का वन विभाग की योनजाओं से अभिसरण (Convergence) कर कार्य सम्पादन

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों का वन विभाग की योजनाओं से अभिसरण (कन्वर्जेंस) कर सम्पादित किया जावे। महात्मा गांधी नरेगा कार्यों के लाइन विभागों की सहभागिता से सम्पादन हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इन निर्देशों के अनुसार वन विभाग द्वारा परियोजना तैयार कर सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति जारी की जाएगी। जिला कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा तकनीकी स्वीकृति के आधार पर प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी की जावेगी। जिला/खण्ड स्तरीय नरेगा दर अनुसूची के आधार पर कार्यों के तकमीने तैयार किये जावेंगे।

इस हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) के पत्रांक एफ.40 (76) ग्रावि/ नरेगा/कन्वर्जेंस–वन विभाग/2014 दिनांक 10 जून, 2015 से प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग एवं अति. मुख्य सचिव, वन विभाग एवं पर्यावरण विभाग द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित परिपत्र जारी किया गया है। जिसके अनुसार वन विभाग से सम्बन्धित करवाये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नानुसार हैं:

1. वृक्षारोपण कार्य, 2. भू एवं जल संरक्षण कार्य, 3. ईको–रेस्टोरेशन कार्य, 4. पशु अवरोधक फेंसिंग/सूखे पत्थर/बोल्डर की दीवार आदि, 5. चरागाह विकास के कार्य, 6. नर्सरी निर्माण / सुधार के कार्य, 7. सड़क/नहर किनारे वृक्षारोपण, 8. बीजारोपण के कार्य, 9. मेढ बंधान, 10. फार्म पोण्ड निर्माण, 11. नाला बंधान/लघु स्टॉपडेम, 12. कृषि उद्यानिकी, 13. कृषि वानिकी।

जिसकी अनुपालना में दिनांक 31 दिसम्बर, 2017 तक विभाग द्वारा इस योजना में राशि ₹ 3477.98 लाख के कुल 1464 कार्य प्रस्तावित किए जिनमें से राशि ₹ 2374.38 के 933 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा ₹ 1103.62 लाख के 531 कार्य वर्ष 2017–18 में प्रगतिरत है।

68वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव :

राज्य का 68वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव दिनांक 10 जुलाई, 2017 को जयपुर स्थित गोविन्दपुरा बीड में माननीया मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता एवं केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। इसी दिन पूरे राज्य में जिला स्तर एवं पंचायत स्तर पर भी वन महोत्सवों का आयोजन जन प्रतिनिधिगण एवं जनता की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए करवाए गए।

परियोजना सूत्रीकरण एवं समन्वय

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, परियोजना सूत्रीकरण एवं समन्वय द्वारा विभाग हेतु नवीन परियोजना सूत्रीकरण एवं माननीया मुख्यमंत्री महोदया, माननीय वन मंत्री महोदय को वन विभाग से सम्बन्धित प्राप्त अभ्यावेदन एवं अन्य वी.वी.आई.पी. प्रकरणों के निस्तारण का कार्य किया जाता है।

विभाग हेतु हाल ही में नाबार्ड फेज–IV परियोजना तैयार कर अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को पत्रांक 196 दिनांक 15.12.2017 द्वारा प्रेषित की गयी है। परियोजना राज्य के 17 जिलों में क्रियान्वित की जायेगी। परियोजना में 22700 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। परियोजना की कुल लागत 150.87 करोड़ रुपये है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान

प्रदेश में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान का क्रियान्वयन गत दो वर्षों से किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य ग्राम स्तर पर ग्रामसभा में जल की समग्र आवश्यकता यथा पेयजल, सिंचाई, पशुधन व अन्य व्यवसायिक कार्यों हेतु आकलन कर उपलब्ध समस्त स्रोतों से प्राप्त जल के अनुरूप जल बजट बना कर उसी के अनुरूप कार्यों का चीकरण कर प्रस्ताव पारित कर ग्राम कार्ययोजना तैयार कर ग्राम को जल आत्म–निर्भर बनाकर पेयजल का स्थाई समाधान करना, क्षेत्रों में जल संग्रहण एवं संरक्षण कर सिंचाई क्षेत्रफल को बढ़ाना, ग्रामीणों एवं लाभान्वितों को जल के समुचित उपयोग के बारे में जागृत कर जन–सहभागिता से कार्य सम्पादित करना है।

''मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान'' का नोडल विभाग जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग है। राज्य में अभियान के सुचारु क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान का क्रियान्वयन कृषि विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, वन विभाग, जल संसाधन विभाग, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, राष्ट्रीय कृषि बागवानी मिशन, स्वयंसेवी संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं, जल एवं स्वच्छता समिति, ग्राम विकास मण्डल (रजिस्टर्ड संस्थाएं) भू-जल विभाग, जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत विभाग/संस्था/संस्थान/विशेषज्ञ द्वारा किया जा रहा है। इस अभियान की कार्य अवधि वर्तमान में 4 वर्ष की है प्रत्येक वर्ष की कार्ययोजना में स्वीकृत कार्य को 1 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

वन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान फेज प्रथम के अन्तर्गत राज्य के 33 जिलों के 3529 गांवों में 6558 कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करावाया गया है। जल संरक्षण कार्यों के अलावा अभियान के प्रथम फेज के अन्तर्गत पौधा रोपण कार्यक्रम के तहत लगभग 28 लाख पौधों का पौधारोपण किया गया।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, शहरी (Urban) प्रथम के अन्तर्गत राज्य के 31 जिलों के 56 शहरों में 69 शहरी वनीकरण के कार्यों के अन्तर्गत 1227 हैक्टेयर क्षेत्र में लगभग 3.04 लाख उच्च गुणवत्ता के पौधों का रोपण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान शहरी के अन्तर्गत चयनित प्रत्येक कस्बे में शहरी वनीकरण कार्यस्थल विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान फेज द्वितीय में राज्य के 33 जिलों के 4200 गांवों में वन विभाग द्वारा 16485 कार्य अनुमोदित करवाये जाकर क्रियान्वित कराये गये हैं। इन कार्यों में विभाग की विभिन्न योजनाएं यथा नाबार्ड, कैम्पा, आर.एफ.बी.पी.-II एवं राज्य योजना के विभिन्न वृक्षारोपण कार्य लगभग 19 हजार हैक्टेयर में करवाये गये हैं। अभियान अन्तर्गत चयनित गांवों में लगभग 885 वृक्ष कुंज की स्थापना भी की गई है। जिसके अन्तर्गत प्रति हैक्टेयर उच्च गुणवत्ता के 200 पौधे रोपित किये गये हैं। मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के द्वितीय फेज में वर्ष 2017-18 में कुल 62 लाख पौधों का रोपण किया गया है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान, शहरी (Urban) द्वितीय के अन्तर्गत राज्य के 25 जिलों के 64 शहरों में 69 शहरी वनीकरण के कार्यों के अन्तर्गत 505 हैक्टेयर क्षेत्र में लगभग 1.26 लाख उच्च गुणवत्ता के पौधों का पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

अभियान की सफलताओं का देखते हुए अन्य कई राज्यों के प्रतिनिधि दल भी इस अभियान अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का अवलोकन कर चुके हैं। माह जुलाई, 2017 में National Green Tribunal द्वारा भोपाल (मध्यप्रदेश) में पर्यावरण पर आयोजित क्षेत्रीय कान्फ्रेंस में भी इस अभियान द्वारा करवाये गये कार्यों के प्रस्तुतीकरण की प्रशंसा की गई एवं कान्फ्रेंस उपरान्त Bhopal Declaration में अन्य राज्यों से भी इस प्रकार की परियोजना/योजना क्रियान्वित करने की अपेक्षा की गई।

इसके अतिरिक्त ईशा फाउंडेशन एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'Rally for Rivers' के अवसर पर जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में श्री सद्गुरु द्वारा भी अभियान की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

वर्ष 2017 में India Today Group द्वारा आयोजित जयपुर में 'State of the State Conclave' में भी अभियान अन्तर्गत करवाये गये कार्यों का आमजन समुदाय में सकारात्मक प्रभाव का विश्लेषण किया गया।

राज्य की महत्त्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन के अन्तर्गत किये गये कार्यों व वृक्षारोपण कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी सराहना की गई।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के बारे में यह भी उल्लेखनीय है कि यह देश का सबसे बड़ा क्लाइमेंट चेंज एडाप्टेशन अभियान भी है।

अभियान के अन्तर्गत निर्मित की गई विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:-

कार्य का नाम	मु.ज.स्वा.अभि. I	मु.ज.स्वा.अभि. II
परकोलेशन टैंक एवं अन्य जल भण्डारण संरचनाएं/कार्य	1344	5402
गहरी सी.सी.टी. व अन्य ट्रेंच कार्य	540	5110
वृक्ष कुंज एवं अन्य वानिकी गतिविधियां	153	4427
लूज स्टोन चैकडेम, गेबियन व अन्य संरचनाएं	4265	1056
जीर्णोद्धार/गहराई बढ़ाना/ पुनर्स्थापना कार्य	186	212
अन्य	70	278
कुल योग	6558	16485

जन प्रतिनिधी द्वारा रेंज बस्सी (वन्य जीव) अन्तर्गत कराये गये कार्य का निरीक्षण

छाया सौजन्य : भगवति त्रिपाठी

पी.टी. निर्माण कार्य करलाव की खाल, रावड़दा-चित्तौड़गढ

छाया सौजन्य : शारदा प्रताप सिंह

एनीकट निर्माण कार्य दोबडा की खाल, रावड़दा-चित्तौड़गढ

छाया सौजन्य : शारदा प्रताप सिंह

• विकास कार्यों का तीन वर्ष का तुलनात्मक विवरण

आय-व्यय एवं विकास कार्यों का गत तीन वर्षों का तुलनात्मक विवरण निम्नांकित सारणियों में दृष्टव्य है :-

महत्त्वपूर्ण भौतिक उपलब्धियाँ

योजना	ईकाई	उपलब्धि वर्ष			
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (दिसम्बर, 2017 तक)
वानिकी					
पौध तैयारी	लाख	60.28	36.30	24.25	10.72
पर्यावरण वानिकी वृक्षारोपण	है.	329.3	150	150	0
भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	आर.के.एम.	576.8	353.97	655	471
गंगनहर वृक्षारोपण	आर.के.एम.	737	630.00	360	234
भू-संरक्षण पर्वतीय एवं कन्दरा क्षेत्र वृक्षारोपण	है.	200	0	132	0
आर.एफ.बी.पी. वृक्षारोपण	है.	20515	1993	26407	5058
तेरहवां वित्त आयोग 1 पक्की दीवार, 2 सीमा स्तम्भ योजना 2014-15 में पूर्ण	आर.के.एम./सं.	80.36 4841		-	
परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण	है.	6318	4000	7000	2850
जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण	है.	1083	3000	4000	2050
नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण	है.	22046	28840	12550	18150
SFDA	है.	2425	800	-	0
CAMPA	है.	2837.06	9003.94	9315.57	7630

आय-व्यय का विवरण (₹ लाखों में)

वर्ष	कुल राजस्व	व्यय			
		योजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	गैर आयोजना	योग
2011-12	7375.95	9839.27	6565.05	36572.11	52976.43
2012-13	9006.25	21020.22	6096.75	40071.00	67187.97
2013-14	7627.12	39986.36	1916.50	42658.88	84561.74
2014-15	5128.44	49248.86	1618.73	35138.04	86005.63
2015-16	13181.15	56338.86	1140.32*	51342.81	107681.67
2016-17	11100.33	41016.00	1364.04*	54596.34	95612.34
2017-18 (दिसम्बर, 2017 तक)	13988.3	13413.84	1310.61*	39730.03	53143.87

(*योजना व्यय में सम्मिलित)

5

मृदा एवं जल संरक्षण

नदी-घाटी परियोजनाएं

सिंचाई, विद्युत एवं पीने के पानी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नदियों पर बांधों का निर्माण किया गया है। बांधों की उपयोगिता अधिकतम समय तक बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि जलाशयों में मिट्टी की आवक को न्यूनतम रखा जावे। बांधों के निर्माण के पश्चात् सामान्यतया साद उत्पादन दर (Sediment Production Rate) अधिक हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप जलाशयों की भराव क्षमता तीव्र गति से कम होती जाती है। साद उत्पादन दर को कम करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रवर्तित नदी घाटी परियोजना अंतर्गत जल ग्रहण क्षेत्रों में भू-संरक्षण परियोजना प्रारम्भ की गई। संक्षिप्त में इन्हें नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। राजस्थान में चम्बल, माही, दांतीवाड़ा एवं साबरमती नदी घाटी परियोजनाएं क्रमश: वर्ष 1962, 1969, 1970 एवं 2003 से प्रारम्भ की गई हैं। चम्बल नदी पर निर्मित गांधीसागर, राणाप्रताप सागर, जवाहर सागर एवं कोटा बैराज बांध, माही नदी पर निर्मित माही बजाज सागर एवं कडाना बांध वेस्ट बनास पर निर्मित दांतीवाड़ा बांध एवं साबरमती नदी पर साबरमती बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में वर्तमान में भू-संरक्षण परियोजना संचालित है।

परियोजना सम्बन्धित कार्य मुख्य वन संरक्षक (आर.वी.पी.) कोटा के नियंत्रण में करवाए जा रहे हैं तथा इनके अधीन कार्यालय उप वन संरक्षक (परियोजना) बेगूं, उप वन संरक्षक (परियोजना) बांसवाड़ा तथा उप वन संरक्षक (परियोजना) आबूरोड कार्यरत है।

वर्ष 2016-17 तक कुल 333 जलग्रहण क्षेत्र उपचारित किये जा चुके हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 6.15 लाख हैक्टेयर है।

उद्देश्य :- इन भू-संरक्षण परियोजनाओं के निम्न उद्देश्य हैं :

1. जलग्रहण क्षेत्रों में बहु आयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपतन (Degradation) को रोकना।
2. जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने की प्रवृत्ति (Water Holding Capacity) को सुधारना आद्रता की प्रवृत्ति को सुधारना।
3. अनुकूल भूमि उपयोग (Appropriate Land Use) प्रोत्साहित करना।
4. नदी घाटी परियोजना अन्तर्गत जलाशयों को साद से पटने से बचाने के लिए मृदा क्षरण (Soil Erosion) को रोकना।

M.R. - L.B.V.S., UR-ELB & CST
Mandawara Sub Water Shed-Dathiwada Catchment

5. जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना।

6. भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार द्वारा जारी कार्य निर्देशिका 2008 अनुसार अति उच्च, उच्च एवं इनके समीपतम (Contiguous) मध्यम, कम व बिल्कुल कम प्राथमिकता के वाटरशेड में स्थित कृषि, बंजर एवं वन भूमि को उपचार रणनीति के तहत उपचारित किया जाता है।

उपचार की रणनीति (Strategy of Treatment):-

जलग्रहण क्षेत्र के उपचार हेतु निम्न रणनीति प्रतिपादित की गई है:-

1. मौजूदा वनों की सुरक्षा कर वनस्पति घनत्व बढ़ाना।
2. पहाड़ों से बहकर आते जलग्रहण के वेग को कम करना।
3. नमी संरक्षण।
4. उबड़-खाबड़ बंजर भूमि के विस्तार की रोकथाम एवं समतलीकरण।
5. असमतल कृषि भूमि को कृषि योग्य बनाकर कृषि रकबा बढ़ाना।
6. भू-क्षरण की रोकथाम।
7. अतिरिक्त जलप्रवाह को रोककर फसल उत्पादन को बढ़ाना।
8. स्थानीय किसानों को भू-संरक्षण की नवीन तकनीक से अवगत कराना।
9. स्थानीय लोगों के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाना।

उक्त समस्त कार्यों का एकीकृत प्रबंधन कर क्षेत्र का व्यापक विकास ही इस रणनीति का उद्देश्य है।

साद अध्ययन : (Hydrological & Sediment Monitoring)

साद अध्ययन हेतु ऐसे उप जलग्रहण क्षेत्रों का चयन किया जाता है जहां एक मुख्य नाला उक्त उप जलग्रहण क्षेत्र में से निकलता हो एवं वर्षा का अधिकतर जल उस नाले में से गुजरता हो। साद अध्ययन कार्य नाले के आखिरी बिन्दु पर किया जाता है। इसमें नाले में गेज लगाकर/सिल्ट मॉनिटरिंग स्टेशन (एस.एम.एस.) का निर्माण कर साद अध्ययन किया जाता है एवं संकलित रेनफाल, रनऑफ एवं सेडीमेंट डेटा भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं। वर्ष 2017-18 में भारत सरकार की दिशा निर्देशिका (Operational Guideline 2008) अनुसार निम्नानुसार उप जलग्रहण क्षेत्रों में साद अध्ययन कार्य करवाया गया।

क्र.सं.	परियोजना	साद स्थलों की संख्या जिन पर साद अध्ययन करवाया गया 2017-18
1.	चम्बल	2
2.	माही	3
3.	दातीवाड़ा	1
4.	साबरमती	1
	योग	7

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र (I.M.D.) पूना से अनुबंधित दो मौसम वैधशालाएं जो क्रमश: चम्बल परियोजना अन्तर्गत चारभुजा (रावतभाटा) में एवं माही परियोजना अन्तर्गत प्रतापगढ़ में स्थापित की हुई है जिनमें मौसम सम्बन्धी आंकड़े (Rainfall, Temperature Humidity, Vapour pressure, Wind velocity, Wind Direction, Sun shine hours, Weather report & Soil temperature etc.) संकलित कर निर्धारित अवधि अनुसार I.M.D. पूना केन्द्र को भिजवाये गए।

वर्ष 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 की उपलब्धियां, वर्ष 2017-18 की प्रस्तावित योजना अनुमोदित योजना एवं दिसम्बर, 2017 तक की उपलब्धियां अग्रानुसार है:

2014-15 की प्रगति

क्र.सं.	नदी घाटी परियोजना	आवंटित बजट लाख रुपये में	उपलब्धि		
			भौतिक हैक्टेयर	संरचनाएं संख्या	वित्तीय लाख रुपये में
1.	चम्बल	311.61	2634	404	303.23
2.	माही	727.62	3825	2264	670.40
3.	दांतीवाड़ा एवं साबरमती	643.15	4961	3909	640.80
	योग	**1682.38**	**11420**	**6577**	**1614.43**

2015-16 की प्रगति

क्र.सं.	नदी घाटी परियोजना	आवंटित बजट लाख रुपये में	उपलब्धि		
			भौतिक हैक्टेयर	संरचनाएं संख्या	वित्तीय लाख रुपये में
1.	चम्बल	235.00	1116	72	203.34
2.	माही	350.00	2203	800	301.23
3.	दांतीवाड़ा एवं साबरमती	1100.00	7304	4291	1093.37
	योग	**1685.00**	**10623**	**5163**	**1597.94**

2016-17 की प्रगति

क्र.सं.	नदी घाटी परियोजना	आवंटित बजट लाख रुपये में	उपलब्धि		
			भौतिक हैक्टेयर	संरचनाएं संख्या	वित्तीय लाख रुपये में
1	2	3	4	5	6
1.	चम्बल	7.82	10	0	7.82
2.	माही	194.86	1323	315	191.20
3.	दांतीवाड़ा एवं साबरमती	951.38	3871	2920	951.37
	योग	**1154.06**	**5204**	**3235**	**1150.39**

2017-18 की प्रगति
(दिसम्बर, 2017 तक)

क्र.सं.	नदी घाटी परियोजना	आवंटित बजट लाख रुपये में	अनुमोदित योजना			उपलब्धि		
			भौतिक हैक्टेयर	संरचनाएं संख्या	वित्तीय लाख रुपये में	भौतिक हैक्टेयर	संरचनाएं संख्या	वित्तीय लाख रुपये में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	चम्बल	100.84	1865	239	264.46	192	115	47.96
2.	माही	120.00	2125	728	364.73	439	7	36.07
3.	दांतीवाड़ा	13.44	284	315	13.44	0	0	0.60
4.	साबरमती	491.31	2604	1301	491.31	1585	0	306.56
	योग	**725.59**	**6878**	**2583**	**1133.94**	**2216**	**122**	**391.19**

Ghatu Sub Water Shed Sabarmati Catchment

Maha. Sub Water Shed Sabarmati Catchment

Pipla Sub Water Shed Sabarmati Catchment

Tepur Sub Water Shed Sabarmati Catchment

उपलब्धियां : चम्बल, माही, दांतीवाड़ा एवं साबरमती कैचमेंट अन्तर्गत पिछले 14 वर्षों के दौरान उपचारित भूमि में निर्मित संरचनाओं एवं व्यय राशि विवरण अग्रानुसार है।

वर्ष वार उपलब्धि की स्थिति (2002-03 से 2016-17)

वर्ष	उपलब्धि		
	भौतिक (है.)	संरचना (संख्या)	वित्तीय (₹ लाख)
2002-03	9147	3919	466.44
2003-04	8214	5008	602.63
2004-05	8554	5052	653.72
2005-06	13543	4105	723.55
2006-07	14049	4935	956.98
2007-08	12674	5506	1047.71
2008-09	16870	6787	1277.21
2009-10	11394	4698	1038.01
2010-11	19577	5906	1098.00
2011-12	11635	4536	1108.83
2012-13	7980	4343	1269.55
2013-14	1494	2632	563.583
2014-15	11420	6577	1614.43
2015-16	10623	5163	1597.94
2016-17	5204	3235	1150.39

Representation of Saturated area up to 2016-17, Ongoing area & Balance area in Chambal Mahi, Dantiwara & Sabarmati catchment.

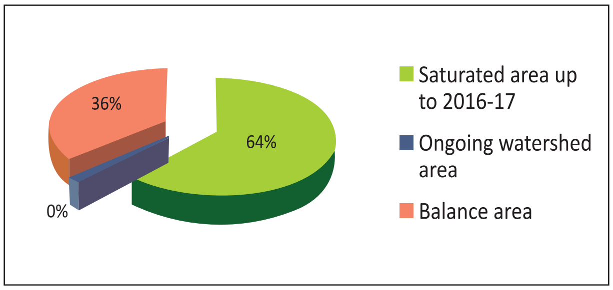

CHAMBAL

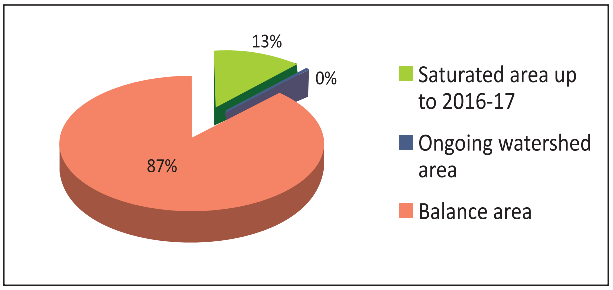

MAHI

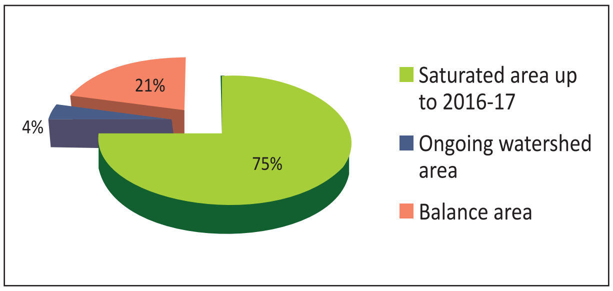

DANTIWARA

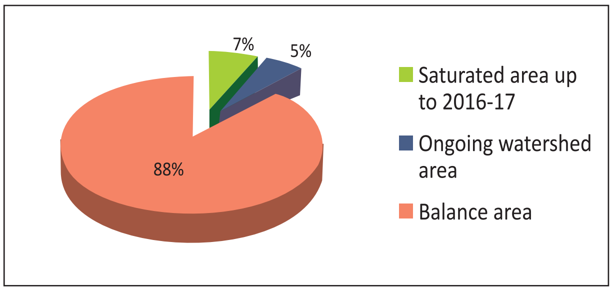

SABARMATI

बाढ़ संभावित नदी परियोजनाएं

आजादी के पश्चात् भारत सरकार द्वारा ढाँचागत विकास को प्राथमिकता प्रदान की गई व कृषि पैदावार बढ़ाने हेतु नदियों पर बांधों का निर्माण किया गया। जिस तरह बांधों में नदी के जलग्रहण क्षेत्र से बहकर आने वाली मिट्टी व जमाव को रोकने/कम करने हेतु नदी घाटी परियोजनाएं शुरू की गई, उसी तरह कालान्तर में यह

महसूस किया गया कि कुछ नदियों में बाढ़ की समस्या के कारण जान-माल के अतिरिक्त कृषि योग्य भूमि का भी नुकसान हो रहा था उसी के मध्य नजर पांचवी पंचवर्षीय योजना से बाढ़ उन्मुख नदियों को भी केन्द्रीय परिवर्तित योजनाओं में शामिल किया गया। उसी के क्रम में वर्तमान में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना संचालित की जा रही है। बाढ़ उन्मुख नदी परियोजना के अन्तर्गत बनास व लूणी नदी परियोजनाएं एवं नम भूमि संरक्षण परियोजनान्तर्गत सांभर नम भूमि उपचार योजना के अभियांत्रिकी कार्य मुख्य वन संरक्षक, बाढ़ संभावित नदी परियोजना, जयपुर के नियंत्रण में करवाये जा रहे हैं तथा इनके अधीन कार्यालय भू संरक्षण अधिकारी (वानिकी) टोंक, वरिष्ठ योजना अनुसंधान एवं विस्तार अधिकारी, बनास नदी परियोजना भीलवाड़ा, भू-संरक्षण अधिकारी (कृषि) बनास नदी परियोजना सवाईमाधोपुर, भू-संरक्षण अधिकारी, सोजत रोड (पाली) में कार्यरत है।

उक्त परियोजनाओं के तहत मुख्यत: बनास, लूणी व इनकी सहायक नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में मृदा व जल संरक्षण हेतु कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य करवाये जा रहे हैं। मृदा व जल संरक्षण कार्य कृषि, बंजर एवं वन भूमि पर करवाये जा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में निर्गमित नालों का उपचार (Drainage Line Treatment) भी किया जा रहा है।

इन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य :- जलग्रहण क्षेत्र में बहुआयामी उपचार द्वारा भूमि के अधोपतन (Degradation) को रोकने, जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि की योग्यता एवं नमी सोखने (Water holding capacity) तथा आर्द्रता की प्रवृत्ति को सुधारना, अनुकूल भू उपयोग (Appropriate land use) प्रोत्साहित करना, जलप्रवाह तथा अधिकतम जल प्रवाह आयतन कम करना, जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंध में जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा भूमि सुधार कार्यक्रमों के आयोजन एवं क्रियान्वयन की योग्यता विकसित करना है।

Photo : Ajay Gupta

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बाढ़ संभावित बनास व लूणी नदी के प्रवाह क्षेत्र में भू एवं जल संरक्षण के कार्य कराने हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है। गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत बनास/लूणी नदी क्षेत्र में 11468 हैक्टेयर क्षेत्र का उपचार तथा 1181 संरचनाओं का निर्माण एवं राशि रुपये 1592.79 लाख का व्यय किया गया।

नाम योजना	उपजलग्रहण क्षेत्र की संख्या	वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपचारित जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या		
		क्षेत्रफल (है.)	निर्मित जलग्रहण संरचनाओं की संख्या	राशि ₹ लाखों में
एफ.पी.आर. बनास व लूणी परियोजना	31	11468	1181	1592.79

बनास व लूणी परियोजना में वर्ष 2017-18 के लिये आर.के.वी.वाई. योजनान्तर्गत राशि रुपये 1816.45 लाख की कार्य योजना कृषि विभाग को प्रेषित की गई है। जिसके अन्तर्गत 35 उप जलग्रहण क्षेत्रों में विकास कार्य करवाये जाने हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में उक्त प्रावधान से बनास व लूणी परियोजना में कुल 35 उप जलग्रहण क्षेत्रों में 13226 हैक्टेयर क्षेत्र में रुपये 1816.45 लाख के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत निम्नानुसार विकास कार्य सम्पादित करवाये गये:-

नाम योजना	उपजलग्रहण क्षेत्र की संख्या	वित्तीय वर्ष 2017-18 में दिसम्बर 2017 तक उपचारित जलग्रहण क्षेत्रों की संख्या		
		क्षेत्रफल (है.)	निर्मित जलग्रहण संरचनाओं की संख्या	राशि ₹ लाखों में
एफ.पी.आर. बनास व लूणी परियोजना	35	12826	1645	815.24

6

मूल्यांकन एवं प्रबोधन

राज्य में विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संपादित विकास कार्यों की गुणवत्ता (मात्रात्मक व गुणात्मक) विदित करने एवं सुनिश्चित करने तथा भविष्य में किये जाने वाले विकास कार्यों के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश प्रदान करने की दृष्टि के मद्देनजर विकास कार्यों का मूल्यांकन कार्य करवाया जाता है।

इस कार्य हेतु संभागीय स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन इकाइयां सृजित हैं। सभी मूल्यांकन इकाइयों के प्रभारी उप वन संरक्षक स्तर के अधिकारी हैं। राज्य वन प्रशासन में संभागीय मुख्य वन संरक्षक की व्यवस्था होने के साथ ही प्रत्येक संभाग में प्रबोधन एवं मूल्यांकन कार्यों को अंजाम देने के लिये संभागीय मुख्यालय पर एक उप वन संरक्षक (आयोजना एवं प्रबोधन) पदस्थापित है।

समस्त उप वन संरक्षकगण (प्रबोधन एवं मूल्यांकन) वन संरक्षक, समवर्ती मूल्यांकन, जयपुर/अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रबोधन एवं मूल्यांकन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन रहकर उनके निर्देशानुसार कार्य करते हैं। राज्य के सातों संभागों के अधीन संभागीय मुख्य वन संरक्षक स्तर पर उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन कार्य कर रहे हैं जो संभाग में हो रहे वानिकी कार्यों का मूल्यांकन मुख्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार कार्य की गोपनीयता बनाए रखते हुए करते हैं एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) को अपनी टिप्पणी सहित प्रेषित करते हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर द्वारा समवर्ती मूल्यांकन हेतु समय-समय पर दिशानिर्देश जारी किये हैं। इन परिपत्रों/आदेशों के अनुसार मूल्यांकन इकाइयों द्वारा मूल्यांकन कार्य कर मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

मूल्यांकन इकाइयों के कार्य

संभाग स्तर पर सृजित इकाइयों द्वारा चयनित कार्य स्थलों पर शत प्रतिशत या सैंपलिंग पद्धति से मूल्यांकन कार्य किया जाता है।

मानगढ़ 50 है. 2016 आरएफबीपी, रेंज मांडलगढ़, भीलवाड़ा

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एम एण्ड ई द्वारा जारी आदेशों के अनुरूप चयनित कार्यों का मूल्यांकन संभाग में पदस्थापित इकाई द्वारा विभागीय दिशा निर्देशानुसार किया जाता है। मूल्यांकन के दौरान इकाई द्वारा निम्न कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है-

- कार्यस्थल से संबंधित क्षेत्र का माइक्रोप्लान।
- कार्यस्थल की उपचार योजना।
- कार्यस्थल का मानचित्र मय मृदा मानचित्र।
- कार्यस्थल का चयन मॉडल के अनुरूप किया गया हो।
- कराये जाने वाले कार्य का प्राक्कलन।
- बाड़बंदी की प्रभावितता।
- वृक्षारोपण हेतु करवाये गये कार्यों की गुणवत्ता मात्रात्मक एवं गुणात्मक रूप से।

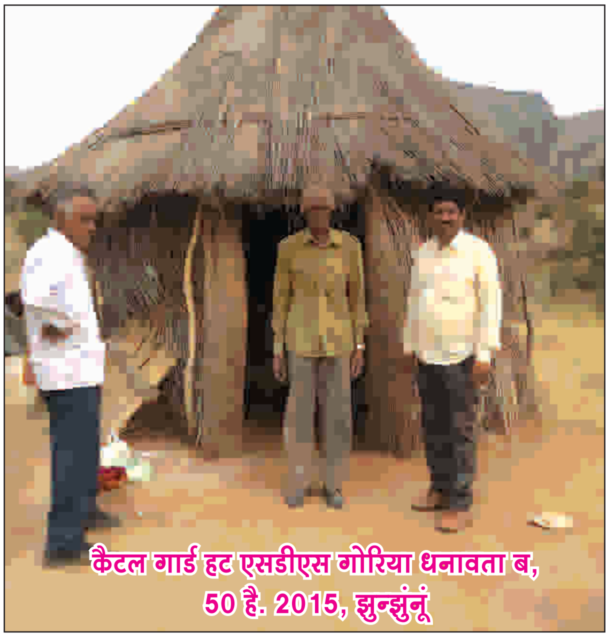

कैटल गार्ड हट एसडीएस गोरिया धनावता ब, 50 है. 2015, झुन्झुंनूं

एसडीएस गोरिया मनावता 50 है. 2015, झुन्झुंनूं

पारौली 50 है. 2014 आरएफबीपी, रेंज जहाजपुर, भीलवाड़ा

कोरसीना 52 है. 2014 आरएफबीपी, रेंज दूदू, जयपुर

- वृक्षारोपण हेतु पौधों की सुनिश्चितता हेतु नर्सरी व्यवस्था।
- वृक्षारोपण की तकनीक सम्बन्धी।
- वृक्षारोपण में लगाये गये पौध प्रजाति का चयन।
- वृक्षारोपण पश्चात् करवाये जाने वाले विभिन्न सिल्वीकल्चरल ऑपरेशन्स की स्थिति।
- पौधों के विकास की स्थिति।
- पौधारोपण की सुरक्षा एवं संधारण की स्थिति।
- पौधारोपण स्थल से सम्बन्धित समस्त रिकॉर्ड के संधारण की स्थिति।

मूल्यांकन के उपरान्त मूल्यांकन इकाई द्वारा मूल्यांकन के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा संबंधित उप वन संरक्षक/सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा कार्यस्थल प्रभारी से की जाती है। वृक्षारोपण में पाई गई विभिन्न कमियों तथा सुधार के सम्बन्ध में मूल्यांकन इकाई अपना प्रतिवेदन अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम एण्ड ई को प्रस्तुत करती है।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एम एण्ड ई राजस्थान के स्तर पर इस प्रकार प्राप्त प्रतिवेदनों का परीक्षण किया जाकर मूल्यांकन कार्यों के सुधार हेतु सम्बन्धित उप वन संरक्षक, आयोजना एवं प्रबोधन तथा वृक्षारोपण के सम्बन्ध में सुधारात्मक सुझाव एवं सुधार हेतु नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु संभागीय स्तर पर पदस्थापित मुख्य वन संरक्षक को आवश्यकतानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

संभाग पर कार्यरत मूल्यांकन दलों द्वारा विगत पांच वित्तीय वर्षों के संपादित मूल्यांकन कार्यों की संभागवार/वर्षवार स्थिति:–

वर्ष 2014-15

क्र.सं.	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइटों की संख्या					अग्रिम कार्यों की साइटों की संख्या	अन्य (स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशान वाल, बाउन्ड्री पिलर्स वाच टावर्स आदि)	योग
		40 प्रतिशत से कम	40-60 प्रतिशत	60-80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	0	8	11	21	40	28	3	71
2.	बीकानेर	3	4	4	3	14	22	0	36
3.	भरतपुर	0	7	17	7	31	25	36	92
4.	जयपुर	2	4	9	19	34	24	0	58
5.	जोधपुर	0	0	17	11	28	9	1	38
6.	कोटा	2	6	11	1	20	24	35	79
7.	उदयपुर	1	4	18	30	53	77	10	140
	योग राजस्थान	**8**	**33**	**87**	**92**	**220**	**209**	**85**	**514**

वर्ष 2015-16

क्र.सं.	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइटों की संख्या					अग्रिम कार्यों की साइटों की संख्या	अन्य (स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकारेस्टोरेशान वाल, बाउन्ड्री पिलर्स वाच टावर्स आदि)	योग
		40 प्रतिशत से कम	40-60 प्रतिशत	60-80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	1	8	6	1	16	0	0	16
2.	बीकानेर	2	19	18	6	45	0	0	45
3.	भरतपुर	4	14	11	0	29	4	1	34
4.	जयपुर	4	12	15	2	33	4	0	37
5.	जोधपुर	0	5	7	3	15	4	0	19
6.	कोटा	0	20	7	0	27	0	0	27
7.	उदयपुर	0	9	6	2	17	0	1	18
	योग राजस्थान	**11**	**87**	**70**	**14**	**182**	**12**	**2**	**196**

वर्ष 2016-17

क्र.सं.	नाम संभाग	जीवितता प्रतिशत की साइटों की संख्या					अग्रिम कार्यों की साइटों की संख्या	अन्य (स्थायी नर्सरी, एनिकट, इकोरेस्टोरेशान वाल, बाउन्ड्री पिलर्स वाच टावर्स आदि)	योग
		40 प्रतिशत से कम	40-60 प्रतिशत	60-80 प्रतिशत	80 प्रतिशत से अधिक	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अजमेर	1	33	34	1	69	0	0	69
2.	बीकानेर	1	7	14	5	27	0	0	27
3.	भरतपुर	4	12	7	6	29	0	9	38
4.	जयपुर	2	3	10	16	31	0	0	31
5.	जोधपुर	0	13	19	4	36	0	0	36
6.	कोटा	1	27	8	0	36	16	0	52
7.	उदयपुर	0	15	5	5	25	0	0	25
	योग राजस्थान	**9**	**110**	**97**	**37**	**253**	**16**	**9**	**278**

वर्ष 2017-18 के दौरान 01.04.2017 से 31.12.2017 तक
मूल्यांकन इकाइयों द्वारा सम्पादित मूल्यांकन कार्यों की संभागवार स्थिति

क्र.सं.	नाम संभाग	कैम्पा	आर एफ बी पी-II	नाबार्ड	अन्य योजनाएं	योग
1.	अजमेर	4	10	4	4	22
2.	भरतपुर	0	0	10	0	10
3.	बीकानेर	1	19	0	8	28
4.	जयपुर	3	8	12	2	25
5.	जोधपुर	2	26	0	8	36
6.	कोटा	2	0	15	0	17
7.	उदयपुर	2	10	0	6	18
	योग	**14**	**73**	**41**	**28**	**156**

स्वतंत्र तृतीय पक्ष द्वारा विभागीय कार्यों का मूल्यांकन

वर्ष 2016-17 में कैम्पा के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 से वर्ष 2013-14 तक करवाये गये वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यों का तृतीय पक्ष शुष्क क्षेत्र वानिकी अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (आफरी) के माध्यम से मूल्यांकन करवाया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में आफरी द्वारा मूल्यांकन की अंतरिम ड्रॉफ्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने की संभावना है।

7

वन्य जीव संरक्षण एवं प्रबंधन

जैव विविधता के संदर्भ में राजस्थान राज्य पूरे देश में प्रसिद्ध है। विषम जलवायु व सीमित वन क्षेत्र होने के उपरान्त भी राज्य में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु किये गये सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप देश-विदेश से लाखों पर्यटक इन वन्य जीवों के स्वच्छन्द विचरण के अवलोकन हेतु राजस्थान में स्थित अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों में आते है। विश्व में लुप्त हो रहे दुर्लभ वन्य जीवों व पक्षियों को संरक्षण देने में राज्य का वन विभाग महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। इन दुर्लभ वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु राज्य में 3 राष्ट्रीय उद्यान, 26 अभयारण्य एवं 11 कन्जर्वेशन रिजर्व स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 11243.02 वर्ग किमी. है। उक्त का विवरण परिशिष्ट-4 पर दृष्टव्य है।

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानान्तर्गत राज्य में शिकार पूरी तरह निषेध है। वर्तमान में अच्छे एवं सघन वन क्षेत्र मुख्यत: अभयारण्यों एवं राष्ट्रीय उद्यानों में स्थित हैं, जिन पर आसपास में विद्यमान आबादी के कारण अत्यधिक जैविक दबाव बना रहता है। इस जैविक दबाव के कारण वन्य जीव प्रबंधकों एवं स्थानीय ग्रामवासियों के मध्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को लेकर प्रतिस्पर्धा की स्थितियां भी पैदा होती हैं। इस तनाव एवं प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों से लगे बफर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है, ताकि अतिरिक्त जैविक दबाव से निरन्तर ह्रास हो रहे वन्य जीव क्षेत्रों में वन्य जीवों के लिए पानी, आवास एवं भोजन आदि की सुविधाओं का विकास हो सके। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वन्य जीव क्षेत्रों में ढांचागत विकास, हैबीटाट सुधार, जल संसाधनों का विकास, अग्नि निरोधक कार्य एवं वन पथों को विकसित किया जा रहा है।

वन्य जीव प्रभाग के अधीन वर्तमान में सम्पादित की जा रही महत्त्वपूर्ण गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. वार्षिक योजनाएं : राज्य में स्थित वन्य जीव अभयारण्यों एवं टाईगर रिजर्व क्षेत्रों में वन्य जीव प्रबन्धन के लिए वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना, स्टेट कैम्पा, नाबार्ड, आर.एफ.बी.पी.-2, राजस्थान प्रोटेक्टेड एरिया कन्जर्वेशन सोसायटी में स्वीकृत प्रावधानों से भी वन्य जीव संरक्षण कार्य करवाये जा रहे हैं। रणथम्भौर, सरिस्का बाघ परियोजना संरक्षण सोसाईटी में जमा राशि से अतिरिक्त विकास कार्य कराया जाता है।

   अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं टाईगर रिजर्व्स की वार्षिक कार्य योजनाएं प्रतिवर्ष तैयार कर भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाती हैं। अभयारण्यों में सुरक्षा, ढांचागत विकास, आवास स्थलों का विकास, जल प्रबंधन, ईको-डवलपमेंट गतिविधियां एवं प्रसार व प्रचार कार्य किये जाते हैं।

2. राज्य में 5 जन्तुआलय जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर एवं जोधपुर में स्थित है, जिनका प्रबंधन केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जा रहा है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित ''कॉन्सेप्ट प्लान'' के अनुसार जोधपुर, उदयपुर एवं जयपुर में स्थित जन्तुआलयों के सैटेलाइट केन्द्र क्रमश: 1. माचिया जैविक उद्यान 2. सज्जनगढ जैविक उद्यान एवं 3. नाहरगढ़ जैविक उद्यान चरणबद्ध तरीके से विकसित किए गए हैं। कोटा में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क व बीकानेर में मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क विकसित किये जा रहे हैं।

छाया सौजन्य : अनूप के. आर.

वर्ष 2017-18 के दौरान महत्त्वपूर्ण गतिविधियां

1. राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का वित्तीय पोषण केन्द्रीय प्रवर्तित योजना "Integrated Development of Wild Life Habitats" एवं "Project Tiger" के तहत वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों में वन्य जीव संरक्षण हेतु 6318.32 लाख का प्रावधान स्वीकृत है जिसमें से 2781.92 लाख रुपये केन्द्रीय प्रवर्तित योजना एवं 3536.40 लाख राज्य निधि के अन्तर्गत है।

''इन्टीग्रेटेड डवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट्स''

भारत सरकार द्वारा इस योजना का फंडिंग पैटर्न वर्ष 2015-16 से परिवर्तित कर 60% हिस्सा केन्द्र का एवं 40% राज्य हिस्सा किया गया है। वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से 23 संरक्षित क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृति हुई है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में इस योजना के अन्तर्गत कुल 913.47 लाख की स्वीकृति जारी की गई है जिसमें से 60% हिस्सा केन्द्र का एवं 40% राज्य का हिस्सा परिवर्तित फंडिंग पैटर्न के अनुसार है। इस योजना के अन्तर्गत वन्य जीव संरक्षण के लिये इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट, हैबिटाट डवलपमेंट, वाटर पॉइन्ट्स, फायर लाइन्स दीवार निर्माण इत्यादि कार्य करवाये जा रहे हैं।

प्रोजेक्ट एलीफेण्ट

इस योजना के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा राशि 34.19 लाख की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है।

जैविक उद्यान

2. **सज्जनगढ़ जैविक उद्यान, उदयपुर :-** इस उद्यान का दिनांक 12.04.2015 को लोकार्पण किया जा कर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। उद्यान में वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक 2.42 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे 79.71 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

3. **नाहरगढ़ जैविक उद्यान, जयपुर :-** इस उद्यान का दिनांक 04.06.2016 को लोकार्पण किया जाकर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। उद्यान में वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक लगभग 3.35 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया, जिससे 1.82 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

4. **माचिया बायोलॉजिकल पार्क, जोधपुर:-** इस उद्यान को माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा पर्यटकों के लिये 20.01.2016 में खोल दिया गया है। उद्यान में वर्ष 2017-18 में माह नवम्बर, 2017 तक 2.21 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया,

जिससे 63.25 लाख रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

5. बीकानेर में मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क व कोटा में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण करवाया जा रहा है।

6. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क क्षेत्र के समीप 36.32 हैक्टेयर में एक लायन सफारी का सृजन किया जा रहा है जिसकी कुल लागत 4.00 करोड़ रुपये है। इसे पूर्ण होने पर आमजन के लिए खोला जाएगा।

रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व

7. रणथम्भौर हेतु स्पेशल टाईगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण से एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित कर लिया गया है। इसके अनुरुप एक डी.एस.पी., 3 सब इन्सपेक्टर, 18 हैड कांस्टेबल एवं 81 कांस्टेबल व 9 कांस्टेबल ड्राइवर सुरक्षा कार्य हेतु कुल 112 पदों की स्वीकृति है। पुलिस विभाग द्वारा कांस्टेबल भर्ती कर ली गई है। 83 पुलिस कर्मियों (1 उप अधीक्षक तथा 82 कांस्टेबल) को सुरक्षा कार्यो पर लगा दिया गया है। सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के लिए भी MOU तैयार कर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, भारत सरकार को प्रेषित कर दिए गए हैं।

8. बाघ परियोजना रणथम्भौर एवं सरिस्का में सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकतानुसार होम गार्ड्स की तैनाती की जाती है।

9. रणथम्भौर बाघ परियोजना में विभाग द्वारा उठाये गये प्रबन्धात्मक एवं सुरक्षात्मक उपायों के फलस्वरूप बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। रणथम्भौर बाघ परियोजना में दिसम्बर, 2016 से फरवरी, 2017 तक की गणना के अनुसार 43 बाघ पाये गये हैं।

ग्राम विस्थापन

10. सरिस्का बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में 29 गांव हैं। भगानी एवं उमरी गांव को वर्ष 2008-09 में तथा रोटक्याला को वर्ष

2012-13 में कुल 3 गांवों को सरिस्का से बाहर विस्थापित कर दिया गया है। माह दिसम्बर, 2017 की स्थिति अनुसार ग्राम विस्थापन की प्रगति निम्नानुसार है:-

सरिस्का टाईगर रिजर्व :- माह दिसम्बर, 2017 तक प्रगति :-

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कुल परिवार	विस्थापित परिवार	विस्थापन से शेष परिवार
1.	डाबली	126	118	8
2.	सुकोला	59	17	42
3.	क्रास्का	200	119	81
4.	देवरी	181	82	99
5.	कांकवाड़ी	170	134	36
6.	हरिपुरा	74	27	47
	योग	810	497	313

शेष परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही प्रगति पर है। वर्ष 2017-18 में सरिस्का बाघ परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्य योजना हेतु राशि 547.60 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

11. रणथम्भौर बाघ परियोजना के Critical Tiger Habitat क्षेत्र में 65 गांव हैं। टाईगर रिजर्व से वर्ष 2008-09 में ग्राम इंडाला, वर्ष 2009-10 में माचनकी, वर्ष 2011-12 में ग्राम पादड़ा, वर्ष 2012-13 में मोर डूंगरी तथा वर्ष 2014-15

में भिड तथा वर्ष 2015-16 में कठूली ग्राम तथा कुल 6 ग्रामों को पूर्ण रूप से विस्थापित कर दिया गया है। वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक ग्राम विस्थापन की प्रगति निम्नानुसार है:-

रणथम्भौर टाईगर रिजर्व :- माह दिसम्बर, 2017 तक प्रगति :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	कुल परिवार	विस्थापित परिवार	विस्थापन से शेष परिवार
1.	कालीभाट	47	41	6
2.	हिन्दवाड़	575	373	202
3.	मुंदरहेड़ी	161	70	91
4.	भीमपुरा (कैलादेवी)	102	91	11
5.	डांगरा (कैलादेवी)	83	49	34
6.	ऊंची गुवाड़ी (कैलादेवी)	143	115	28
7.	गढ़ी	49	21	28
8.	काला खोहरा (तालड़ा)	47	01	46
	योग	1207	761	446

स्टेट कैम्पा मद में वर्ष 2017-18 में ग्राम विस्थापन हेतु राशि 994.450 लाख रुपये कैम्पा में स्वीकृत किये गये हैं। रणथम्भौर बाघ परियोजना में वर्ष 2017-18 हेतु राशि 708.70 लाख रुपये की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है।

मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्वः-इसमें कुल 16 ग्राम स्थित है, जिसमें 14 ग्रामों को विस्थापित किया जाएगा। इनमें से ग्राम खरली, बावड़ी एवं लक्ष्मीपुरा का विस्थापन प्रगतिरत है। मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में वर्ष 2017-18 हेतु राशि 276.35 लाख रुपये की वार्षिक कार्य योजना स्वीकृत की गई है।

12. **रणथम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व में बाघ संरक्षण फाउंडेशन :** राज्य में स्थित बाघ रिजर्व क्षेत्रों के लिए पारिस्थितिकीय पर्यटन, पारिस्थितिकीय विकास कार्यक्रमों एवं बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए तथा इनके प्रबंधन को सरल और पारदर्शी बनाने हेतु बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की गई है। फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी के माध्यम से बाघ/जैव विविधता के संरक्षण के लिए बाघ रिजर्व प्रबंधन को सरल बनाना और सहायता प्रदान करना है।

फाउंडेशन के गठन से बाघ रिजर्व के प्रबंधन हेतु राज्य सरकार, भारत सरकार, इच्छुक स्वयंसेवी संस्था, निजी संस्था एवं अन्य से आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता की प्राप्ति होगी। फाउंडेशन के गठन से अति आवश्यक कार्यों के सम्पादन हेतु उपयुक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवस्था होगी एवं क्रियान्वयन हेतु आदेशों/निर्णयों में त्वरित कार्यवाही हो पाएगी। रणथम्भौर फाउंडेशन में वर्ष 2017-18 में रुपये 2408.63 लाख एवं सरिस्का फाउंडेशन में 102.43 लाख की वार्षिक योजना अनुमोदित की गई, जिसके अनुसार कार्य किया जा रहा है। मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व फाउंडेशन के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिये गये हैं, जिसे शीघ्र ही गठित किया जाएगा।

13. **पर्यटकों के लिए ऑन लाइन बुकिंग :-** रणथम्भौर एवं सरिस्का क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए ऑन लाइन बुकिंग, तत्काल बुकिंग सेवाएं, आधा व पूरा दिन भ्रमण हेतु प्रावधान किया गया है। जिससे राजस्व प्राप्तियां गत तीन वर्षों में दुगनी हो गई है।

14. **सरिस्का में बाघो का ट्रांसलोकेशनः**-बाघ परियोजना, सरिस्का में रणथम्भौर से अब तक तीन बाघ एवं पांच बाघिनों को सफलतापूर्वक ट्रांसलोकेट किया गया है। बाघों के ट्रांसलोकेशन के पश्चात् इनकी निरन्तर मॉनिटरिंग की जा रही है। सरिस्का में ट्रांसलोकेशन के पश्चात् दो बाघिनों ने 6 शावकों को जन्म दिया है।

15. **मुकन्दा हिल्स टाईगर रिजर्व में बाघो का ट्रांसलोकेशन :** राज्य में वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के फलस्वरूप रणथम्भौर एवं सरिस्का में बाघों की संख्या में वृद्धि

छाया सौजन्य : मुकेश सैनी

हुई है। इसी क्रम में मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व में रणथम्भौर से तीन बाघों का ट्रांसलोकेशन शीघ्र किया जा रहा है, जिसके लिए प्रे-बेस एवं अन्य तैयारी पूर्ण कर ली गई है। बाघों के उपयुक्त प्राकृतिक आवास हेतु राशि 21.00 करोड़ की लागत से ग्रासलैण्ड डवलपमेंट की एक वृहद योजना क्रियान्वित की जा रही है।

16. **कन्जर्वेशन रिजर्व :** प्रदेश में 11 कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कराये गये हैं, जिनकी स्थिति एवं क्षेत्रफल परिशिष्ट संख्या 4 पर दर्ज है। वर्ष 2017 में खेतड़ी-बांसियाल को कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। जीणमाता, मनसा माता, झालाना, ग्रास फार्म एवं सोरसन क्षेत्रों को कन्जर्वेशन रिजर्व घोषित कराया जाना प्रक्रियाधीन है।

17. **ईको-ट्यूरिज्म :** प्रदेश में संरक्षित क्षेत्रों एवं उनके समीप विकसित की गई 9 ईको-ट्यूरिज्म साइट्स मेनाल, हमीरगढ़, बस्सी, सीतामाता, पंचकुण्ड, सुन्धामाता, गुढ़ा विश्नोई, मुकन्दरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान एवं भैंसरोडगढ़ को आमजन के भ्रमण हेतु खोला गया है। इस साइट्स पर पर्यटकों द्वारा रेस्ट हाउस एवं टेंट्स में रात्रि विश्राम एवं डे ट्यूरिज्म हेतु प्रवास, शैक्षणिक भ्रमण, एडवेंचर स्पोर्ट्स, कैम्पिंग की सुविधाएं प्रदान की जा रही है।

    वर्ष 2017-18 में ईको-ट्यूरिज्म हेतु 75.00 लाख रुपये का प्रावधान है।

18. **बर्ड फेयर** : विभिन्न स्थलों पर बर्ड फेयर का भी अवलोकन किया गया जिससे पक्षियों के सम्बन्ध में जागरूकता बढ़ी है।

19. **ईको-सेन्सिटिव जोन** : संरक्षित क्षेत्रों के चारों और ईको-सेन्सिटिव जोन के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये गये। भारत सरकार द्वारा 15 संरक्षित क्षेत्रों के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन प्रसारित किये गये हैं, जिसमें से चार क्षेत्रों के फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिये गये हैं।

20. **प्रोजेक्ट लैपर्ड :** राज्य में पेंथर की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण इनका संरक्षण आवश्यक है। पेंथर संरक्षण के लिये एक योजना 'प्रोजेक्ट लैपर्ड' तैयार कर स्वीकृत की गई है। यह योजना वर्तमान में झालाना जयपुर में क्रियान्वित की जा रही है। वर्ष 2017-18 में इस कार्य पर राशि 7.00 करोड़ रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है। झालाना क्षेत्र में लेपर्ड सफारी प्रारम्भ की गई जहां पर्यटकों के आवागमन की संख्या काफी मात्रा में है।

21. **प्रोजेक्ट बस्टर्ड :** राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण हेतु भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा ''प्रोजेक्ट बस्टर्ड'' जिसकी लागत राशि 12.90 करोड़ रुपये है, के अन्तर्गत क्लोजर का निर्माण किया जाकर आश्रय स्थलों को विकसित किया जा रहा है। यह माना जा रहा है कि इसके परिणामस्वरूप गोडावण की ब्रीडिंग हुई है। वर्ष 2017-18 के दौरान राशि 192.93 लाख का प्रावधान है। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण भारत सरकार ने गोडावण के संरक्षण हेतु एक

''केप्टिव ब्रीडिंग सेंटर'' की स्थापना बारां के सोरसन क्षेत्र में एवं इसका सैटेलाइट फेसिलिटी जैसलमेर में स्थापित किया जाएगा। जैसलमेर क्षेत्र में गोडावण संरक्षण के आश्रय स्थलों के विकास हेतु ग्रासलैण्ड डवलपमेंट की एक वृहद योजना स्वीकृत की गई है। वर्ष 2017-18 में 2.00 करोड़ की राशि में व्यय की जाएगी।

22. **आकलबुड फॉसिल पार्क** : जैसलमेर क्षेत्र में आकलवुड फॉसिल पार्क की स्थापना की जा रही है, जहां पर फॉसिल्स के रख-रखाव एवं ईको-ट्यूरिज्म के लिए योजना स्वीकृत की गई है। इस कार्य के लिए वर्ष 2017-18 में राशि 5.00 करोड़ रुपये व्यय की जाएगी।

23. **वन धन योजना :** माननीय मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2015-16 में रणथम्भौर, कुम्भलगढ़, राष्ट्रीय मरु उद्यान, माउण्ट आबू व जवाई बांध संरक्षित क्षेत्रों के समीपस्थ क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की वन एवं निर्भरता कम करने एवं रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से वन धन योजना प्रारम्भ की गई। वर्ष 2017-18 में इस कार्य के लिए 1.00 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वीकृत है। वन धन योजना के तहत 140 गांवों के स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए आर.एस.एल.डी.सी. के माध्यम से वन, कृषि, पशुपालन, डेयरी, लघु उद्योग के सम्बन्ध में कौशल विकास एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा।

24. **जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना :** स्थानीय समुदाय की ईंधन के लिये वनों पर निर्भरता कम करने की दृष्टि से रणथम्भौर, सरिस्का एवं मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व के आसपास बने गांवों के परिवारों को कैम्पा योजना के अन्तर्गत 100 प्रतिशत अनुदान पर गैस कनेक्शन दिये जाकर जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना का शुभारम्भ किया गया है। इस योजना की स्वीकृति राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प 3 (2) वन/2015 दिनांक 25.10.2016 से जारी की गई है। गत वर्ष 46312 गैस कलेक्शन वितरित किये गये। इस वर्ष 50,000 नवीन कुकिंग गैस कनेक्शन अनुदान पर दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। माह दिसम्बर, 2017 तक रणथम्भौर में 10645, सरिस्का में 7159 एवं मुकन्दरा में 1056 गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं।

25. **मुआवजा/एक्सग्रेसिया**:आदेश दिनांक 16.11.2017 से राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्यों में अथवा उसके बाहर वन्य जीवों द्वारा जनहानि अथवा घायल किये जाने पर तथा राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव अभयारण्यों के वन क्षेत्रों के बाहर पालतू मवेशियों को मारे जाने पर मुआवजा/ एक्सग्रेसिया राशि को भुगतान किये जाने की पूर्व प्रचलित दरों को दोगुना कर दिया गया है।

झालाना सफारी, जयपुर

छाया सौजन्य : मनफूलसिंह विश्नोई

8

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त

कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:–

(अ) वन मण्डलों की कार्य आयोजना के कार्यों का पर्यवेक्षण।

(ब) वन बन्दोबस्त सम्बन्धित सभी प्रकरणों का परीक्षण कर निस्तारण।

(स) कार्यालय सम्बन्धित अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्यों का प्रावैधिक सहायक से निस्तारण।

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त राजस्थान जयपुर द्वारा इन कार्यों के सम्पादन करवाने एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिनका पृथक से कोई कार्यालय नहीं है तथा वे कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त में पदस्थापित है।

कार्य आयोजना :– वानिकी कार्य आयोजना जिले के वन क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु दस वर्ष के लिए तैयार की जाती है।

वर्तमान में सात कार्य आयोजना अधिकारी कार्यालय क्रमश: उदयपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर एवं जोधपुर में स्थाई रूप से स्वीकृत है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 12 (24) वन/2008 जयपुर दिनांक 28.10.2010 से संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों में पदस्थापित वन संरक्षकगण को वन संरक्षक, कार्य आयोजना घोषित किया गया है।

वर्तमान में राजस्थान प्रदेश के वन क्षेत्रों (वन्य जीव अभयारण्य एवं नेशनल पार्क को छोड़कर) के प्रबंधन हेतु 31 कार्य आयोजनाएं तैयार कराई जा चुकी हैं।

गत वित्तीय वर्षों में कार्य आयोजना की स्थिति

वर्ष 2014–15		वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17	
स्वीकृत कार्य आयोजना	अंशकालीन अवधि के लिए स्वीकृत	स्वीकृत कार्य आयोजना	अंशकालीन अवधि के लिए स्वीकृत	स्वीकृत कार्य आयोजना	अंशकालीन अवधि के लिए स्वीकृत
23	08	25	06	27	04

वर्ष 2017–18 में अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टौंक, इ.गा.न.प. स्टेज–I बीकानेर, इ.गा.न.प. स्टेज-II बीकानेर, चूरू, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बारां, बूंदी, कोटा, जयपुर, सीकर, दौसा, झुन्झुनूं, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद की कार्य योजनाएं पूर्णकालीन अवधि के लिए तथा करौली, झालावाड़, अलवर, एवं डूंगरपुर की कार्ययोजनाएं अंशकालिक अवधि के लिए स्वीकृत की जा चुकी है।

प्राथमिक कार्य आयोजना : भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्य आयोजना कोड 2014 स्वीकृत हो चुका है, जिसमें प्रावधानों के अनुसार जिन मंडलों की कार्य आयोजना वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 में समाप्त होने जा रही है उनमें से चार वन मण्डल उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा की प्रारम्भिक कार्य आयोजनाएं अनुमोदन कर स्वीकृत की जा चुकी है।

वन बन्दोबस्त : वन विभाग के नियंत्रण अधीन वन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेखों में वन विभाग के नाम अमलदरामद किया जाता है। वन भूमि को राजस्थान वन अधिनियम के अन्तर्गत आरक्षित अथवा रक्षित वन घोषित किया जाता है। साथ ही वन सीमाओं पर मीनारे बनाकर क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। यह प्रक्रिया वन बन्दोबस्त कहलाती है।

राजस्थान वन अधिनियम के तहत अधिसूचनाओं का प्रकाशन : किसी वन क्षेत्र को रक्षित वन खण्ड गठित करने की अधिसूचना राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29 (3) के अन्तर्गत राज्य सररकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र में प्रकाशित करवायी जाती है। उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् वन बंदोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त नियम, 1958 की प्रक्रिया के अनुसार जांच कर अधिकारों एवं रियायतों का निर्धारण किया जाकर अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाता है, जिसकी अधिसूचना राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 29(1) के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से जारी की जाती है तथा राजपत्र में प्रकाशन होता है। किसी वन क्षेत्र को आरक्षित वन खण्ड गठित करने की अधिसूचना राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 4 के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से जारी करवाकर राजपत्र में प्रकाशित करवायी जाती है। उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् वन बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा वन बन्दोबस्त नियम 1958 में निर्धारित प्रक्रिया की पालना करते हुए अधिसूचना को अंतिम रूप दिया जाता है। जिसकी अधिसूचना राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 20 के अन्तर्गत राज्य सरकार स्तर से जारी की जाती है तथा राजपत्र में प्रकाशन होता है। उक्तानुसार वर्ष 2016-17 की स्थिति अग्रानुसार है :

(क्षेत्रफल हैक्टेयर में)

वन खण्डों की जारी अधिसूचना			वन खण्ड गठित करने की जारी अधिसूचना		
2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17
0	554.656	917.2972	191.750	83.830	1790.419

वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह दिसम्बर, 2017 तक अधिसूचना हेतु 85.97 है. के प्रस्ताव राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजे गये परन्तु अभी तक कोई अधिसूचना प्रकाशित नहीं हुई है।

प्रारम्भिक एवं प्लेन टेबल सर्वे का कार्य :- प्रारम्भिक प्लेन टेबल सर्वे आदि के लिए निम्नानुसार कार्य करवाए गए हैं:-

क्र. सं.	सर्वे कार्य का नाम	प्राप्ति							
		भौतिक (वर्ग किमी)				वित्तीय (लाखों में)			
		2014-15	2015-16	2016-17	दिसम्बर 2017	2014-15	2015-16	2016-17	दिसम्बर 2017
1.	प्रारम्भिक सर्वे	90.87	71.95	16.50	22.40	4.02	3.29	1.06	1.01
2.	प्लेन टेबल सर्वे	96.45	85.36	86.93	0	9.20	8.28	8.38	0

वन भूमि का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद :- वन क्षेत्रों का राजस्व अभिलेख में अमलदरामद भी वन बन्दोबस्त प्रक्रिया का एक अंग है। मार्च 2017 तक राज्य के कुल वन क्षेत्र 32,828.35 वर्ग किमी में से 28,012.53 वर्ग किमी वन भूमि का राजस्व अभिलेख में वन विभाग के नाम अमलदरामद हो चुका है।

वन भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद कराने के लिए विभाग काफी समय पूर्व से ही प्रयासरत है। इस कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद तथा रेखांकन कार्य के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत संभाग स्तर पर संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग की राज्य आज्ञा क्रमांक प. 6 (35) प्र.सु. अनुदेश-3/99/जयपुर दिनांक 15.09.2016 से समिति का कार्यकाल दिनांक 31.12.2018 तक बढ़ाया गया है।

अमलदरामद से शेष वन भूमि का राजस्व विभाग द्वारा आसानी से नामांतरण वन विभाग के नाम नहीं किया जा रहा है। इसके सम्बन्ध में समस्त संभागीय आयुक्तों के माध्यम से उक्त विषय को गंभीरता से लेते हुए संभाग स्तर पर मीटिंग कर आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करते हुए राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही का शीघ्र निस्तारण करवाये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

सीमांकन : वित्तीय वर्ष 2014-16 से 2016-17 तक वन सीमा पर निम्नानुसार मीनारें (सीमा स्तम्भ) लगाये गये :-

क.सं.	कार्यालय का नाम	लगाये गये सीमा स्तम्भ					
		2014-15		2015-16 आवंटित लक्ष्य		2016-17	
		सीमा स्तम्भ	राशि ₹ लाखों में	सीमा स्तम्भ	राशि ₹ लाखों में	सीमा स्तम्भ	राशि ₹ लाखों में
1	मुख्य वन संरक्षक, अजमेर	810	12.30	403	6.98	519	9.23
2	मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	975	14.53	350	6.30	30	0.57
3	मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर	1375	18.26	1450	28.06	300	5.32
4	मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर	268	4.30	100	1.80	50	0.94
5	मुख्य वन संरक्षक, कोटा	705	10.44	901	16.10	2195	35.30
6	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	1752	27.56	1430	26.12	700	12.88
7	मुख्य वन संरक्षक,उदयपुर	1267	20.97	1520	27.81	1500	28.06
8	मुख्य वन संरक्षक,व.जी., जोधपुर	175	3.20	0	0	150	2.62
9	मुख्य वन संरक्षक,व.जी., जयपुर	559	8.57	45	0.82	239	4.73
10	मुख्य वन संरक्षक,व.जी., कोटा	837	13.29	122	2.19	330	6.14
11	मुख्य वन संरक्षक,व.जी., भरतपुर	500	7.69	324	6.16	344	5.86
12	मुख्य वन संरक्षक, व.जी., उदयपुर	650	10.38	490	8.99	500	9.42
	योग	**9873**	**151.49**	**7135**	**131.33**	**6857**	**121.07**

राज्य में वन क्षेत्र के शेष रहे सीमांकन की स्थिति निम्नानुसार है

वन बन्दोबस्त एवं आवश्यकतानुसार सीमा स्तम्भ लगाने का लक्ष्य	सीमा स्तम्भ लगाए जा चुके है (31.03.2017 तक)			सीमा स्तम्भ जो लगाए जाने शेष हैं (31.12.2017 तक)			
	2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
283943	96212	103347	110204	187731	180596	173739	173739

9

वन अनुसंधान

राज्य के वन विभाग में शोध एवं अनुसंधान कार्यों के लिये वर्ष 1956 में राज्य वनवर्धन अधिकारी के नेतृत्व में एक सिल्वीकल्चर वन मण्डल की स्थापना की गई। वर्तमान में इस कार्य का नेतृत्व अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वनवर्धन) कार्यालय अधीन ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर; वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा, जयपुर; विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, झालाना, जयपुर; बीज उत्पादन एवं भण्डारण, जयपुर एवं वन अनुसंधान फार्म, बांकी, उदयपुर केन्द्र कार्यरत है। वनवर्धन कार्यालय में बीज परीक्षण एवं जल-मृदा परीक्षण से सम्बन्धित दो प्रयोगशालाएं भी हैं।

पौधशालाएं - विभिन्न प्रजातियों के पौधे पौधशालाओं में तैयार कर वितरण करना इस कार्यालय की मुख्य गतिविधियों में से एक है। इस कार्यालय के अधीन संचालित पौधशालाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	नाम पौधशाला	योजना	वर्ष 2015-16 में वितरित पौधे (लाखों में)		वर्ष 2016-17 में वितरित पौधे (लाखों में)		वर्ष 2017-18 में वितरित पौधे (लाखों में)	
			लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	वितरण	लक्ष्य	वितरण
1.	ग्राम फार्म नर्सरी, जयपुर	RFBP	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
		F&F	-	-	0.23	0.23	-	-
		CAMPA	-	-	1.00	-	-	-
		MJSA	-	-	-	-	0.70	-
2.	फोरेस्ट रिसर्च फार्म गोविन्दपुरा जयपुर	RFBP	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
		CAMPA	-	-	0.15	-	-	-
		MJSA	-	-	-	-	0.15	-
3.	विश्व वानिकी आरबोरेटम जयपुर	RFBP	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.23
		CAMPA	-	-	0.35	-	-	-
		MJSA	-	-	-	-	0.25	-
4.	बांकी अनुसंधान केन्द्र, सीसारमा, उदयपुर	RFBP	0.60	0.60	0.60	0.50	0.60	0.60
		F&F	0.15	0.06	1.20	0.52	0.40	0.20
		CAMPA	-	-	2.50	-	-	-
		MJSA	-	-	-	-	0.40	-

अनुसंधान परियोजनाएं :- वन अनुसंधान कार्यों की निरन्तरता एवं उनको विभागीय आवश्यकता अनुरूप दिशा देने के लिये विभाग में वर्ष 2005-06 में एक शोध परामर्शी समूह (Research Advisory Group) का गठन किया हुआ है। विभिन्न वर्षों में शोध परामर्शी समूह (RAG) की बैठकों में स्वीकृत की गई अनुसंधान परियोजनाओं का विवरण निम्न तालिका अनुसार है:-

वर्ष	कार्यकारी संस्था	स्वीकृत परियोजना	स्वीकृत राशि (लाखों में)
2015-16	वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा	1. Creation of seedling seed orchard of *Prosopis Cineraria*	1.00
		2. Creation of seedling and orchard of *Acacia jacquemontic*	0.75
2016-17	विश्व वानिकी आरबोरेटम, जयपुर	1. Status Assessment, Vegetative propagation and re-introduction of *Ephedra foliata* (ऊंट फोग)	1.00
		2. Tree Talks: An awareness programme for stakeholders	1.00
	बांकी अनुसंधान केन्द्र सीसारमा, उदयपुर	3. Raising of plants of Tectona grandis (Teak) by seed.	0.50
		4. Study of Irrigation economy in certain species by using sub-terrential irrigation method.	0.50
	बांकी अनुसंधान केन्द्र सीसारमा, उदयपुर	5. To study the effect of IBA and IAA on vegetative propagation of Gymnema sylvestre (Gurmar).	1.00
	आफरी, जोधपुर	6. Study on effect of trees on soil fertility and crop production	4.41
2017-18	आरबोरीकल्चरिष्ट, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, जयपुर	1. To disseminate research findings pertaining to dry land afforestation and to identify research gaps	1.00
		2. Establishment of a Forest Food Park, at World Forestry Arboretum, Jaipur	6.434
		3. Tall tree raising of native/lesser known plants of Rajasthan	0.70
	प्रभारी अधिकारी, वन अनुसंधान फार्म, बांकी, सीसारमा, उदयपुर	4. Raising of plants of *Mallotus philippensis* (Kamla) by seed	0.30
		5. To study the different methods of *Lantana species* Control	0.50
		6. Development of state trees of India plot.	0.50
		7. Tall tree raising of native/lesser known plants of Rajasthan	0.70
	प्रभारी अधिकारी, वन अनुसंधान फार्म, गोविन्दपुरा	8. Tall tree raising of native/lesser known plants of Rajasthan	0.70
	प्रभारी अधिकारी, ग्रास फार्म नर्सरी, जयपुर	9. Tall tree raising of native/lesser known plants of Rajasthan	0.70

गोविन्दपुरा रिसर्च फार्म

बेम्बू सेटम :- वर्ष 2016-17 में बांस की विभिन्न प्रजातियों के 24 राइजोम वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून से प्राप्त कर वन अनुसंधान फार्म बांकी, उदयपुर एवं विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जयपुर में मृत पौधों के स्थान पर रोपित किये गये हैं।

बीज उत्पादक क्षेत्र (Seed Production Area) :- अच्छी किस्म के वृक्ष तैयार करने के लिये उन्नत किस्म के बीजों का विशेष महत्त्व होता है। उन्नत व निरोगी बीजों के लिये वनवर्धन कार्यालय निरोग वृक्ष एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों का चयन कर उन्हें बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित कर वहीं से श्रेष्ठ किस्म के बीज एकत्रित कर राज्य के विभिन्न कार्यालयों को उपलब्ध करवाता है। राज्य में कुल 29 बीज उत्पादक क्षेत्र घोषित किये गये हैं।

बीज एकत्रीकरण :- गत तीन वर्षों में रेंज बीज संग्रहण एवं भंडारण द्वारा विभिन्न बीज उत्पादकता क्षेत्रों से उपलब्ध बजट अनुसार उन्नत किस्म के बीजों का एकत्रीकरण कर विभिन्न वन मण्डलों को उनकी मांग अनुसार उपलब्ध करवाया गया है। वर्षवार एकत्रीकरण एवं वितरण का विवरण निम्न तालिका अनुसार है:-

एथेनोबोटेनिकल गार्डन, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री ऑरबोरेटम, जयपुर

वर्ष	एकत्र बीज का विवरण		बीज वितरण का विवरण	
	प्रजाति	मात्रा (कि.ग्रा.)	वन मण्डल का नाम	मात्रा (कि.ग्रा.)
2014-15	*1. Vachellia senegal*	1650.00	1. उप वन संरक्षक सीकर	1000
			2. उप वन संरक्षक जयपुर (उत्तर)	650
	2. Vachellia nilotica	2550.00	1. उप वन संरक्षक जयपुर (उत्तर)	1650
			2. उप वन संरक्षक, सीकर	200
			3. उप वन संरक्षक, टोंक	100
			4. उप वन संरक्षक, भरतपुर	50
			5. उप वन संरक्षक सवाईमाधोपुर	350
			6. उप वन संरक्षक, भीलवाड़ा	200
2015-16	*1. Vachellia senegal*	2700.00	1. उप वन संरक्षक, सीकर	1200
			2. उप वन संरक्षक जयपुर (उत्तर)	1500
2016-17	*1. Vachellia senegal*	2250.00	1. उप वन संरक्षक, सीकर	1050
			2. उप वन संरक्षक जयपुर (उत्तर)	750
			3. उप वन संरक्षक वन्य जीव, जयपुर	500
	2. Vachellia tortilis	2218.00	1. उप वन संरक्षक, सीकर	1000
			2. उप वन संरक्षक जयपुर (उत्तर)	718
			3. उप वन संरक्षक वन्य जीव जयपुर	500

बीज, मृदा व जल की जाँच :- वनवर्धन शाखा की मृदा व बीज परीक्षण प्रयोगशालाएं न केवल विभिन्न कार्यालयों द्वारा भेजे गये बीज, मिट्टी व पानी के नमूनों की जाँच करती है, अपितु आम जनता द्वारा लाये गये नमूनों की नि:शुल्क जाँच कर उपर्युक्त सुझाव देती है। प्रयोगशालाओं में प्राप्त सेंपलों का वर्षवार (माह दिसम्बर 2017 तक) विवरण निम्न तालिकाओं में दर्शाया गया है।

बीज परीक्षण प्रयोगशाला

वर्ष	नमूनों की संख्या	कार्यालयों की संख्या जहां से परीक्षण हेतु नमूने प्राप्त हुए हैं	प्रजातियों की संख्या
2014-15	202	19	50
2015-16	130	19	40
2016-17	227	22	53
2017-18	87	14	29

जल एवं मृदा परीक्षण प्रयोगशाला

वर्ष	मृदा के नमूनों की संख्या		जल के नमूनों की संख्या	
	नमूनों की संख्या	कार्यालयों/फर्मों की संख्या	नमूनों की संख्या	कार्यालयों/फर्मों की संख्या
2014-15	38	06	18	09
2015-16	34	07	10	06
2016-17	26	05	05	03
2017-18	12	12	07	07

वर्धन की मुख्य गतिविधियां निम्न प्रकार हैं:-

1. विभिन्न बीज उत्पादक क्षेत्रों से बीजों का संग्रहण उपलब्ध बजट के अनुसार करना तथा उन्हें विभिन्न वन मंडलों को वितरित करना है।
2. बीज प्रयोगशाला में विभिन्न मण्डलों से प्राप्त बीजों का अंकुरण प्रतिशत की जांच की जाती है।
3. जल एवं मृदा प्रयोगशाला में विभिन्न मण्डलों व आमजनों से प्राप्त जल एवं मृदा की जांच निःशुल्क की जाती है।
4. ग्रास फार्म नर्सरी की मुख्य गतिविधि विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार कर उनका वितरण करना है।
5. वन अनुसंधान फार्म गोविन्दपुरा क्लोनल सीड आरचर्ड सीडलिंग सीड आरचर्ड अन्तर्राष्ट्रीय नीम ट्रायल लैमन ग्रास ट्रायल, नीम प्रोजेनीट्रायल स्थित है जिनका संधारण किया जा रहा है।
6. वन अनुसंधान फार्म बांकी, उदयपुर में मुख्य रूप से औषधीय पौधों का उत्पादन ट्रायल व अनुसंधान से सम्बन्धित है।
7. विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान में विभिन्न प्रजातियों के पौधों का संधारण किया जा रहा है। उपरोक्त सम्बन्धित गतिविधियों/उद्देश्य के लिये विभिन्न परियोजनाओं से प्राप्त भौतिक वित्तीय लक्ष्यों को आवंटन अनुसार प्राप्त किया जाता है। विभाग विभिन्न राष्ट्रीय व प्रादेशिक वानिकी व कृषि अनुसंधान संस्थानों से निरन्तर अनुसंधान सम्बन्धित सूचनाओं व निष्कर्षों का आदान-प्रदान करता रहता है।

प्रदेश में विभाग द्वारा जनसहभागिता से वन विकास एवं संरक्षण के लिये योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। प्रदेश में वन एवं जीवों के संरक्षण के कार्यों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में न केवल रोजगार का सृजन होगा अपितु प्रदेश की जनता की लघु वनोपज की पूर्ति भी हो सकेगी।

ट्री टॉक प्रोग्राम, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री ऑरबोरेटम, जयपुर

10

विभागीय कार्य योजना

वर्ष 1968 से पूर्व जलाऊ लकड़ी एवं अन्य वन उपज की मांग की पूर्ति हेतु वन क्षेत्रों के ठेके खुली नीलामी द्वारा दिये जाते थे। ठेकेदारों द्वारा अपने लाभ के लिए वन क्षेत्रों की निरंकुश एवं अवैज्ञानिक तरीकों से कटाई किए जाने के कारण वनों को अत्यधिक क्षति होती थी, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर वर्ष 1968 में विभागीय कार्ययोजना द्वारा वनों के चिह्नित कूपों को वैज्ञानिक पद्धति से स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार विदोहन कर आम जनता को सस्ती दरों पर जलाऊ लकड़ी, कोयला, इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उपज उपलब्ध कराई जाने एवं राजस्व अर्जन हेतु स्वीकृति प्रदान की।

विभागीय कार्ययोजना के उद्देश्य :

- ठेकेदार द्वारा निरंकुश कटाई से वनों की सुरक्षा;
- विदोहन किये गये वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन तथा वन पुनरुत्पादन के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाना ;
- उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कोयला एवं जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना;
- पिछड़े वर्ग एवं जनजाति के श्रमिकों को उचित श्रमिक दर पर श्रम कार्य दिलवाना; तथा
- राज्य के लिए राजस्व प्राप्ति करना आदि।

प्रशासनिक व्यवस्था :

मुख्य वन संरक्षक, विभागीय कार्य, जयपुर के नियंत्रण में प्रदेश में वन उपज के विदोहन व निस्तारण का कार्य किया जाता है। इसके अधीन पांच उप वन संरक्षक निम्न प्रकार से कार्यरत हैं –

1. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, बीकानेर
2. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, स्टेज–II, बीकानेर
3. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, सूरतगढ़
4. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर
5. उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर

उक्त वन मण्डलों को विभागीय कार्य मण्डल कहा जाता है। बीकानेर, सूरतगढ़ एवं स्टेज–II बीकानेर विभागीय कार्य मण्डलों द्वारा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार पूर्व में नहर के किनारे एवं नहर क्षेत्र में कराये गये वृक्षारोपणों का विदोहन कराया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर में मुख्यत: भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य आयोजना के अनुसार बांस का विदोहन उदयपुर जिले में करवाया जा रहा है।

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डल, जयपुर द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ाईकरण के फलस्वरूप वृक्षों के विदोहन से प्राप्त होने वाली लकड़ी एवं प्रादेशिक वन मण्डलों से प्राप्त गिरी पड़ी लकड़ी के विदोहन का कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्यालयों के अधीन कार्यरत प्रादेशिक वन मण्डलों से उनके क्षेत्रों में आंधी तूफान से गिरी पड़ी लकड़ी के एकत्रीकरण का कार्य भी करते हुए उनके निस्तारण का कार्य सम्बन्धित विभागीय कार्य मण्डल द्वारा किया जाता है।

विभागीय कार्ययोजना की विभिन्न योजनाएँ:

लकड़ी व्यापार योजना:

जनसंख्या एवं औद्योगीकरण से वनों पर बढ़ते दबाव से वन क्षेत्र एवं उनकी सघनता में हुई कमी के कारण राज्य सरकार ने वर्ष 1993–94 से प्राकृतिक वन क्षेत्रों से जलाऊ लकड़ी का विदोहन पूर्ण रूप से बन्द किया हुआ है। प्राकृतिक वन क्षेत्रों में लकड़ी विदोहन हेतु वृक्षों का पातन बंद होने के कारण सूखी–गिरी पड़ी लकड़ी का संग्रहण मात्र ही कराया जाता है। यह कार्य संबंधित प्रादेशिक संभाग के मुख्य वन संरक्षक एवं प्रादेशिक उप वन संरक्षक की सहमति के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्य में विभिन्न सड़कों एवं नहर के किनारों पर खड़े वृक्षों के आंधी–तूफान से गिरने अथवा सूख जाने पर उनसे भी कुछ मात्रा में लकड़ी प्राप्त होती है। मार्च, 1999 में दसवर्षीय वर्किंग प्लान के तहत वर्किंग स्कीम को केन्द्र

सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् दिसम्बर, 1999 में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में खड़े परिपक्व वृक्षारोपणों का योजना के अनुसार चरणबद्ध रूप से विदोहन आरम्भ किया गया है।

इस योजना के अन्तर्गत पिछले वर्षों में कराये गए वन उपज के विदोहन से प्राप्त आय एवं उत्पादन का विवरण अग्रानुसार है:–

वर्ष	उत्पादन			प्राप्त राजस्व
	इमारती लकड़ी (लाख क्विंटल में)	जलाऊ लकड़ी (लाख क्विंटल में)	योग (लाख क्विंटल में)	(₹ लाखों में)
2014–15	4.88	4.42	9.30	2976.14
2015–16	2.57	5.72	8.29	2766.18
2016–17	4.05	3.85	7.90	1963.38

लकड़ी व्यापार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 हेतु आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध अर्जित उत्पादन एवं राजस्व की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है :–

(माह दिसम्बर 2017 तक)

योजना का नाम	राजस्व (₹ लाखों में)		उत्पादन (लाख क्विंटल में)	
	लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति
लकड़ी व्यापार योजना	3500.00	1881.36	7.50	5.20

छाया सौजन्य : भवानीसिंह

छाया सौजन्य : भवानीसिंह

स्वरुपगंज बांस डिपो

छाया सौजन्य : संजय गुप्ता

बाँस विदोहन योजना :

इस योजना के अन्तर्गत उदयपुर क्षेत्र के वन क्षेत्रों में स्वीकृति वर्किंग स्कीम के आधार पर बाँस विदोहन कार्य कराया जाता है। स्वरूपगंज एवं उदयपुर में बाँस डिपो कायम किये गये हैं, जहाँ बाँस के कूपों से बाँस कटवाकर एकत्रित कराया जाता है व हर माह निश्चित तिथियों पर नीलाम किया जाकर राजस्व प्राप्त किया जाता है। गत 3 वर्षों में इस योजना के अन्तर्गत उत्पादन एवं आय की सूचना निम्न प्रकार है:-

वर्ष	मानक बांस उत्पादन (संख्या लाखों में)		मानक बांसों से प्राप्त राजस्व आय (₹ लाखों में)
	लक्ष्य	उत्पादन	
2014-15	12.00	13.04	102.09
2015-16	11.00	11.52	517.09
2016-17	13.00	18.05	294.41

बाँस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में आवंटित लक्ष्यों के विरुद्ध अर्जित उत्पादन एवं राजस्व आय की प्रगति निम्नानुसार है :- (माह दिसम्बर, 2017 तक)

योजना का नाम	उत्पादन		राजस्व आय (राशि ₹ लाखों में)	
	लक्ष्य (लाखों में मानक बांस)	वास्तविक उत्पादन (लाखों में मानक बांस)	लक्ष्य	वास्तविक प्राप्ति
बाँस योजना	13.00	6.05 लाख	600.00	222.53 लाख

अन्य कार्य :

उप वन संरक्षक, विभागीय कार्य मण्डलों के द्वारा स्वीकृत योजना में वन उपज के विदोहन के अतिरिक्त करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :

1. वन क्षेत्र जो अन्य परियोजनाओं के लिये हस्तान्तरित किये जाते हैं ऐसे क्षेत्रों में वन उपज का विदोहन।
2. प्रादेशिक वन मण्डलों में गिरी-पड़ी लकड़ी का निष्पादन।
3. राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य मार्गों के किनारे से प्राप्त वन उपज का विक्रय करना।
4. उदयपुर वन मण्डल द्वारा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना एवं आयोजना भिन्न मद के अन्तर्गत बांस उत्पादन बढ़ाने हेतु बांस थूरों में कल्चरल कार्य भी करवाये जा रहे हैं।

11

तेन्दू पत्ता योजना

राजस्थान राज्य के वन उत्पादों में तेन्दू पत्ता लघु वन उपज, आय प्राप्ति का प्रमुख स्रोत है। तेन्दू के वृक्षों से प्राप्त पत्तों से बीड़ी बनाने का कार्य किया जाता है। तेन्दू के वृक्ष ज्यादातर झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों के वन क्षेत्रों में पाये जाते हैं, किन्तु अल्प संख्या में ये वृक्ष बूंदी, सिरोही, भीलवाड़ा, पाली, अलवर एवं धौलपुर जिलों के वन क्षेत्रों में भी पाये जाते हैं।

राजस्थान राज्य में तेन्दू पत्ता का राष्ट्रीयकरण कर वर्ष 1974 में राजस्थान तेन्दू पत्ता (व्यापार का विनियमन) अधिनियम, 1974 पारित कर किया गया। राष्ट्रीयकरण के मुख्य उद्देश्य विभिन्न संग्रहण एजेंसियों को समाप्त कर व्यापार पर राज्य सरकार का नियंत्रण स्थापित करना, श्रमिकों को ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति दिलवाना, तेन्दू वृक्षों में वैज्ञानिक रूप से कर्षण कार्य व अन्य सुधार कार्य करवाये जाकर पत्ते की किस्म में सुधार लाना एवं राज्य के राजस्व में वृद्धि करना था।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् राज्य सरकार ही तेन्दू पत्ता का व्यापार करने हेतु अधिकृत है। तेन्दू पत्ता संग्रहण करने वाले श्रमिकों को शोषण से मुक्ति हेतु अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत विभिन्न संभागों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रत्येक संभाग हेतु पृथक्-पृथक् सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें सम्बन्धित राज्याधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों एवं तेन्दू पत्ता व्यापारियों को भी मनोनीत किया जाता है। उक्त सलाहकार समितियां प्रतिवर्ष राज्य में तेन्दू पत्ता संग्रहण- कर्ता श्रमिकों को चुकायी जाने वाली संग्रहण दरों को निर्धारित किये जाने की सिफारिश करती हैं। संग्रहण दरों में राष्ट्रीयकरण के पश्चात् उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1974 में यह दर ₹ 18 से 20 प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई थी जो निरन्तर वृद्धि के पश्चात् वर्ष 2018 के लिए ₹ 900 प्रतिमानक बोरा निर्धारित की गई है।

क्र.सं.	निष्पादन का तरीका	वर्ष	कुल इकाइयों की संख्या	व्ययन हुई इकाई (सं.)	पडत रही इकाई (सं.)	विक्रय से प्राप्त हुई आय लाख रुपये में
1.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2014-15	168	100	68	598.15
2.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2015-16	168	115	53	700.00
3.	निविदा/नीलामी से अग्रिम व्ययन द्वारा	2016-17	167	167	0	2406.00

तेन्दू पत्ता व्यापार हेतु अधिनियम की धारा-3 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सम्पूर्ण राज्य के तेन्दू पत्ता उत्पादन क्षेत्रों को इकाइयों में विभक्त कर इकाई का गठन किया जाकर उनका बेचान नीलामी द्वारा किया जाता है। विक्रय से अवशेष रही इकाइयों को राज्य सरकार की स्वीकृति से पड़त रखा जाता है।

वर्ष 2017-18 के लिए राज्य की कुल 167 इकाइयों का गठन किया गया जिनके बेचान से मार्च, 2018 तक लगभग ₹8282.41 लाख की आय प्राप्त होने की संभावना है। वर्ष 2017 हेतु सलाहकार समितियों की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ₹850/- प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई

थी। कुल 4.85 लाख मानक बोरा संग्रहित हुए। जिस हेतु लगभग 4122.00 लाख रुपये श्रमिकों को सीधे ही क्रेताओं द्वारा पारिश्रमिक चुकाया गया है।

वर्ष 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 की वास्तविक राजस्व प्राप्तियां अग्रानुसार रही हैं:-

(लाखों ₹ में)

क्र.सं.	विवरण	वास्तवित प्राप्तियां	वास्तवित प्राप्तियां	वास्तवित प्राप्तियां	माह दिसम्बर 2017 तक प्राप्तियां
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	तेंदू पत्तों के विक्रय से प्राप्त आय	598.15	700.00	2122.11	7110.32
2.	अन्य विविध आय	8.77	6.72	13.66	32.00
	योग	**606.92**	**706.72**	**2135.77**	**7142.32**

वर्ष 2018 के संग्रहण काल हेतु राज्य सरकार द्वारा सलाहकार समितियों का गठन किये जाने के पश्चात् माह नवम्बर में संभाग स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाकर वर्ष 2018 के तेंदु पत्ता संग्रहण काल हेतु ₹ 900/- प्रति मानक बोरा संग्रहण दर निर्धारित की गई है।

वर्ष 2018 के लिए राज्य में कुल 167 तेंदू पत्ता इकाइयों का गठन किया जाकर राजपत्र में प्रकाशन करवाया जा चुका है, तथा उक्त इकाइयों के विक्रय हेतु प्रथम निविदाएं दिनांक 03.01.2018 को आमंत्रित की जाकर दिनांक 04.01.2018 को खोली गई तथा 10 इकाईयों का व्ययन होना शेष है।

राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम 1999 एवं राजस्थान पंचायतीराज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के

सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम 2011 के नियम 26 (2) व 26 (3) की पालना में वर्ष 2011-12 का अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को तेंदू पत्ता एवं बांस योजना से प्राप्त शुद्ध आय राशि ₹ 308.72 लाख (268.04 लाख तेंदू पत्ता से तथा 40.68 लाख बांस से) पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर द्वारा अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में आवंटन किया जा चुका है, परन्तु राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2013 द्वारा नियम 26 (2) व (3) में संशोधन कर शुद्ध आय के स्थान पर सकल आय प्रतिस्थापित करने के कारण वर्ष 2012-13 की सकल आय को उक्त क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में वितरण हेतु राशि ₹830.23 लाख प्रस्तावित किये गये थे। जिसमें से 295.34 लाख तेंदू पत्ता से तथा 99.02 लाख बांस आय से पुराने पैटर्न अनुसार ग्राम पंचायतों को अन्तरित किये जा चुके हैं तथा ₹274.98 लाख तेंदू पत्ता आय से एवं ₹ 160.89 लाख बांस की आय से SFC *(State Finance Commission)* पैटर्न पर अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के वितरण हेतु हस्तान्तरित किये गये हैं।

इस प्रकार ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर अब तक ₹ 838.66 लाख तेंदू पत्ता से तथा ₹ 300.59 लाख बांस से प्राप्त आय को अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किया गया है।

12

सूचना प्रौद्योगिकी

जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी का उपयोग :

विभाग की GIS शाखा में वन सीमाओं के डिजिटाइजेशन का कार्य मरुस्थलीय वन मंडलों के वन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य प्रादेशिक वन मंडलों एवं वन्य जीव क्षेत्रों हेतु कर लिया गया है। यह कार्य अधिकांश वनमंडलों में स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, जोधपुर के सहयोग से किया गया है। उत्तरोत्तर Accuracy प्राप्त करने हेतु डिजिटल वन सीमाओं में अद्यतन की प्रक्रिया प्रगतिरत है। इसके लिए डिजिटाइजेशन के उपरान्त जी.आई.एस. डेटा का उपयोग करते हुये समस्त प्रादेशिक वनमंडलों हेतु डिजिटल नक्शे प्रिंट रूप में उपलब्ध कराये गये हैं। इसके अतिरिक्त संभागीय स्तर के लिये मैप बनाने का कार्य प्रगतिरत है।

इस वित्तीय वर्ष में विभाग में प्रथम बार डिजिटाइज्ड वन सीमाओं का उपयोग करते हुये भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा उनके वेब पोर्टल पर उपलब्ध फायर अलर्ट बिन्दुओं को ओवरले करते हुये फायर अलर्ट मैप तैयार कर सम्बन्धित कार्यालयों को ई–मेल के माध्यम से दैनिक रूप से उपलब्ध कराये गये हैं। इनसे वनों को आग से बचाने हेतु प्रभावी कार्यवाही में त्वरित सहयोग मिला है।

माननीया मुख्यमंत्री महोदया की घोषणाओं की अनुपालना हेतु इन डिजिटल वन सीमाओं को इंटीग्रेटेड जी.आई.एस. सिस्टम के माध्यम से राजस्व, वन एवं खान विभाग के क्षेत्रों को ओवरले करने हेतु राजस्व विभाग, खान विभाग एवं भू–प्रबंधन विभाग को उपलब्ध कराया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की बैठकों में विभाग द्वारा तकनीकी एवं अन्य सुझाव द्वारा राज्य सरकार के इस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम में समुचित कार्यवाही की जा रही है।

फील्ड स्तर पर विभिन्न वनमंडल के सर्वेयर को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से विशेष

GIS Software प्रशिक्षण एवं Hands on Training दी गई है। साथ ही राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों को समय–समय पर उनकी मांग अनुसार GIS Data उपलब्ध कराया गया है।

ई–गवर्नेंस अनुभाग

विभाग में ई–गवर्नेंस गतिविधियों को गति प्रदान करने एवं सफलतापूर्वक इनको सम्पादित करने के लिये प्रधान मुख्य वन संरक्षक के नियंत्रण में ई–गवर्नेंस सैल गठित किया गया है। इस सैल द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है–

विभागीय वेबसाइट (forest.rajasthan.gov.in) का विकास एवं संधारण:

भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप नवीन इन्टीग्रेटेड पोर्टल (forest.rajasthan.gov.in) को विकसित कराया गया जिसका लोकार्पण दिनांक 29.04.2016 को माननीय वन मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा किया गया। इस पोर्टल को गत वेबसाइट (rajforest.nic.in) के स्थान पर आरम्भ किया गया है। इस पोर्टल की निम्न विशेषताएं हैं:–

- मुख्य सचिव के निर्देशानुसार नवीनतम तकनीक का उपयोग।
- विभाग के सभी अनुभागों के लिये एकीकृत पोर्टल।
- सभी प्रकार की devices पर उपयोग में सक्षम।
- यह वेबसाइट App के रूप में भी कार्य करेगी तथा सभी प्रकार के platform जैसे Android, IOS, Windows पर डाउनलोड की जा सकती है। यह पोर्टल नागरिकों को विभाग की सेवाएं एवं सूचनाएं प्रदान करने हेतु उपयोगी है।

त्वरित एवं पूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध करने के उद्देश्य से इस वेबसाइट के तीन भाग बनाये गये हैं:–

1. **Forest**
2. **Wildlife**
3. **RFBP**

विभिन्न अनुभागों को उनके पृष्ठ पर सूचनाएं अपडेट करने हेतु पासवर्ड देकर सशक्त किया गया है। प्रथम बार इस पोर्टल पर राज्य सेवा के अधिकारियों की सूचनाएं अपडेट करने हेतु संयुक्त शासन सचिव (वन) को भी अधिकृत किया गया है।

राजस्थान वन विभाग की विभागीय वेबसाइट ई–गवर्नेंस सुविधाओं के अन्तर्गत आती है। यह विभाग की विभिन्न जानकारियां, गतिविधियों, परियोजनाएं एवं अनेक कार्यकलापों को आमजन तक पहुंचाने का एक सुगम माध्यम है। विभाग की नवीन जानकारियों को भी विभागीय वेबसाइट के माध्यम से आमजन को उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में इस वेबसाइट पर राजस्थान की वन सम्पदा के क्षेत्रफल, प्रकार एवं इनमें पाई जाने वाली वनस्पतियों, वनों के संबंध में लागू होने वाले अधिनियम व नियम, वन प्रबंध एवं वन संरक्षण गतिविधियों एवं विकास परियोजनाओं सम्बन्धित सूचना आमजन को उपलब्ध करायी गयी है। वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्तावों की स्थिति का मासिक विवरण, विभागीय अधिकारियों के पदस्थापन की सूचना, नागरिक अधिकार पत्र इत्यादि पूर्व वर्ष की भांति उपलब्ध कराया गया है, एवं समय–समय पर अपडेट किया गया है।

वन प्रबंधन सूचना तंत्र (Forest Management Information System) :

WAM/IFMS लागू हो जाने के फलस्वरूप अब विभागीय MPR एप्लीकेशन की आवश्यकता नहीं रह गयी है। WAM/IFMS में आवश्यक संशोधन कराकर Real time प्रगति जानने हेतु सुविधा उपलब्ध करायी गयी है।

वन भू अभिलेख सूचना तंत्र (Forest Land Record Database Application) :

वन भू–अभिलेखों के रिकॉर्ड संधारण एवं अपडेशन हेतु NIC जयपुर के माध्यम से Forest Land Record Database विकसित करने हेतु एक ऑन लाइन एप्लीकेशन का विकास किया गया है। इसके माध्यम से नागरिकों द्वारा वन भू–अभिलेख को देखा जा सकेगा। इन भू–अभिलेखों में वन खण्ड की विज्ञप्ति के समय में वन खण्ड में आने वाले खसरा नम्बर, वन खण्ड में आने वाले वर्तमान खसरा नंबर, वन खंड के स्कैण्ड खसरा मैप, वन खण्ड की स्कैन्ड विज्ञप्ति, वन खण्ड का

डिजिटाइज्ड मैप आदि उपलब्ध होगा। इसके अन्तर्गत पायलट रूप में नागौर जिले के लिये समस्त रिकॉर्ड पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा दिया गया है। राजस्व विभाग द्वारा DILRMP के अन्तर्गत राज्य स्तर पर कार्य किया जा रहा है।

ई–मेल सिस्टम का व्यापक उपयोग :

ई–मेल के माध्यम से सूचनाओं के त्वरित प्रवाह हेतु राजस्थान सरकार के डोमेन (rajforest.gov.in) पर विभागीय अधिकारियों के लिये जारी किये गये E-mail IDs जारी किये जा चुके हैं। भारत सरकार की FCA Monitoring Application में सरकारी ई–मेल सिस्टम का व्यापक उपयोग किया जा रहा है एवं अधिकाधिक रूप से अधिकारीगण इसकी सुविधाओं का उपयोग करते हुये दैनिक कार्यालय सम्बन्धित कम्यूनिकेशन में त्वरित रूप से सूचनाओं का आदान–प्रदान कर रहे हैं। इससे समय एवं श्रम में बचत हुई है।

अधिकारियों के कार्यालय एवं व्यक्तिगत नाम से भी ई–मेल प्रदान की गई है। यह ई–मेल Single Sign On (SSO-id) के रूप में भी राज्य सरकार की विभिन्न एप्लीकेशन हेतु कार्य करेंगी।

वन कार्यालयों को इंटरनेट कनेक्टिविटी:

राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों भवनों को सेक्रेटेरियल लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़े जाने का कार्य सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। विभाग के मुख्यालय अरण्य भवन, अरावली भवन तथा जयपुर जन्तुआलय, कार्यालय वनवर्द्धन अधिकारी, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, कार्यालय वन मण्डल जयपुर (उत्तर), रेंज आमेर, रेंज जयपुर तथा रेंज नाहरगढ़ में इसे स्थापित किया जा चुका है।

विभाग में जयपुर से बाहर कार्यालयों को Rajswan से जोड़ा गया है। अभी तक लगभग सभी फील्ड कार्यालयों में Rajswan की कनेक्टिविटी उपलब्ध हुई है। शेष कार्यालयों का Rajnet के माध्यम से सेवा उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है।

Infrastructure-Development :

वित्तीय वर्ष 2017–18 में फील्ड स्तर तक के अधिकारीगणों को आईटी सम्बन्धी कार्यों को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिये सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं इनके संधारण हेतु राशि उपलब्ध करायी जा रही है। इसके साथ ही आईटी कार्यों में तकनीकी कार्यों को सुचारु रूप से करने के लिये फील्ड स्तर के कार्यालयों को Skilled Man Power भी उपलब्ध कराया गया है। इस प्रकार फील्ड स्तर तक आईटी सम्बन्धित कार्यों में सुदृढ़ता आने से सूचनाओं का सम्प्रेषण सुगम होगा एवं विभाग में एक सुदृढ़ आधार तैयार होगा।

वर्ष 2017–18 सभी संभागीय, वनमंडल एवं सहायक वन संरक्षक कार्यालयों में डेस्कटॉप उपलब्ध करा दिये गये। रेंज कार्यालयों में अगले चरण में डेस्कटॉप उपलब्ध करवाने की योजना है। भारतीय वन सेवा के सभी अधिकारियों एवं राज्य वन सेवा के उप वन संरक्षक स्तर तक के अधिकारियों को लेपटॉप उपलब्ध करा दिये गये हैं।

ई–प्रोक्योरमेंट एवं स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल :

राजस्थान राज्य लोक उपापन एवं पारदर्शिता अधिनियम के अन्तर्गत एक लाख से अधिक राशि के निविदा State Public Procurement Portal पर प्रदर्शित किये जाने अनिवार्य हैं। सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग द्वारा सभी कार्यालय अध्यक्षों को User ID एवं Password उनके आवेदन पर उपलब्ध करवाये गये हैं। अब तक प्राप्त आवेदन पर User ID एवं Password 8 घंटों के अन्दर उपलब्ध करा दिये गये हैं। राज्य सरकार द्वारा विकसित नवीन SPPP पोर्टल के अन्तर्गत सभी आवेदन करने वाले अधिकारियों को सुविधा प्रदान कर दी गई है।

ई–ग्रीनवॉच :

भारत सरकार, माननीय सर्वोच्च–न्यायालय एवं ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को दृष्टिगत रखते हुये ई–ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपडेटिंग कार्य प्रगतिरत है। सभी वन मण्डलों एवं रेंजों को उनके यूजर नेम एवं पासवर्ड दे दिये गये हैं। उनके द्वारा सूचना अपलोड की जा रही है। संभाग स्तर पर प्रशिक्षण भी आयोजित किये गये हैं। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान में भी संभागवार प्रशिक्षण आयोजित किये गये हैं। इस संदर्भ में ई–ग्रीनवॉच एप्लीकेशन में प्रविष्टि के कार्यों में काफी प्रगति हुई है। कार्य सतत् रूप

से जारी हैं। इस अनुभाग द्वारा प्रतिमाह कार्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग की जा रही है।

भारत सरकार द्वारा इस पोर्टल को सभी प्रकार की योजनाओं के लिए उपयोगी बनाए जाने के फलस्वरूप विभाग की सभी योजनाओं के वन विकास कार्यों के इस पोर्टल पर सूचनाएं अपलोड करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है। मूल्यांकन एवं प्रबोधन के उप वन संरक्षकगणों को उनकी मूल्यांकन सम्बन्धी टिप्पणी ऑनलाइन अंकित करने हेतु अधिकृत किया जा चुका है।

मोबाइल सी.यू.जी. :

अनुभाग द्वारा विभाग को उप वन संरक्षक स्तर तक के 5545 फील्ड अधिकारियों/कर्मचारियों को BSNL के माध्यम से CUG SIM उपलब्ध करायी गयी जिससे कार्य करने एवं सूचनाओं को आदान प्रदान त्वरित एवं सुगम हो गया। इससे वन अपराधों को रोकने में भी सहायता प्राप्त हुई। इससे विभाग के उच्चाधिकारियों के निजी फोन को भी नि:शुल्क जोड़ा गया।

Forest Management and Decision Support System (FMDSS) :

गत दो दशकों से सूचनाओं की बहुतायतता रही है। विभाग इससे अछूता नहीं रहा है। नागरिकों की अपेक्षाएँ भी विभाग से बढ़ गई हैं और विभाग नागरिक सेवाएँ उपलब्ध कराना अपना दायित्व समझता है। उक्त दायित्व को पूर्ण करने एवं विभाग के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कार्यकुशलता एवं विभाग के विभिन्न अनुभागों को बेहतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है।

उक्त उद्देश्यों की प्रवृत्ति के लिए विभाग द्वारा RISL के माध्यम से Webbased Management & Monitoring System लागू करने का निर्णय लिया जिसको FMDSS (Forest Management and Decision Support System) नाम दिया गया। इससे विभाग की समस्त गतिविधियों जैसे विकास, उत्पादन, वनसुरक्षा, वन अपराध, वित्तीय प्रबंधन आदि का प्रबंधन एवं मॉनिटरिंग सुचारु रूप से हो सकेगा। इस परियोजना द्वारा सूचनाएं केन्द्रीकृत रूप में उपलब्ध होंगी जिसे इनका अग्रिम विश्लेषण एवं त्वरित निर्णय हो सकेगा। सम्बन्धित अनुभाग को ई–मेल एवं एसएमएस के माध्यम से तत्काल सूचना प्राप्त हो सकेगी। विभाग की सभी गतिविधियों का एकीकृत सिस्टम है। फील्ड के मुख्यालय तक सभी सूचनाओं का संचार त्वरित होगा तथा विभाग के कार्यों में पारदर्शिता, कार्य क्षमता एवं accountability में वृद्धि होगी।

FMDSS के अन्तर्गत नागरिक सेवाएँ भी उपलब्ध करायी गयी हैं जो मुख्य रूप से निम्न प्रकार हैं:–

- **<u>Fixed Land Use :</u>** Mining permission, Saw mill permission, Cable line permission, School permission, Electric line permission, Industry setup, Hospital, Road, Power Plant, Telephone line permission.
- **Stock holder Service :** Contractor Registration, VFMC Registration, VFMC Member Registration.
- **Offence Service :** Registration of offence, Apply for compounding, Apply for seizer item.
- **Misc. Service :** Apply for camp organizing, Apply film shooting permission.
- **Online Ticket Booking :** Booking for Ranthambore, Sariska, Ghana, & Nahargarh Biological Park, Jaipur Zoo, Jhalana Park have been started.
- **Production Service :** Online purchase of produce, Apply for auction, Permission of Transit Pass.
- **Grievance Service :** Apply Grievance and File RTI.

यह एप्लीकेशन Single Sign on (SSO) सिस्टम का उपयोग किया जाएगा। इस एप्लीकेशन से राज्य सरकार एवं भारत सरकार की सभी एप्लीकेशन को इन्टीग्रेट किया जाना प्रस्तावित है जिससे सूचनाओं की दोहरी प्रविष्टि से बचा जा सके।

सूचना सहायक के 70 पद :

विभाग में फील्ड स्तर पर ई–गवर्नेंस परियोजनाओं एवं सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसके लिए फील्ड में तकनीकी कर्मचारी का होना आवश्यक है। इस बिन्दु को विभाग

द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के सक्षम उठाया गया तथा विभिन्न स्तरों पर परीक्षण एवं चर्चा होने के उपरान्त सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से फील्ड कार्यालयों एवं ई–गवर्नेंस सैल हेतु 70 सूचना सहायक के पद प्राप्त हुए हैं। यह सूचना सहायक वित्तीय वर्ष 2016–17 में 70 सूचना सहायक के पद प्राप्त हो गये हैं। सूचना सहायक के पदस्थापन होने के फलस्वरूप विभाग में ई–गवर्नेंस गतिविधियों को बढ़ावा मिला है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग:

विभाग के मुख्यालय अरण्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। अरण्य भवन से ब्लॉक स्तर तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है विभाग की संभाग एवं वन मंडल स्तर तक के अधिकारियों से होने वाली बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली जा रही है। अति आवश्यक स्थिति में ही फील्ड अधिकारियों को बैठक हेतु मुख्यालय बुलाया जा रहा है। इससे फील्ड से मुख्यालय तक आने एवं जाने में लगने वाले धन एवं समय की बचत हो रही है तथा मुख्यालय से कार्यों की समीक्षा आसान हो गयी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फील्ड अधिकारियों को प्रजेंटेशन देकर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु एक अन्य Soft Solution प्राप्त कर लिया गया है जिससे अधिकारियों से कभी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा सकती है। इसके माध्यम से राज विकास की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है।

ई–लाइब्रेरी :–

अरण्य भवन स्थित विभाग की मुख्य लाइब्रेरी में 10000 से अधिक पुस्तकें, पत्रिकाएं हैं। स्टॉफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुये इन पुस्तकों का प्रबंधन कठिन कार्य था। इसके लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करना आवश्यक है। इस उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से e-Library Solution प्राप्त किया गया। इससे पुस्तकों का प्रबंधन आसान होगा।

Vehicle Tracking System :-

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा Rajasthan Accountability and Assurance System (RASS) के अन्तर्गत Vehicle Tracking System विकसित किया है। इस सिस्टम को विभाग द्वारा रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट के पर्यटक वाहनों पर लगाने का निर्णय लिया गया है। यह कार्य वन्य जीव प्रभाग द्वारा किया जा रहा है जिसमें तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

विकास कार्यों की मॉनिटरिंग :–

भारत सरकार द्वारा ई–ग्रीनवॉच पोर्टल पूर्व में कैम्पा के कार्यों हेतु ही विकसित किया गया था तदुपरान्त इस पोर्टल को सभी प्रकार की योजना के कार्यों हेतु Upgrade किया गया। भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी तकनीक का उपयोग लेने के उद्देश्य से विभाग द्वारा सभी योजनाओं के विकास कार्यों को ई–ग्रीनवॉच पोर्टल पर अपलोड करने का निर्णय किया गया। सम्भागों में पदस्थापित उप वन संरक्षकगणों को इस पोर्टल से मॉनिटरिंग का दायित्व दिया गया तथा कार्यों की evaluation report online इस पोर्टल में दर्ज करने हेतु यूजर नेम व पासवर्ड उपलब्ध कराये जाकर इस कार्य हेतु प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

Transfer and Posting Module :-

राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी स्थानान्तरण/पदस्थापन इस System से किये जाने हैं। इसके लिए मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन) के नेतृत्व में अधिकारियों का दल गठित किया जा चुका है। स्थानान्तरण/पदस्थापन की प्रक्रिया में संभाावित अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया जा चुका है। विभाग के Data Verification का कार्य जारी हैं। भविष्य में स्थानान्तरण इसी System से किये जाने संभाावित हैं।

Online Service for RTI:-

FMDSS के अन्तर्गत RTI के आवेदन प्रस्तुत करके भी एप्लीकेशन तैयार की जा रही है। इसके माध्यम से नागरिक अपने आवेदन/प्रथम अपील ऑनलाइन सम्बन्धित सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपील अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगे। सभी आवेदन ऑन लाइन प्राप्त करना एवं उनका विस्तारण भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से किया जावेगा।

e-Office :-

भारतीय वन सेवा एवं राज्य वन सेवा के सभी अधिकारियों के लिए सभी प्रकार के अवकाशों (कार्मिक

विभाग द्वारा स्वीकृत होने वाले अवकाशों के अतिरिक्त) का आवेदन एवं स्वीकृति इस मॉड्यूल के माध्यम से की जा रही है। कार्मिक विभाग से इसे जोड़ने का प्रयास जारी है। कर्मचारियों की वांछित NOC तथा Tour Proposal को ऑनलाइन अनुमोदन की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गयी है।

Raj-e Sign- (Integrated Electronic Signature System) :-

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा प्राधिकृत एवं सुरक्षित इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर सिस्टम है जिसमें Dongle की आवश्यकता नहीं होगी। विभाग के लिए बनायी जारी एप्लीकेशन FMDSS, RTI, e-Transfer & Posting एवं MPR में Raj e-Sign का उपयोग करके कार्य प्रगतिरत है। यह आधार से लिंक सिस्टम है तथा आई.टी. के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन से इसे मान्य किया जा चुका है।

Work Account Management System (WAM) :-

राज्य सरकार द्वारा सभी Work विभागों के भुगतान कोषालय के माध्यम से करने के निर्देशों के उपरान्त इस अनुभाग द्वारा थअच में विभाग की कार्य प्रणाली अनुसार आवश्यक संशोधन करायें। विभाग की फील्ड की स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इसमें अपलोड किये जाने वाले फोटो पर GPS रीडिंग मार्क कराने की सुविधा प्रदान करायी। सभी वन मंडलों के उप वन संरक्षक एवं सहायक लेखाधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया। जयपुर (उत्तर) वन मंडल में यह सिस्टम सफलतापूर्वक कार्यान्वित उपरान्त इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। सभी कार्यालय इसका उपयोग कर रहे हैं।

Capacity Building & Change Management :-

Capacity Building & Change Management ई-गवर्नेंस के अन्तर्गत सतत् प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत इस अनुभाग द्वारा मुख्यालय पर पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारियों तथा फील्ड के अधिकारियों को ई-गवर्नेंस एवं सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों को संचालित करने हेतु वानिकी प्रशिक्षण संस्थान एवं अपने स्तर पर Capacity building का कार्य सतत् किया जा रहा है। राज्य से बाहर भी अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है।

नवीन सिस्टम (FMDSS) हेतु एवं फील्ड कार्यालय संबंधित अनुभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है। egreenwatch, WAM, Transfer Posting, e-library, e-governance, P&M wing आदि के लिए Capacity building कार्यक्रम आयोजित किये जा चुके हैं।

ई-गवर्नेंस अनुभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में आरम्भ नवीन गतिविधियाँ

नवीन तकनीक का उपयोग करने की निरन्तरता के अन्तर्गत-

1. FMDSS में कार्य की अभिवृद्धि :

A. अमृता देवी पुरस्कार :

माननीय वन मंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय अमृता देवी पुरस्कार के आवेदन एवं उसकी सम्पूर्ण विभागीय प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल FMDSS के अन्तर्गत लागू किया जा चुका है।

B. ऑनलाइन नर्सरी मॉड्यूल :

राज्य सरकार के निर्देशानुसार विभाग में पौधों की उपलब्धता (वितरण एवं विभागीय वृक्षारोपण हेतु) की जानकारी सामान्यजन को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से GMDSS के अन्तर्गत नर्सरी मॉड्यूल विकसित किया गया है। इसके माध्यम से सामान्य जन को राज्य की सभी पौधशालाओं में प्रजाति वार पौधे की उपलब्धता की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी। वर्ष 2017-18 में प्रायोजित तौर पर जयपुर स्थित सचिवालय पौधशाला एवं ग्रास फार्म पौधशाला से पौधे प्राप्त करने हेतु राशि भी ऑनलाइन जमा कराने का कार्य भी किया गया।

C. ऑनलाइन पारपत्र :

EoDB के अन्तर्गत नागरिकों द्वारा वन उपज के परिवहन हेतु पारपत्र (Transit Pass) प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है।

D. अतिक्रमण मॉड्यूल :

Encroachment Module माननीय वन मंत्री महोदय के निर्देशानुसार वन क्षेत्रों में अतिक्रमण रोकने हेतु एवं LRA-91 के प्रकरणों के निस्तारण हेतु Online Module विकसित कर लिया गया है।

2. Smart Division :

चित्तौड़गढ़, अजमेर, सिरोही एवं वन्य जीव उदयपुर वनमंडलों को प्रेषित किया जाकर वर्ष 2013-14 से कराये गये विकास कार्यों की सीमाओं को डिजिटाइज कराया गया। इन वनमंडलों में आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु राशि उपलब्ध करायी गयी।

3. PDCOR से परामर्श सेवाएँ :

राज्य सरकार द्वारा दी गई अंडरटेकिंग अनुसार ई-ग्रीनवॉच पोर्टल पर कैम्पा कार्यों को अपलोड करने हेतु पीडी कोर से परामर्श सेवाएं प्राप्त की गयीं। वर्ष 2016-17 में 837 कार्य स्थलों का कार्य पूर्ण किया गया तथा वर्ष 2017-18 के कार्य यथावत जारी हैं ताकि लगभग 1000 साइट्स का कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

4. GEM Portal

भारत सरकार द्वारा विकसित Gem (Government e-market Place) को राज्य सरकार द्वारा भी लागू किया जा चुका है। इस अनुभाग द्वारा अधीनस्थ मुख्य वन संरक्षक एवं वन मंडल कार्यालयों को GEM पर रजिस्ट्रेशन हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी। आवश्यकता अनुसार कार्यालयों में Buyer & Consignee तथा PAO का रजिस्ट्रेशन कराया गया।

5. ऑनलाइन यात्रा भत्ता बिल :

वित्त विभाग द्वारा 15.09.2017 से सभी यात्रा भत्ता बिल ऑनलाइन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में कर्मचारियों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु IT Person को दायित्व दिया गया।

6. ई-बाजार

राज्य सरकार के उपक्रमों एवं तत्सम्बन्धी संस्थाओं के उत्पादों की बिक्री हेतु ई-बाजार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। विभाग द्वारा उदयपुर वनमंडल की वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति तथा स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाये निम्न उत्पादों को ई-बाजार पोर्टल पर उपलब्ध कराया:

1. वनराज साबुन
2. वनराज अगरबत्ती
3. वनराज जेल
4. वनराज गुलाल

7. ई-मित्र की सेवाओं का उपयोग :

जयपुर स्थित झालाना पार्क एवं रामनिवास बाग चिड़ियाघर की स्थानीय टिकिट बुकिंग का कार्य ई-मित्र को दिया गया जिससे बुकिंग पर लगने वाले स्टाफ को अन्य मार्गों में उपयोग किया जा सके।

8. Digifest

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा मार्च, 2017 में जयपुर तथा अगस्त, 2017 में कोटा में Digifest का आयोजन किया जिसका उद्घाटन माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान द्वारा किया गया। विभाग द्वारा किये जा रहे ई-गवर्नेंस कार्यों को Digifest जयपुर एवं कोटा में प्रदर्शित किया।

9. GNSS Survey

इस तकनीक का उपयोग आरम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत DGPS & RTK के उपयोग हेतु बीकानेर एवं जयपुर संभाग के FSO के कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाया गया। FSO जयपुर को DGPS & RTK उपकरण उपलब्ध कराकर पुन: फील्ड प्रशिक्षण दिलाया गया।

छाया सौजन्य : विपिन गुप्ता

13

मानव संसाधन विकास

वन प्रशिक्षण :

वनों पर बढ़ते दबाव का सफलतापूर्वक सामना करने, जन अपेक्षाओं में आ रहे परिवर्तन तथा वन एवं सामान्य प्रबन्धन विधियों में हो रहे नए प्रयोगों, नई सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकी के उपयोग से परिचित रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टि से वन प्रबन्धन के लिए आवश्यक है कि सभी स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर विभिन्न विषयों पर निरन्तर प्रशिक्षण दिया जावे।

राज्य में वानिकी प्रशिक्षण संस्थानों में इसी अनुरूप दीर्घकालीन उपयोगी प्रभाव वाले प्रशिक्षण दिये जा रहे हैं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समय की आवश्यकता को देखते हुए परिवर्तन किए जा रहे हैं।

विभाग द्वारा मानव संसाधन प्रबन्ध एवं विकास के अन्तर्गत प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्त्व दिया जा रहा है। राज्य सरकार तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राज्य में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

राज्य में प्रशिक्षण देने हेतु तीन संस्थाएं यथा वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, वन प्रशिक्षण केन्द्र अलवर तथा मरू वन प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर में स्थित हैं। प्रशिक्षण कार्यों की राज्य के संदर्भ में उपयोगिता, प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और वैधता बढ़ाने हेतु पाठ्यक्रम में परिवर्तन, प्रशिक्षण प्रविधियों में सुधार तथा नवीन शोध पर आधारित पाठ्य सामग्री का संयोजन तथा संकाय सदस्यों की दक्षता वृद्धि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संस्थानों में सभी विषयों/विधाओं के उच्चकोटि के वक्ताओं व विद्वानों को आमंत्रित कर प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था है। वानिकी प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर ने ज्ञान को कार्य से जोड़ने की रणनीति पर आधारभूत एवं व्यापक कार्य प्रारम्भ किया है। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राज्य में वानिकी प्रशिक्षण संस्थाओं में विभाग के सभी कार्यालयों से प्राप्त सुझावों एवं प्रतिभागियों से प्राप्त पृष्ठ पोषण के आधार पर प्रशिक्षण कैलेण्डर बनाया जाकर, आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में विभाग के सभी संवर्गों के लिए कौशल संवर्धन विषय आधारित पर कार्यानुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनके अतिरिक्त एन.सी.सी. कैडेट्स तथा शिक्षा विभाग के अधिकारियों हेतु पर्यावरण जागरूकता एवं पौधारोपण तकनीक पर भी प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

राज्य के तीनों प्रशिक्षण संस्थानों में वर्ष 2017–18 में माह दिसम्बर, 2017 तक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विवरण अग्रांकित है–

वानिकी प्रशिक्षण संस्थान जयपुर

- विश्व ओजोन दिवस पर 75 विद्यार्थियों एवं वन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- 32 ट्यूरिस्ट गाइड़ों/अराजकीय संस्थाओं को पाँच दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
- 32 क्षेत्रीय/वनपाल/वनरक्षकों को वन्यजीवों के पुनर्वास एवं बचाव कार्यों के दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया।
- 49 क्षेत्रीय/वनपाल/वनरक्षकों को दो कार्यक्रमों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण दिया गया।
- 51 प्रशिक्षणार्थियों की एक दिवसीय कार्यशाला 'पर्यावरण परिरक्षण' पर आयोजित की गई।
- कानोड़िया महिला महाविद्यालय की 93 छात्राओं सहित कुल 135 सहभागियों के लिए एक दिवसीय पर्यावरण चेतना कैम्प आयोजित किया गया।
- 15 क्षेत्रीय/वनपाल/वनरक्षकों को वन विधि प्रवर्तन का तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
- 14 क्षेत्रीय/वनपालों को अभिलेखीकरण का दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
- दीवानी वादों एवं न्यायिक प्रकरणों के सम्बन्ध में 15 क्षेत्रीय/वनपाल/वनरक्षकों को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
- 25 सहायक वन संरक्षक/क्षेत्रीय/वनपाल/वनरक्षकों को भू–उपयोग सर्वेक्षण प्रविधि के दो दिवसीय कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।
- 59 वाहन चालकों को जैव ईंधन के दक्षतापूर्ण उपयोग व वाहन संधारण को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
- 40 क्षेत्रीयों की विभागीय परीक्षा का आयोजन किया गया।
- 8 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से 154 वनरक्षकों को पौधशाला सम्बन्धित प्रशिक्षण दिया गया।
- चार, तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से 52 मंत्रालयिक कार्मिकों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया गया।
- 'परिंदों के लिए परिड़े' विषय पर 70 विद्यार्थियों/अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया।
- 17 राज्य वन सेवा के अधिकारियों को एक्जीक्यूटिव डवलपमेंट कार्यक्रम में प्रशिक्षण दिया गया।
- विश्व पृथ्वी दिवस पर 118 विद्यार्थियों/

अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया गया।

- ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति के सदस्यों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
- वनवर्धन पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।
- 36 प्रतिभागियों को 5 दिवसीय इकोगाइड प्रशिक्षण दिया गया।
- 10 मीडिया कर्मियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
- 19 उपवन संरक्षक/सहायक वन संरक्षकों को कौशल संवर्धन का प्रशिक्षण दिया गया।
- 35 वनरक्षकों को वन संरक्षण अधिनियम का प्रशिक्षण दिया गया।
- 18 क्षेत्रीयों को RKVY का एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।
- 150 छात्रों/अध्यापकों को पर्यावरण सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया गया।
- 3649 विद्यार्थियों/अध्यापकों को पर्यावरण जागृति प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया गया।

वनरक्षक प्रशिक्षण :

विभाग में इस वर्ष वानिकी प्रशिक्षण संस्थान के तत्वावधान में पूर्व में नियुक्त व आधारभूत प्रशिक्षण से वंचित शेष रहे 138 वनरक्षकों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2017–18 में 73 वनरक्षकों को आधारभूत प्रशिक्षण के लिये मरू वन प्रशिक्षण विद्यालय, जोधपुर में दिनांक 29.01.2018 से प्रशिक्षण कार्य आरम्भ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 65 वनरक्षकों के आधारभूत प्रशिक्षण के लिये दिनांक 12.02.2018 से अलवर प्रशिक्षण स्कूल में प्रशिक्षण का कार्य आरम्भ करने का कार्य प्रगति पर है।

वन एवं वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु युवाओं में जागृति हेतु कार्यक्रम

नियमित रूप से रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा, इस संस्थान द्वारा संस्थान परिसर के बाहर आम जनता व विद्यालयों में जाकर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न करवाए गए। इस संस्थान के विषय विशेषज्ञों ने गांवों के विद्यालयों और महाविद्यालयों की एवं कक्षाओं में व्याख्यान व पर्यावरण के व्यावहारिक पक्षों के संदर्भ में जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये।

उप वन संरक्षक प्रशिक्षण, अलवर

अप्रैल, 1954 में यह कार्यालय मुख्य वन संरक्षक संयुक्त राज्य राजस्थान कोटा से स्थानान्तरित होकर आया जिसका वर्ष 1979 तक नियंत्रण मण्डल वन अधिकारी, भरतपुर के अधीन रहा। शुरुआत में इस केन्द्र का प्रभारी 'इन्सट्रक्टर' (रेंजर ग्रेड प्रथम) हुआ करता था। अप्रैल 1963 से इसे क्रमोन्नत कर–

सहायक उप वन संरक्षक जो वर्तमान में सहायक वन संरक्षक के पद के समकक्ष था, बनाया गया। वर्ष 1979 से इस प्रशिक्षण केन्द्र को स्वतंत्र उप वन संरक्षक के नियंत्रणाधीन कर दिया गया।

इस प्रशिक्षण केन्द्र में अब तक 60 वनपाल प्रशिक्षण सत्रों का तथा 112 वनरक्षक प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया है।

प्रशिक्षण अवधि : वनरक्षक-3 माह, वनपाल – 6 माह

वर्ष 2017-18 में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

- नवनियुक्त वनरक्षक प्रशिक्षण सत्र 113वाँ (अवधि 31.01.2017 से 29.05.2017 तक प्रशिक्षण केन्द्र अलवर में संचालित हुआ जिसमें 150 वन रक्षकों को आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया।
- जी.पी.एस. एवं पौधारोपण तकनीकी पर दिनांक 02.08.2017 से 04.08.2017 तक 29 वनकर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।
- पर्यावरण संरक्षण अवेयरनैस विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण के 16 कार्यक्रम आयोजित किए जाकर 1020 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।
- जी.पी.एस. एवं पौधारोपण तकनीकी विषय पर दिनांक 02.08.2017 से 04.08.2017 तक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- जी.पी.एस. एवं एम.जे.एस.ए. विषय पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण के 4 कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- वनकर्मियों हेतु दिनांक 13.11.2017 से 17.11.2017 तक पुन:श्चर्या पाठ्यक्रम प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

मरू वन प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर

जोधपुर रेलवे स्टेशन से 6 कि.मी. एवं रोडवेज बस स्टेण्ड से 10 कि.मी. की दूरी पर जोधपुर-पाली सड़क पर स्थित है। इस प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वनपाल-वनरक्षकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से वर्ष 1978-1979 में अस्थाई रूप से बालसमंद जोधपुर में स्थित किराये के भवन में की गई थी। इसके पश्चात् प्रशिक्षण केन्द्र के राजकीय भवन निर्माण होने पर वर्ष 1986-1987 में इसे यहाँ स्थानान्तरित किया गया था। प्रशिक्षण संस्थान में 1 प्रशासकीय भवन जिसमें उप वन संरक्षक हेतु 1 कक्ष, सहायक वन संरक्षक हेतु 2 कक्ष, क्षेत्रीय वन अधिकारियों हेतु 1 कक्ष, स्टोर स्थित

कक्ष में कार्यालय स्थापित है। साथ ही 1 व्याख्यान कक्ष, पुस्तकालय स्थापित है ताकि दूसरे खण्ड में प्रशिक्षुओं के लिए छात्रावास में 48 प्रशिक्षुओं के लिये आवासीय व्यवस्था हेतु 24 कमरे एवं भोजनशाला, स्नानघर एवं शौचालय स्थापित है। परिसर में एक डोरमेटरी भवन है जिसमें छात्रावास प्रभारी का आवास है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम : वर्ष 2017–18 में इस संस्थान द्वारा दिनांक 09.01.2017 से दिनांक 31.07.2017 तक 81 पुरुष एवं 8 महिला वनपालों का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। दिनांक 29.01.2018 से 73 नवनियुक्त पुरुष वनरक्षकों का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान करना प्रस्तावित है।

पौधशाला : वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र, जयपुर में एक पौधशाला भी संचालित की जा रही है। इस पौधशाला में वर्ष 2017–18 में 1,10,000 पौधे वितरित करने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य में 25,000 टॉल प्लान्ट्स को भी लगाने का लक्ष्य निहित है, जो निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	मद का नाम	आवंटित पौधों का लक्ष्य (सं.)
1.	आर.एफ.बी.पी.	75,000
2.	फार्म वन विद्या	10,000
3.	टॉल प्लान्ट्स (स्टेट प्लान)	25,000
4.	पिछले साल का अधिशेष	21,000
	योग	**1,31,000**

मटका पद्धति से पौधारोपण
छाया सौजन्य : योगेन्द्र सिंह कालवी

14

संचार एवं प्रसार

वन एवं वन्य जीव संरक्षण, जन साधारण के सहयोग एवं भागीदारी से ही संभव है, जन सहयोग एवं भागीदारी प्राप्त करने के लिए जनसामान्य को विभाग की गतिविधियों, वन एवं वन्य जीवों से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी सुलभ करवाया जाना आवश्यक है। विभाग द्वारा वन संरक्षण के साथ-साथ वन विकास के कार्य भी किए जाते हैं। इनकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि कार्यक्रम के उद्देश्य तथा उससे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों के बारे में जनसाधारण को पूर्ण जानकारी हो। वन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी गतिविधियों एवं उनसे प्राप्त होने वाले संभावित लाभों की जानकारी जन साधारण तक पहुंचाने एवं वन संरक्षण एवं वन संवर्धन के कार्य में अधिकाधिक जन सहयोग आकर्षित करने के उद्देश्य से विभाग में मुख्यालय एवं परियोजना स्तर पर प्रचार-प्रसार प्रकोष्ठ गठित किये गये हैं। संचार एवं प्रसार (Communication & Extension) के अन्तर्गत इस वर्ष माह दिसम्बर, 2017 तक मुख्य रूप से निम्न कार्य किये गये हैं :

- 68वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अतिरिक्त विभिन्न जिलों में 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, (World Forestry Day), 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस (World Earth Day), 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस (World Biodiversity Day), 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day), जुलाई-अगस्त में वन महोत्सव, 16 सितम्बर विश्व ओजोन दिवस (World Ozone Day) एवं 1 से 7 अक्टूबर वन्य प्राणी सप्ताह (Wildlife Week) के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किये गये। इन कार्यक्रमों में जन चेतना रैली, पौधारोपण कार्यक्रम, वन्य जीव प्रशिक्षण कार्यक्रम, लघुनाटक आयोजित किये गये।

छाया सौजन्य : जगदीश गुप्ता

हाथी चित्रकला प्रतियोगिता में कल्पनाओं को उकेरती छात्राएं

68वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव में बच्चों द्वारा प्रस्तुति   छाया सौजन्य : सोनल जोरिहार

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-2 के अन्तर्गत संचार एवं प्रसार गतिविधियां

- **68वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2017 के अवसर पर प्रदर्शनी**

छाया सौजन्य : संयोग मिश्रा

68वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव 10 जुलाई, 2017 को गोविन्दपुरा बीड़ में आयोजित किया गया। माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे तथा माननीय केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बिल्व पत्र के पौधे लगाकर राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। वैदिक मंत्रोच्चार एवं विशाल जनसमूह के बीच उन्होंने मौलश्री, गूलर, पीपल, बरगद, खेजड़ी आदि के पौधे लगाए।

इस अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में पर्यावरण संरक्षण सम्बन्धी एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में विभाग एवं राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना की प्रगति एवं उपलब्धियों का विवरण आकर्षक पोस्टरों द्वारा प्रदर्शित किया गया। परियोजना द्वारा संयोजित इस प्रदर्शनी का अवलोकन माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, सम्माननीय अतिथियों, विभाग के अधिकारियों तथा आम जन द्वारा किया गया और सराहा गया।

राज्य स्तरीय वन महोत्सव के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये गये उत्पादों को भी प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के दौरान राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना-2 के अन्तर्गत प्रदेश के अनेकों जिलों में संचालित स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे - मार्बल शिल्प, कैर-सांगरी, हल्दी, कशीदाकारी, लाख चूड़ी, कपड़ा बैग, रली हस्तकला, मिट्टी बर्तन

दस्तकारी, दरी बुराई आदि का प्रदर्शन किया गया।

- **परियोजना न्यूज लेटर का प्रकाशन प्रारम्भ**

परियोजना निदेशालय द्वारा परियोजना अन्तर्गत क्रियान्वित विभिन्न गतिविधियों से सम्बन्धित जानकारी एवं विभिन्न हितधारकों से संवाद हेतु एक त्रैमासिक न्यूज लेटर का प्रकाशन किया जा रहा है। न्यूज लेटर में प्रकाशित सामग्री की गुणवत्ता एवं प्रस्तुतीकरण को जायका प्रतिनिधि मण्डल सहित सभी हितधारकों द्वारा सराहा गया है।

- **वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17 का प्रकाशन**

राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना (फेज-2)

जायका रिव्यू मिशन का भ्रमण

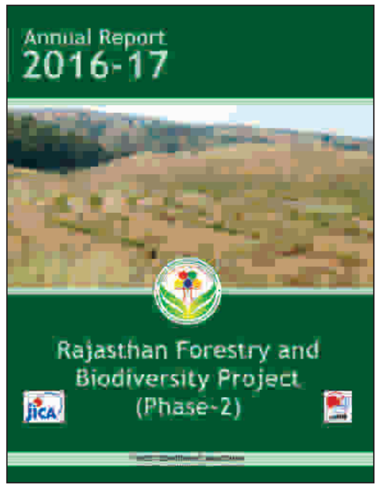

वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति के उपरान्त परियोजना का वार्षिक प्रतिवेदन निदेशालय द्वारा प्रकाशित किया गया। उक्त वार्षिक प्रतिवेदन में वित्तीय वर्ष के दौरान सभी घटकों की भौतिक प्रगति एवं वित्तीय उपलब्धियों को शामिल किया गया।

- **जागरूकता शिविरों का आयोजन**

वर्ष 2017–18 में परियोजना क्षेत्र में जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इन जागरूकता शिविरों में विभाग के सहयोग से स्वयंसेवी संस्था द्वारा परियोजना की गतिविधियों तथा इससे मिलने वाले लाभ की जानकारी दी जाती है।

15

सामाजिक, आर्थिक समृद्धि में वनों का योगदान एवं साझा वन प्रबन्ध

पूर्व में वनों का वैज्ञानिक तरीके से विदोहन कर अधिकाधिक आय प्राप्त करना वन विभाग का महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ करता था। कालान्तर में पर्यावरण के संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न वन मण्डलों की भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना अनुसर वनों का प्रबन्धन किया जा रहा है।

वनों का प्रत्यक्ष योगदान

❖ नि:शुल्क लघु वन उपज प्राप्ति:

वनों की सुरक्षा एवं प्रबन्ध में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाकर उन्हें लाभ में हिस्सा दिये जाने के उद्देश्य से 'जनसहभागिता' की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। पूर्ण जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वनों तथा वन विकास कार्यों से प्राप्त होने वाले सकल लाभों में स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई। वानिकी विकास कार्यों के लिए उपयोग में ली जाने वाली वन भूमि, पंचायत भूमि अथवा राजस्व भूमि की उत्पादकता बढ़ाने को प्राथमिकता दिये जाने के फलस्वरूप स्थानीय लोगों को घास, छांगण आदि के रूप में करोड़ों रुपये मूल्य की लघु वन उपज नि:शुल्क प्राप्त हो रही है।

लघु वन उपज की आपूर्ति

राज्य में ग्रामीणों के सहयोग से प्रबन्धित क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली घास व अन्य लघु वन उपज ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के माध्यम से उन्हें नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे वनों की सुरक्षा व प्रबन्ध के बदले कुछ न कुछ लाभ भी प्राप्त कर सके और वन उपज का वैज्ञानिक प्रबन्धन भी हो सके। विभागीय वृक्षारोपणों से करोड़ों रुपये मूल्य की घास प्रतिवर्ष ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों के माध्यम से ग्रामवासियों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

68वें वन महोत्सव पर एसएचजी द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शिनी का माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अवलोकन

छाया सौजन्य : मनफूलसिंह विश्नोई

वनों का परोक्ष योगदान

पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में योगदान

पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय संतुलन में वनों का परोक्ष योगदान सर्वाधिक है। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार एक वृक्ष अपनी 50 वर्ष की आयु में 1982 के मूल्यों पर आधारित लगभग ₹ 15 लाख मूल्य के बराबर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष योगदान प्रदान करता है। इस प्रकार वनों से अत्यधिक राशि की प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सेवाएं मानव समाज को प्राप्त होती हैं।

साझा वन प्रबंधन

वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की सक्रिय सहभागिता लेने हेतु साझा वन प्रबंध का क्रियान्वयन राज्य में 15 मार्च, 1991 के राज्यादेश से प्रारम्भ कर दिया गया था तथा वर्तमान में वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 17.10.2000 व संरक्षित वन क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए 24.10.2002 के राज्यादेशों के अनुरूप साझा वन प्रबंध की संकल्पना की क्रियान्विति की जा रही है।

राज्य में 6377 ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां/इको डवलपमेंट कमेटियां गठित हैं जो लगभग 1176936 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र का प्रबंधन कर रही है।

प्रदेश में समितियों द्वारा प्रबंधित कुल क्षेत्र में से 404418.7 हैक्टेयर, वृक्षारोपण क्षेत्र है।

राज्य में कार्यरत समितियों में से 5933 पंजीकृत समितियां हैं तथा शेष 444 नवगठित समितियां पंजीकरण की प्रक्रिया में है। समितियों में कुल 693881 व्यक्ति सदस्य हैं जिनमें से 2,43823 महिलाएं हैं। कुल सदस्यों में 95037 सदस्य अनुसूचित जाति तथा 3,04,291 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से हैं। महिला उप समितियों में 46,496 महिलाएं सदस्य हैं।

राज्य की कुल समितियों में से 4400 समितियों ने अपने बैंक खाते खोल रखे हैं जिनमें ₹ 1721 लाख की धनराशि जमा है। 1452 समितियों ने पृथक से अनुरक्षण कोष स्थापित कर रखे हैं जिनमें ₹ 868.61 लाख की राशि जमा है। यह अनुरक्षण कोष, संबंधित क्षेत्र में विभागीय गतिविधियों के बन्द होने के बाद क्षेत्र के प्रबंध हेतु प्रयुक्त किया जाता है। इस व्यवस्था से भारी व्यय के बाद तैयार वृक्षारोपणों के बजट के अभाव में नष्ट होने का खतरा कम हो जाएगा। राज्य में कार्यरत वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां, सदस्यता शुल्क, वन उपज के विक्रय व अन्य स्रोतों से आय एकत्रित करती है।

समितियां घास, लघु वन उपज की बिक्री/नीलामी से भी लाभ प्राप्त करती हैं। इन समितियों को घास से ₹ 346.86 लाख से अधिक का लाभ प्राप्त हुआ है। समितियों की गतिविधियों से कुल 3,92,599 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। राज्य में कार्यरत ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियां सदस्यता शुल्क, वन अपराधों को पकड़कर शास्ती वसूल करने, वन उपज विक्रय आदि माध्यमों से आय एकत्रित करती है। समितियों द्वारा अब तक कुल ₹ 657.07 लाख की आय अर्जित की गई है।

राज्य की 3,045 समितियों ने अपने-अपने क्षेत्र का सूक्ष्म नियोजन बनाया हुआ है तथा 1,859 समितियों की प्रबंध योजना भी बन चुकी है। इन समितियों को 334 गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं।

राज्य में वनों की सुरक्षा व वन विकास जैसे कार्यों में स्थानीय जनता की सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से ग्राम स्तर पर ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों/पारिस्थितिकीय विकास समितियों का गठन किया जाकर उनके माध्यम से वनों की सुरक्षा व वन विकास के कार्य करवाये जा रहे हैं, इसमें उत्तरोत्तर उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। वन एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों के प्रबंधन से जहां स्थानीय गठित समितियों को घास व लघु वन उपज नि:शुल्क प्राप्त हो रही है, वहीं प्रबन्धित क्षेत्र की प्रबन्ध योजना (Management Plan) बनाकर विदोहित वन उपज की बिक्री से प्राप्त शुद्ध लाभ का आधा हिस्सा भी समिति को उक्त राज्यादेश के अनुरूप प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि से वनों पर निर्भरता में कमी व सतत् पौषणीय वन प्रबंध हेतु विभाग इन वन उत्पाद के मूल्य संवर्धन कर विपणन में सहयोग कर उनके जीविकोपार्जन हेतु विभिन्न आय सृजन गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान हेतु प्रयासरत है।

ये समितियां वन विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं, जहाँ एक ओर किसी वन अपराध के घटित होने पर विभाग को सूचना देती है, वहीं वन अपराध की रोकथाम, धर पकड़ में साथ देती है। कई स्थानों पर समितियां वन भूमि पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में अत्यन्त सतर्क है तथा अपने क्षेत्रों में वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने देती है। प्रबंधित क्षेत्र से घास व लघु वन उपज निकासी की प्रक्रिया बनाकर, एकत्रीकरण कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है एवं अधिशेष उपज को समीप के ग्रामवासियों को उपलब्ध कराती है।

वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों द्वारा की जा रही गतिविधियां

घास की सुरक्षा एवं विभाजन

राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रावधानों के अनुरूप ये समितियां इन प्रबन्धित वन क्षेत्रों से नि:शुल्क घास प्राप्त कर रही हैं जिससे ग्रामीणों की आवश्यकता व जीविकोपार्जन में सहयोग मिल रहा है।

लघु वन उपज संग्रहण

समितियों द्वारा प्रबन्धित क्षेत्र से सीताफल, रतनजोत, पुआड बेर, जामुन, महुआ फल-फूल, बहेड़ा

छाया सौजन्य : ओ.पी. शर्मा

फल, ग्वारपाठा (एलोएवेरा) आंवला फल, शहद, सफेद मूसली व अन्य फल-फूल एकत्रित किया जाता है।

बांस विदोहन एवं विपणन

समितियों द्वारा सुरक्षित व प्रबंधित किये गये वृक्षारोपण क्षेत्रों की प्रबन्ध योजना स्वीकृत कराई जाकर बांस विदोहन व उसके विक्रय से प्राप्त शुद्ध आय में आधा हिस्सा समितियों को प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार इन वृक्षारोपण क्षेत्रों का सतत् पोषणीय प्रबन्ध प्रारम्भ हो गया है।

जीविकोपार्जन गतिविधियां

साझा वन प्रबंध के क्षेत्र में उदयपुर संभाग के वन क्षेत्रों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में सहभागिता में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वनों की सुरक्षा व विकास का कार्य स्थानीय जनता की सहभागिता प्राप्त कर ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों/परिस्थितिकीय विकास समिति के माध्यम से किया जा रहा है तथा इसमें उत्तरोत्तर उत्साहवर्धक परिणाम हो रहे हैं। विभाग इसमें नये आयाम स्थापित कर रहा है। वन/वृक्षारोपण क्षेत्रों के प्रबंधन से जहां स्थानीय समिति को घास व लघु वन उपज नि:शुल्क प्राप्त हो रहे हैं, वहीं प्रबन्धित क्षेत्र की प्रबंध योजना (Management Plan) बनाकर विदोहित वन उपज की बिक्री से प्राप्त शुद्ध लाभ का आधा हिस्सा भी समिति को प्राप्त होता है।

छाया सौजन्य : ओ.पी. शर्मा

आर. एफ. बी. पी.-2 योजनान्तर्गत विभाग भी वृक्षारोपण क्षेत्रों में इस प्रकार की स्थानीय प्रजातियां रोपित कर रहा है, जिससे कि सदस्यों को जहां उनकी आवश्यकताओं की आपूर्ति हो रही है, वहीं वन उत्पाद के संग्रहण, मूल्य संवर्धन व विपणन से इनकी आय में वृद्धि हो रही है। आय में वृद्धि, वनों पर निर्भरता में कमी व सतत् पौषणीय वन प्रबंध हेतु विभाग इन वन उत्पाद के मूल्य संवर्धन एवं विपणन में सहयोग कर विभिन्न आय सृजन गतिविधियों के द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान हेतु प्रयासरत है।

आजीविका अर्जन गतिविधियां:

स्वयं सहायता समूह

राज्य में निवास करने वाले आदिवासी जन समुदाय एवं निर्धन व पिछड़े वर्ग के ग्राम समुदाय अपनी आजीविका के लिए निकटवर्ती वनों पर अधिक आश्रित होते हैं। ये समुदाय वनोपज निकास कर अपना जीवन चलाते हैं और अनजाने ही वनों को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे लोगों को वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से विभाग इनके स्वयं सहायता समूह (SHG) बनाकर, विभिन्न उत्पादों के निर्माण, प्रोसेसिंग, विक्रय आदि का

प्रशिक्षण व कार्य आरम्भ करने हेतु, ऋण के रूप में पूंजी उपलब्ध कराकर उन्हें आजीविका अर्जन के अवसर देता है जिसमें ग्रामवासियों को रोजगार के अवसर मिलने के साथ उनकी आय बढ़ सके जिसके फलस्वरूप वनों के दबाव घट सके।

वन आधारित समुदायों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य वन विभाग द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। गांव–गांव में स्वयं सहायता समूह विकसित किए जाकर उन्हें आय के नियमित स्त्रोत उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राज्य में कुल 4405 स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं जिनमें से पुरुषों के 1967 व महिलाओं के 2276 समूह हैं। इन समूहों के पास ₹ 283.731 लाख जमा हैं।

वन सुरक्षा एवं प्रबंध समितियों के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को जीविकोपार्जन कार्य के नए विकल्प प्रदान कर आर्थिक सम्बल प्रदान किये जाने का प्रयास किया गया है, जिससे स्थानीय रूप से उपलब्ध वन अथवा गैर वन उपज का मूल्य संवर्धन किया जाकर उत्पादों के विपणन से पहले से अधिक आय होने लगी है। इन गतिविधियों से जहां वृक्षारोपण/वन क्षेत्रों के संरक्षण व संवर्धन में स्थानीय जनता का सहयोग प्राप्त होने लगा है, वहीं इन क्षेत्रों के सतत् पोषणीय वन प्रबन्ध (Sustainable forest management) की भावना विकसित किये जाने में मदद मिलने लगी है।

जीविकोपार्जन गतिविधियों हेतु प्रथमत: उपलब्ध स्थानीय उपज की पहचान / चिह्नीकरण (Identification) किया जाकर उक्त उपज के मूल्य संवर्धन किये जाने हेतु स्थानीय ग्रामीणों में जागरूकता पैदा की जाकर, क्षमता विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करवाया गया है। इन गतिविधियों के संचालन हेतु बाह्य संस्थाओं यथा महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के पोस्ट हार्वेस्ट सेंटर, फूड एवं डेयरी टेक्नोलॉजी एवं उद्यानिकी विभाग, कोनबेक–सिंहदुर्ग महाराष्ट्र व अन्य संस्थाओं से तकनीकी प्रशिक्षण दिलवाया गया है।

विभाग द्वारा इस क्षेत्र में युवाओं विशेषकर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए जाकर, कौशल प्रशिक्षण दिया जाकर वनों पर निर्भरता को कम करने हेतु विशेष प्रयास प्रारम्भ किये गये हैं। इसके अन्तर्गत स्थानीय रूप से उपलब्ध वन संसाधनों का चिह्नीकरण कर, उसका मूल्य संवर्धन कर, उत्पादों की बिक्री से प्राप्त आय से स्थानीय लोगों को जोड़ने का अभिनव प्रयोग प्रारम्भ किया गया है।

विभाग द्वारा आय सृजन हेतु चलाई जा रही प्रमुख गतिविधियां निम्न प्रकार से हैं:–

छाया सौजन्य : ओ.पी. शर्मा

छाया सौजन्य : ओ.पी. शर्मा

1. ग्वारपाठा के ज्यूस, जैली एवं अन्य उत्पाद बनाना।
2. बॉक्स से फर्नीचर व अगरबत्ती/आइसक्रीम की स्टीक बनाना व अगरबत्ती निर्माण के कार्य करना।
3. हर्बल गुलाल निर्माण।
4. शहद उत्पादन एवं बिक्री कार्य।
5. महुआ, आम, जामुन, बिलपत्र, बैर खजूर, वगैरह प्रजातियों के उत्पाद जैसे स्कवेश जाम कैण्डी आदि बनाना।
6. आंवला के उत्पाद जैसे कैण्डी, आचार, मुरब्बा, त्रिफला बनाना।
7. सीताफल प्रसंस्करण की यूनिट की स्थापना कर पल्प निकालना, उसका भण्डारण व विपणन करना।
8. अन्य वन उत्पादों रतनजोत, लेमन ग्रास, माल कांगनी, शहद वगैरह का एकत्रीकरण, संग्रहण, भण्डारण व विपणन।

ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति/स्वयं सहायता समूह के सदस्यों द्वारा वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली लघु वन उपज को एकत्रित एवं भण्डारित करने के साथ–साथ इन वन उपजों के मूल्य संवर्द्धन तथा मूल्य संवर्धित उत्पादों की बिक्री हेतु विभिन्न स्थानों पर 10 मूल्य संवर्द्धन केन्द्र मय बिक्री केन्द्र का निर्माण आयुष विभाग भारत सरकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान राज्य औषधीय पादप बोर्ड, नाबार्ड व विभाग की विभिन्न योजनाओं के वित्तीय सहयोग से किया जाकर आवश्यक मशीनरी व उपक्रम स्थापित किये गये हैं जहां प्राकृतिक संसाधन आधारित लघु उपज के मूल्य संवर्द्धन कर आदिवासियों द्वारा जीविकोपार्जन हेतु एलोवेरा ज्यूस, जेल, शेम्पू, साबुन, अगरबत्तियां, हर्बल गुलाल, सीताफल पल्प, शहद संग्रहण इत्यादि गतिविधियाँ संचालित की जा रही हैं।

छाया सौजन्य : ओ.पी. शर्मा

पूर्ण रूप से जैविक एवं प्राकृतिक तथा मूल्य संवर्धित इन उत्पादों को विभाग द्वारा स्थानीय मेलों, सहकारी भण्डार गृहों के साथ–साथ ई–बाजार पर भी ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादित इन उत्पादों की बिक्री का समस्त लाभांश सम्बन्धित वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों को दिया जा रहा है जिसे वे वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा एवं विकास के उपयोग में ले रही है।

छाया सौजन्य : ओ.पी. शर्मा

छाया सौजन्य : ओ.पी. शर्मा

राज्य का जिलेवार अभिलेखित वन क्षेत्र

राज्य के भिन्न-भिन्न जिलों में अभिलेखित वन क्षेत्रों की स्थिति भिन्न-भिन्न है। राज्य के सभी जिलों के वन क्षेत्र की नवीनतम स्थिति (31-03-2016 की स्थिति) का अवलोकन निम्न सारणी में दृष्टव्य है :-

राज्य में जिलेवार वन क्षेत्र

(वर्ग किमी. में)

क्र.सं.	जिले का नाम	आरक्षित वन	रक्षित वन	अवर्गीकृत वन	कुल वन भूमि
1.	अजमेर	194.99	421.69	1.76	618.44
2.	अलवर	1010.78	639.73	133.95	1784.46
3.	बांसवाड़ा	0.00	1005.26	1.74	1007.00
4.	बारां	0.00	2225.31	14.38	2239.69
5.	बाड़मेर	20.30	568.81	36.76	625.87
6.	भरतपुर	28.73	393.25	12.97	434.94
7.	भीलवाड़ा	438.40	289.62	67.42	795.43
8.	बीकानेर	0.00	748.49	501.40	1249.88
9.	बूंदी	853.05	665.03	9.02	1527.09
10.	चित्तौड़गढ़	1200.15	571.17	0.62	1771.94
11.	चूरू	7.20	42.39	24.14	73.73
12.	दौसा	134.87	149.26	0.36	284.49
13.	धौलपुर	7.92	597.73	44.03	649.68
14.	डूंगरपुर	257.08	426.43	9.37	692.88
15.	श्रीगंगानगर	0.00	238.42	395.02	633.44
16.	हनुमानगढ़	0.00	113.25	126.21	239.46
17.	जयपुर	678.38	263.17	4.94	946.49
18.	जैसलमेर	0.00	238.36	343.23	581.59
19.	जालौर	126.13	299.97	83.89	509.99
20.	झालावाड़	416.38	924.32	6.21	1346.92
21.	झुंझुनूं	6.02	399.33	0.00	405.36
22.	जोधपुर	4.68	183.78	55.66	244.12
23.	करौली	62.99	1693.13	53.93	1810.05
24.	कोटा	879.61	430.36	15.59	1325.56
25.	नागौर	0.80	206.28	35.32	242.40
26.	पाली	816.56	144.82	2.21	963.58
27.	प्रतापगढ़	907.12	1017.46	0.56	1925.14
28.	राजसमंद	277.41	119.20	4.78	401.39
29.	सवाईमाधोपुर	842.87	118.16	22.01	983.04
30.	सीकर	9.92	622.40	8.19	640.52
31.	सिरोही	614.04	984.72	39.89	1638.65
32.	टोंक	101.42	233.17	1.38	335.97
33.	उदयपुर	2454.98	1434.38	9.80	3899.16
	योग	**12352.78**	**18408.85**	**2066.74**	**32828.37**

प्रदेश का कुल अभिलेखित वन क्षेत्र, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र 342239 वर्ग किलोमीटर के सापेक्ष 9.59 प्रतिशत है।

परिशिष्ट–2

राज्य योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

वर्ष 2016–17

(₹ लाखों में)

क.सं.	योजना का नाम	आय–व्यय अनुमान	संशोधित अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	व्यय	केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय
1.	संसाधन सीमा निर्धारण एवं बन्दोबस्त कार्य	72.45	16.00		13.58	
2.	परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण	2891.31	2891.81		2752.56	
3.	जैव विविधता संरक्षण मय पारिस्थितिकी पर्यटन	415.21	343.62		328.20	
4.	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	400.00	306.43	229.75	281.50	168.00
5.	कृषि वानिकी	224.71	237.18		208.46	
6.	बाघ परियोजना रणथम्भौर	2005.05	1884.45	340.16	955.38	180.10
7.	बाघ परियोजना सरिस्का	1526.66	964.12	469.68	811.70	419.48
8.	अन्य अभ्यारण्यों का संधारण	1138.79	860.07	312.39	814.53	293.07
9.	गोरधन ड्रेन	150.01	130.01		117.95	
10.	राष्ट्रीय मरू उद्यान का विकास	300.00	264.5	139.80	295.61	159.55
11.	चिड़ियाघरों का सुधार	105.03	113.03	0.02	112.99	
12.	संचार एवं भवन	393.00	200.00		196.88	
13.	सांभर नम भूमि परियोजना	20.00	0.02	0.01	0.00	0.00
14.	भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	360.76	168.48		167.95	
15.	गंगनहर वृक्षारोपण	315.89	228.72		228.71	
16.	कैम्पा कोष	50.00	990.00		819.18	
17.	पर्यावरण वानिकी	447.62	448.83		695.69	
18.	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना	20000.00	18000.00		18000.00	
19.	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वन्य जीव)	0.02	0.02		0.00	
20.	पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास	100.00	50.00		49.70	
21.	घना पक्षी विहार का विकास	115.00	81.67	22.00	81.67	22.00
22.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	85.00	50.00		42.41	
23.	साझा वन प्रबंध का सुदृढ़ीकरण	30.00	20.00		15.13	
24.	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वनीकरण)	4355.13	12231.6		10559.02	
25.	जलवायु परिवर्तन एवं मरुस्थल नियंत्रण	2759.10	2759.1		2619.73	
26.	जैविक उद्यान कायलाना	0.003	0.003		0.00	

लगातार...

राज्य योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

वर्ष 2016–17

(₹ लाखों में)

क.सं.	योजना का नाम	आय–व्यय अनुमान	संशोधित अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार से प्राप्त सहायता	व्यय	केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय
27.	पक्षी राहत केन्द्र	171.03	193.12		189.24	
28.	राज्य वन विकास अभिकरण	150.00	78.44	78.44	0.00	0.00
29.	अवैध खनन की रोकथाम	228.00	228.0		227.94	
30.	जैविक उद्यान, बीकानेर	300.00	50.03		0.00	
31.	वन धन योजना	500.00	124.5		106.51	
32.	मुकुन्दरा नेशनल पार्क	410.00	272.49	132.05	249.55	120.94
33.	टाईगर सफारी आमली	300.01	50.01		50.00	
34.	कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	27.20	27.20		24.24	
35.	कैम्पा वृक्षारोपण	9500.00	14817.63		11615.00	
36.	रणथम्भौर बाघ सुरक्षा फाउंडेशन	2000.00	448.4		448.40	
37	राजस्थान वन क्षेत्र संरक्षण समिति	555.00	9.4		9.40	
	कुल	**52402.01**	**59538.89**	**1724.30**	**53088.81**	**1364.04**

वार्षिक योजना 2016–17 की महत्त्वपूर्ण भौतिक प्रगति

क्र.सं.	योजना/मद	इकाई	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
A	**वानिकी**			
i	कृषि वानिकी (पौध तैयारी)	लाखों में	20	24.25
ii	पर्यावरण वानिकी (वृक्षारोपण)	है.	300	150
iii	भाखड़ा नहर एवं गंग नहर वृक्षारोपण	रो.कि.मी.	1085	1035
iv	परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण (वृक्षारोपण)	है.	7000	7000
v	जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण	है.	4000	4062
B	**नाबार्ड**			
i	नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण	है.	12550	12550
C	**भू–संरक्षण**			
i	भू–संरक्षण (वृक्षारोपण)	है.	132	132
D	**बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना**			
i	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज–II वृक्षारोपण	है.	26557	26407
E	**कैम्पा** (IEBR)	है.	9631	9315.57

परिशिष्ट-3

राज्य योजना में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों की प्रगति

वर्ष 2017-18

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	आय-व्यय अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार में प्राप्त सहायता	व्यय (दिसम्बर 2017 तक)	केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि पर व्यय
1.	संघनन, सीमा निर्धारण एवं वन बंदोबस्त कार्य	50.00		2.61	
2.	परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण	2334.90		1064.26	
3.	जैव विविधता संरक्षण मय पारिस्थितिकी पर्यटन	356.82		142.58	
4.	एकीकृत वन सुरक्षा योजना	400.00	240.00		
5.	कृषि वानिकी	536.00		115.77	
6.	बाघ परियोजना रणथम्भौर	1400.13	766.06	271.95	126.57
7.	बाघ परियोजना सरिस्का	906.01	811.00	244.17	119.20
8.	अन्य अभ्यारण्यों का संधारण	945.03	583.85	160.13	31.28
9.	गोरधन ड्रेन	150.01		44.06	
10.	राष्ट्रीय मरू उद्यान का विकास	344.50	271.00	17.95	
11.	चिड़ियाघरों का सुधार	130.03		46.4	
12.	संचार एवं भवन	343.00		31.61	
13.	सांभर नम भूमि परियोजना	0.02			
14.	भाखड़ा नहर वृक्षारोपण	355.65		237.74	
15.	गंगनहर वृक्षारोपण	274.50		193.59	
16.	कैम्पा कोष	11.26		136.19	
17.	पर्यावरण वानिकी	800.61		407.67	
18.	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-2	9800.00		6000.00	
19.	पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास	75.00		20.99	
20.	घना पक्षी विहार का विकास	100.10	40.00	52.81	14.97
21.	अनुसंधान एवं प्रशिक्षण	85.00		35.31	
22.	साझा वन प्रबंध का सुदृढ़ीकरण	20.00		3.72	
23.	नाबार्ड से प्राप्त ऋण (वनीकरण)	4773.05		2278.85	
24.	जलवायु परिवर्तन एवं मरुस्थल नियंत्रण	2634.61		1206.72	
25.	जैविक उद्यान बीकानेर	100.03		350.00	
26.	पक्षी राहत केन्द्र	197.44		65.17	
27.	वन धन योजना	100.00		10.74	
28.	मुकन्दरा नेशनल पार्क	370.00	310.00	34.65	18.59

लगातार...

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	योजना का नाम	आय-व्यय अनुमान	इस पर केन्द्र सरकार में प्राप्त सहायता	व्यय (दिसम्बर 2017 तक)	केन्द्र सरकार की हिस्सा राशि पर व्य
29.	राज्य वन विकास अभिकरण	105.00	90.00	0	0
30.	अवैध खनन की रोकथाम	228.00		161.74	
31.	कन्दरा क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	0.01		0	
32.	ग्रीन इंडिया मिशन	0.02		0	
33.	टाईगर सफारी आमली	100.01		0	
34.	आकलवुड फोसिल पार्क	500.00		0	
35.	प्रोजेक्ट लैफर्ड	700.00		76.46	
36.	गोडावण संरक्षण एवं चारागाह विकास	200.00		0	
37.	स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट	10.00		0	
38.	कैम्पा वृक्षारोपण (IEBR)	29369.33		3776.57	
39.	रणथम्भौर बाघ सुरक्षा फाउंडेशन (IEBR)	2408.63		0	
40.	राजस्थान संरक्षित क्षेत्र संरक्षण समिति (IEBR)	5444.68		0	
41.	सरिस्का फाउंडेशन	102.43		0	
	कुल	**66761.81**	**3111.91**	**17190.41**	**310.61**

वार्षिक योजना 2017-18 की महत्त्वपूर्ण भौतिक प्रगति

(दिसम्बर, 2017)

क्र.सं.	योजना/मद	इकाई	भौतिक लक्ष्य	उपलब्धियां
1	2	3	4	5
A	**वानिकी**			
i	कृषि वानिकी (पौध तैयारी)	लाखों में	65	10.72
ii	भाखड़ा नहर	है.	233	159
iii	गंग नहर	है.	64	78
iv	परिभ्रांषित वनों का पुनरारोपण (वृक्षारोपण)	है.	2850	2850
v	जलवायु परिवर्तन वृक्षारोपण	है.	2000	2050
B	**नाबार्ड**			
i	नाबार्ड वनीकरण वृक्षारोपण	है.	18150	18150
C	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना			
i	राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज-II वृक्षारोपण	है.	5758	5658
D	**कैम्पा (IEBR)**	है.	7367.2	7630.00

परिशिष्ट–4

राज्य में स्थित संरक्षित क्षेत्रों का विवरण

(वर्ग किमी. में)

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्रिटहकज टाईगर हैबिटाट में सम्मिलित अभयारण्य का क्षेत्र	बफर क्षेत्र	टाईगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल	अभयारण्य का शेष क्षेत्र	कुल संरक्षित क्षेत्र	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक
1.	**रणथम्भौर टाईगर रिजर्व**							
	अ. रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान		282.03				282.03	एफ11(26)रेवेन्यू/8/80/ दिनांक 01.11.80
	ब. सवाईमाधोपुर अभयारण्य	सवाईमाधोपुर	131.30				131.30	
	स. सवाईमानसिंह अभयारण्य	सवाईमाधोपुर	113.07				113.07	एफ 11 (28) रेवेन्यू/8/84/ दिनांक 30.11.84
	द. कैलादेवी अभयारण्य	करौली, सवाईमाधोपुर	401.63			275.19	676.82	एफ 11 (28) रेवेन्यू/8/83/ दिनांक 19.07.83
	य. गैर अभयारण्य क्षेत्र	करौली, सवाईमाधोपुर	185.33	297.93			483.26	
	रणथम्भौर टाईगर रिजर्व (कुल क्षेत्र)		**1113.36**	**297.93**	**1411.29**			
2.	मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व							
	अ. जवाहर सागर अभयारण्य	कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ	178.73	15.87		25.50	220.10	एफ 11 (5) 13/रेवेन्यू/8/ 73/दिनांक 09.10.75
	ब. दरा अभयारण्य	कोटा, झालावाड	225.44	10.74		3.58	239.76	एफ 39 (2) फोरेस्ट/55/ दिनांक 01.11.55
	स. राष्ट्रीय चम्बल अभयारण्य	कोटा, बून्दी, सवाईमाधोपुर, करौली, धोलपुर	13.00			267.00	280.00	एफ 11 (12)/रेवेन्यू/8/ 78/दिनांक 07.12.79

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्रिटहकज टाईगर हैबिटाट में सम्मिलित अभयारण्य का क्षेत्र	बफर क्षेत्र	टाईगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल (कि.मी. में)	अभयारण्य का शेष क्षेत्र	कुल संरक्षित क्षेत्र	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक
	द. गैर अभ्यारण्य क्षेत्र	कोटा, बूंदी, झालावाड, चित्तौडगढ़		316.21			316.21	
	मुकन्दरा हिल्स टाईगर रिजर्व (कुल क्षेत्र)		**417.17**	**342.82**	**759.99**			
3.	सरिस्का टाईगर रिजर्व							
	अ. सरिस्का अभयारण्य	अलवर	491.99				491.99	एफ 39 (2) फोरेस्ट/55/ दिनांक 01.11.55
	ब. गैर अभयारण्य क्षेत्र		389.12	266.65			655.77	
	स. जमवारामगढ अभयारण्य	जयपुर		65.58		234.42	300.00	एफ 11 (12) रेवेन्यू/8/80/ दिनांक 31.05.82
	सरिस्का टाईगर रिजर्व (कुल क्षेत्र)		**881.11**	**332.23**	**1213.34**			

*The area of Mukandra National Park is 199.55 sq.km which is comprising with the area of Darrah Sanctuary (156.32 sq km), Jawahar sagar(37.98 sq.km) and National Chambal Sanctuary (5.25 sq.km). It is also part of Mukandra Hills Tiger Reserve so it is not mentioned seperately.

लगातार...

अन्य राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल वर्ग किमी.	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक
4.	रामसागर अभयारण्य	धौलपुर	34.40	एफ 39 (2) एफओआर/55/ दिनांक 07.11.55
5.	केसरबाग अभयारण्य	धौलपुर	14.76	एफ 39 (26) एफओआर/55/ दिनांक 07.11.55
6.	वन विहार अभयारण्य	धौलपुर	25.60	एफ 39 (2) फोरेस्ट/55/ दिनांक 01.11.55
7.	शेरगढ़ अभयारण्य	बारां	81.67	एफ 11 (35) रेवेन्यू/8/83/ दिनांक 30.07.83
8.	रामगढ़ विषधारी अभयारण्य	बूंदी	307.00	एफ 11 (1) रेवेन्यू/8/79/ दिनांक 20.05.82
9.	आबूपर्वत अभयारण्य	सिरोही	326.10	प 11 (40) वन/97/ दिनांक 15.04.08
10.	भैंसरोडगढ़ अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	201.40	एफ 11 (44) रेवेन्यू/8/81/ दिनांक 05.02.83
11.	बस्सी अभयारण्य	चित्तौड़गढ़	138.69	एफ 11 (41) रेवेन्यू/8/86/ दिनांक 29.08.88
12.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान	भरतपुर	28.73	एफ 3 (5) (9)/8/72/ दिनांक 27.08.81
13.	बंध बारेठा अभयारण्य	भरतपुर	199.24	एफ 11 (1) एनवायरमेंट/ दिनांक 07.10.85
14.	टॉटगढ़ रावली अभयारण्य	राजसमंद,अजमेर, पाली	475.24	एफ 11 (56) रेवेन्यू/8/82/ दिनांक 28.09.83
15.	कुंभलगढ़ अभयारण्य	राजसमंद, उदयपुर एवं पाली	610.53	एफ 10 (26) रेवेन्यू/ए/71/ दिनांक 13.07.71
16.	जयसमंद अभयारण्य	उदयपुर	52.34	एफ 39 (2) फोरेस्ट/55/ दिनांक 01.11.55
17.	फुलवारी की नाल अभयारण्य	उदयपुर	511.41	एफ 11 (1) रेवेन्यू/8/83/ दिनांक 06.10.83
18.	सज्जनगढ़ अभयारण्य	उदयपुर	5.19	एफ 11 (64) रेवेन्यू/8/86/ दिनांक 17.02.87
19.	सीतामाता अभयारण्य	उदयपुर, चित्तौड़गढ़	422.94	एफ 11 (9) रेवेन्यू/8/78/ दिनांक 02.01.79
20.	तालछापर	चूरू	7.19	एफ 379/रेवेन्यू/8/59/ दिनांक 04.10.62

क्र.सं.	संरक्षित क्षेत्र का नाम	जिला	क्षेत्रफल वर्ग किमी.	नोटिफिकेशन संख्या एवं दिनांक
21.	नाहरगढ़ अभयारण्य	जयपुर	52.40	एफ 11 (39) रेवेन्यू/8/80/ दिनांक 22.09.80
22.	राष्ट्रीय मरू उद्यान अभयारण्य	जैसलमेर, बाड़मेर	3162.00	एफ 3 (1)/73 रेवेन्यू/8/79/ दिनांक 04.08.80
23.	सरिस्का 'अ' अभयारण्य	अलवर	3.01	प.1 (24) वन/08 दिनांक 20.06.2012
		योग	**10850.15**	
	कन्जर्वेशन रिजर्व			
1.	बीसलपुर कन्जर्वेशन रिजर्व	टोंक	48.31	प.3 (19) वन/2006 दिनांक 13.10.08
2.	जोडबीड गाढवाला कन्जर्वेशन रिजर्व	बीकानेर	56.47	प.3 (22) वन/2008 दिनांक 25.11.08
3.	सुन्धामाता कन्जर्वेशन रिजर्व	जालोर, सिरोही	117.49	प.3 (22) वन/2008 दिनांक 25.11.08
4.	गुढ़ा विश्नोईयान कन्जर्वेशन रिजर्व	जोधपुर	2.31	प.3 (2) वन/2011 दिनांक 15.12.11
5.	शाकम्भरी कन्जर्वेशन रिजर्व	सीकर, झुन्झुनूं	131.00	प.3 (16) वन/2009 दिनांक 09.02.12
6.	गोगेलाव कन्जर्वेशन रिजर्व	नागौर	3.58	प.3 (17) वन/2011 दिनांक 09.03.12
7.	झुन्झुनूं कन्जर्वेशन रिजर्व	झुन्झुनूं	10.47	प.3 (47) वन/2008 दिनांक 09.03.13
8.	रोटू कन्जर्वेशन रिजर्व	नागौर	0.73	प.3 (8) वन/2011 दिनांक 29.05.12
9.	उम्मेदगंज पक्षी विहार कन्जर्वेशन रिजर्व	कोटा	2.72	एफ.3 (1) वन/2012 दिनांक 05.11.12
10.	जवाई बांध लेपर्ड कन्जर्वेशन रिजर्व	पाली	19.79	एफ.3 (4) वन/2012 दिनांक 27.02.13
11.	बांसियाल-खेतड़ी कन्जर्वेशन रिजर्व	झुन्झुनूं	70.18	एफ.3 (13)वन/2016 दिनांक 01.03.2017
		योग	**392.87**	
	राज्य के कुल संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल		**11243.02**	

परिशिष्ट-5

राज्य का जिलेवार वनावरण

भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान (फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इण्डिया) द्वारा प्रकाशित भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, 2015 (स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015) के अनुसार राज्य में जिलेवार वनावरण की स्थिति निम्नानुसार है :–

नाम जिला	भौगोलिक क्षेत्रफल	वनावरण (वर्ग कि.मी.)				भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत	परिवर्तन	झाड़ी वन
		अत्यन्त सघन	सामान्य सघन वन	खुले वन	कुल			
अजमेर	8,481	0	36	248	284	3.35	2	216
अलवर	8,380	59	334	810	1,203	14.36	0	265
बांसवाड़ा+	5,037	0	81	286	367	7.29	-8	85
बारां	6,992	0	149	938	1,087	15.55	3	113
बाड़मेर	28,387	0	4	186	190	0.67	12	140
भरतपुर	5,066	0	31	209	240	4.74	-3	87
भीलवाड़ा	10,455	0	34	193	227	2.17	0	129
बीकानेर	27,244	0	27	181	208	0.76	-2	37
बूंदी	5,550	0	146	307	453	8.16	0	153
चित्तौड़गढ़+	10,856	0	592	1,073	1,665	15.34	-10	159
चूरू	16,830	0	5	87	92	0.55	0	6
धौलपुर	3,033	0	82	338	420	13.85	0	55
डूंगरपुर+	3,770	0	44	212	256	6.79	0	42
गंगानगर	20,634	0	30	161	191	0.93	2	3
जयपुर	14,069	13	113	517	643	4.57	12	412
जैसलमेर	38,401	4	49	164	217	0.57	40	58
जालौर	10,640	0	11	189	200	1.88	-1	187
झालावाड़	6,219	0	83	309	392	6.30	0	91
झुंझुनूं	5,928	0	24	169	193	3.26	-2	188
जोधपुर	22,850	0	2	96	98	0.43	5	124
कोटा	5,443	0	154	459	613	11.26	0	106
नागौर	17,718	0	11	114	125	0.71	4	88
पाली	12,387	0	217	474	691	5.58	31	256
राजसमंद	3,860	0	131	294	425	11.01	0	52
सवाईमाधोपुर	10,528	0	253	1,045	1,298	12.33	0	391
सीकर	7,732	0	31	162	193	2.50	0	185
सिरोही+	5,136	0	299	613	912	17.76	-1	163
टोंक	7,194	0	33	135	168	2.34	1	57
उदयपुर+	13,419	0	1420	1,700	3,120	23.25	0	454
कुल योग	**342,239**	**76**	**4,426**	**11,669**	**16,171**	**4.73**	**85**	**4,302**

* दौसा, हनुमानगढ़, करौली व प्रतापगढ़ जिलों का वनावरण मूल जिलों क्रमशः जयपुर, श्रीगंगानगर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़गढ़ के साथ दर्शाया गया है क्योंकि इनकी सीमाएं भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान में पृथक् से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। + राज्य के आदिवासी जिले।

स्रोत : वन स्थिति रिपोर्ट 2015

वन विभाग का

माननीय वन

प्रमुख शासन

शासन सचिव, वन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हैड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स), राजस्थान, जयपुर

- **अति. प्रमुवसं एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राज., जयपुर**
  - उवसं (प्रशासन)
  - वसं (आयोजना) वजी, जयपुर
    - **मुवसं वजी, जयपुर**
      - प्रावैधिक सहायक
      - वसं, वन्य जीव, जयपुर
      - उवसं, वन्य जीव, जयपुर
      - उवसं चिड़ियाघर, जयपुर
    - **मुवसं एवं क्षे.नि. एसटीआर सरिस्का, अलवर**
      - उवसं एवं उ.क्षे.नि., एसटीआर सरिस्का
      - उवसं विलेज रिलोकेशन, एसटीआर सरिस्का
    - **मुवसं वजी, जोधपुर**
      - उवसं (प्रशासन)
      - उवसं वजी, जोधपुर
      - उवसं वजी, जैसलमेर
      - उवसं वजी, आबू पर्वत
      - उवसं वजी, बीकानेर
    - **मुवसं वन्य जीव, कोटा**
      - प्रावैधिक सहायक
      - उवसं वजी, कोटा
      - उवसं वजी, मुकुन्दरा ने.पा., कोटा
    - **मुवसं एवं क्षेनि. आरटीआर, रणथम्भौर**
      - प्रावैधिक सहायक
      - उवसं एवं उक्षेनि-I आरटीआर, स.मा.
      - उवसं एवं उक्षेनि-II आरटीआर, करौली
      - उवसं वजी, भरतपुर
      - उवसं विलेज रिलोकेशन, स.मा.
      - उवसं विलेज रिलोकेशन, करौली
      - उवसं वजी राचअ, स.मा.
    - **मुवसं वन्य जीव, उदयपुर**
      - उवसं (प्रशासन)
      - उवसं वजी, चित्तौड़गढ़
      - उवसं वजी, उदयपुर
      - उवसं वजी, राजसमंद
- **अति प्रमुवसं परि.सूत्री. एवं कॉर्डिनेशन**
  - प्राविधिक सहायक
  - उवसं कोर्डिनेशन
- **अ.प्र.मु.व.सं. (प्रशासन)**
  - **मुवसं संस्थापन**
  - उवसं (संस्थापन) राज.
  - **मुवस एवं प्रा.स., प्रमुवसं**
  - उवसं (अराजपत्रित)
- **अप्रमुवस श्रम एवं विधि**
  - **प्रावैधिक सहायक**
  - उवसं श्रम एवं विधि
  - उवसं लिटिगेशन
  - व. संयुक्त विधि परामर्शी
  - स. विधि परामर्शी
- **अप्रमुवस (मुख्यालय)**
  - **मुवस (मुख्यालय)**
  - उवस जांच
  - उवसं एवं प्रा.स., प्रमुवसं
  - उवसं विधानसभा
  - उवसं आरटीआई
- **प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयो. एवं वन बन्दो. राज.**
  - उवसं (प्रशासन)
  - **अप्रमुवसं (उत्पा.)**
    - प्रावैधिक सहायक
    - **मुवसं विका, जयपुर**
      - प्रावैधिक सहायक
      - उवसं विकामं, बीकानेर
      - उवसं विकामं, उदयपुर
      - उवसं विकामं, सूरतगढ़
      - उवसं विकामं, जयपुर
      - उवसं स्टेज-II, बीकानेर
  - **अप्रमुवसं सूचना प्रौद्योगिकी**
    - प्रावैधिक सहायक
    - उवसं सू. प्रौ.
  - **अप्रमुवसं, एनटीएफपी, जयपुर**
    - उवसं, तेन्दू पत्ता, जयपुर
    - वसं, मेडि. प्ला., जयपुर
    - उवसं मेडि. प्ला., जयपुर
  - **अप्रमुवसं का.आ. जयपुर**
    - उवसं कार्य आयोजना
- **संभागीय मुवसं, उदयपुर**
  - वसं, एम एण्ड ई, उदयपुर
  - उवसं (प्रशासन)
  - उवसं, उदयपुर
  - उवसं, उदयपुर (उत्तर)
  - उवसं, डूंगरपुर
  - उवसं, बांसवाड़ा
  - उवसं, राजसमंद
  - उवसं, चित्तौड़गढ़
  - उवसं, प्रतापगढ़
  - काआअ, उदयपुर
  - उवसं आयो. एवं प्रबो., उदयपुर
  - वबअ, उदयपुर
  - उवसं (विधि)
- **संभागीय मुवसं, जयपुर**
  - वसं, एम एण्ड ई, जयपुर
  - उवसं (प्रशासन)
  - उवसं, जयपुर
  - उवसं, जयपुर (उत्तर)
  - उवसं, अलवर
  - उवसं, सीकर
  - उवसं, झुंझुनूं
  - उवसं, दौसा
  - काआअ, जयपुर
  - वबअ, जयपुर
  - उवसं आयो. एवं प्रबो., जयपुर
  - उवसं (विधि)

परिशिष्ट-6

संगठनात्मक ढांचा

दिनांक 1-1-2018 की स्थिति अनुसार

मंत्री, राजस्थान

सचिव, वन

संयुक्त शासन सचिव, वन

- **प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक वा.प्र.स. जयपुर**
  - वसं, प्रशिक्षण, जयपुर
  - उवसं, प्रशिक्षण, जयपुर
  - उवसं प्रशिक्षण, अलवर
  - उवसं प्रशिक्षण, जोधपुर

- **अप्रमुवसं (भू.सं.)**
  - प्रावैधिक सहायक
  - **मुवसं, एफपीआर परि., जयपुर**
    - प्रावैधिक सहायक
    - भूसंअ, सोजत
    - भूसंअ, कृषि स.माधोपुर
    - वअअ एवं भूसंअ, भीलवाड़ा
    - उवसं, टोंक
  - **मुवसं आरवीपी, कोटा**
    - प्रावैधिक सहायक
    - उवसं, बेगूं
    - उवसं, बांसवाड़ा
    - उवसं, आबू रोड

- **अप्रमुवसं (एफसीए)**
  - प्रावैधिक सहायक
  - उवसं (एफसीए)
- **अप्रमुवसं (वन सुरक्षा)**
  - प्रावैधिक सहायक
  - मुवसं (वन सुरक्षा)
  - उवसं (वन सुरक्षा)
- **अति.प्रमुवसं (एम एण्ड ई एवं प्रशि.)**
  - प्रावैधिक सहायक
  - **वसं सी ई, जयपुर**
- **वित्तीय सलाहकार**
  - लेखाधिकारी
  - सहा. लेखाधिकारी-3
- **परि. निदे. आरएफबीपी**
  - अ. परि. निदे. विकास
  - अ. परि. निदे. प्रशासन
  - संयुक्त परि. निदेशक
  - उप निदे. प्रशासन
  - उप निदे. विकास
- **अप्रमुवसं, सिल्वीकल्चर, जयपुर**
  - उवसं अनुसंधान, जयपुर
  - अनुसंधान अधिकारी बीज
  - स. उद्यान विज्ञ, जयपुर
  - मृदा अधिकारी, जयपुर
- **अप्रमुवसं (ईजीएस)**
  - उवसं ईजीएस
- **अति.प्रमुवसं (विकास)**
  - **जनसम्पर्क अधिकारी**
  - प्रावैधिक सहायक
  - **मुवसं (आयोजना), जयपुर**
    - उवसं आयोजना, जयपुर
    - उवसं नाबार्ड
    - उवसं स.प्र.प्र.
    - सांख्यिकी अधिकारी
- **अति.प्रमुवसं (कैम्पा)**
  - उवसं कैम्पा

- **संभागीय मुवसं, कोटा**
  - वसं, एम एण्ड ई, कोटा
  - उवसं (प्रशासन)
    - उवसं, कोटा
    - उवसं, बारां
    - उवसं, बूंदी
    - उवसं, झालावाड़
    - काआअ, कोटा
    - वबअ, कोटा
    - उवसं आयो. एवं प्रबो., कोटा
    - उवसं (विधि)
- **संभागीय मुवसं, अजमेर**
  - वसं, एम एण्ड ई, अजमेर
  - उवसं (प्रशासन)
    - उवसं, अजमेर
    - उवसं, भीलवाड़ा
    - उवसं, टोंक
    - उवसं, नागौर
    - काआअ, अजमेर
    - उवसं आयो. एवं प्रबो., अजमेर
    - उवसं (विधि)
- **संभागीय मुवसं, भरतपुर**
  - वसं, एम एण्ड ई, भरतपुर
  - उवसं (प्रशासन)
    - उवसं, करौली
    - उवसं, धौलपुर
    - उवसं, भरतपुर
    - उवसं, सवाई माधोपुर
    - काआअ, भरतपुर
    - उवसं आयो. एवं प्रबो., भरतपुर
    - उवसं (विधि)
- **संभागीय मुवसं, बीकानेर**
  - वसं, एम एण्ड ई, बीकानेर
  - उवसं (प्रशासन)
    - उवसं, बीकानेर
    - उवसं, स्टे-II, खण्ड-I, बीकानेर
    - उवसं, स्टे-II, खण्ड-II, छतरगढ़
    - उवसं, हनुमानगढ़
    - उवसं, श्रीगंगानगर
    - उवसं, चूरू
    - काआअ, बीकानेर
    - वबअ, बीकानेर
    - उवसं आयो. एवं प्रबो., बीकानेर
    - उवसं (विधि)
- **संभागीय मुवसं, जोधपुर**
  - वसं, एम एण्ड ई, जोधपुर
  - उवसं (प्रशासन)
    - उवसं, पाली
    - उवसं, जालोर
    - उवसं, बाड़मेर
    - उवसं, जोधपुर
    - उवसं, सिरोही
    - उवसं, जैसलमेर
    - उवसं, इगानप स्टेज-II जैसलमेर
    - काआअ, जोधपुर
    - वबअ, जोधपुर
    - उवसं आयो. एवं प्रबो., जोधपुर
    - उवसं, लिटिगेशन, जोधपुर
    - उवसं (विधि)

नोट : **का.आ.अ.**-कार्य आयोजना अधिकारी, **व.ब.अ.**-वन बन्दोबस्त अधिकारी, **उवसं आयो एवं प्रबो**-उवसं, आयोजना एवं प्रबोधन, **सवसं उ.द.**-सवसं, उड़न दस्ता, सं.प्र.प्र.-संचार प्रसार एवं प्रशिक्षण, **व.जी.**-वन्य जीव।

परिशिष्ट–7

वर्ष 2014–15 से 2016–17 की वास्तविक प्राप्तियां एवं वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट अनुमान की तुलना में माह दिसम्बर, 2017 तक कुल प्राप्तियों का विवरण

(₹ लाखों में)

राजस्व मद 0406	2014–15 की वास्तविक प्राप्तियां	2015–16 की वास्तविक प्राप्तियां	2016–17 की वास्तविक प्राप्तियां	बजट अनुमान 2017–18	माह दिसम्बर, 2017 तक कुल प्राप्त आय
101–01–इमारती लकड़ी व अन्य उत्पाद की बिक्री से आय	11.06	3.00	179.58	5.00	3.15
101–02–जलाने की लकड़ी और कोयला व्यापार योजना	2991.48	2767.87	1963.82	3500.00	1655.21
101–03–बांस में प्राप्तियां	108.46	517.10	294.40	600.00	222.55
101–04–घास तथा वन की शुद्ध उपज	100.16	146.93	220.58	180.00	217.59
101–06–तेंदूपत्ता व्यापार योजना 01–तेंदूपत्तों के विक्रय से प्राप्तियां	597.73	710.39	2406.46	2500.00	7110.32
101–06–02–अन्य विविध प्राप्तियां	11.81	8.60	21.04	12.00	32.00
800–01–अर्थ दण्ड और राजसात्करण	1197.84	1356.11	1193.60	1300.00	987.57
800–02–शिकार अनुज्ञा शुल्क	0	0	0	0	0
800–03–व्ययगत निक्षेप	0.16	0.20	0.50	0.02	0.60
800–04–ऐसे वनों में प्राप्त राजस्व, जिनका प्रबन्ध सरकार नहीं करती	7.21	5.45	4.57	2.50	1.30
800–05 अन्य विविध प्राप्तियां	985.12	3743.54	1334.52	800.00	892.96
800–06–गैर वन भूमि के वृक्षारोपण के अधिग्रहण की क्षतिपूर्ति से प्राप्तियां	1141.16	1096.71	360.98	350.00	570.61
050–01 अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	5.48	3.64	–	2.00	–

लगातार...

(₹ लाखों में)

राजस्व मद 0406	2014-15 की वास्तविक प्राप्तियां	2015-16 की वास्तविक प्राप्तियां	2016-17 की वास्तविक प्राप्तियां	बजट अनुमान 2017-18	माह दिसम्बर, 2017 तक कुल प्राप्त आय
050-02-अनुपयोगी सामानों की नीलामी से प्राप्तियां	2.73	0.32	0	2.00	0.85
चिड़ियाघर से प्राप्तियां 02-111-01	313.38	640.37	522.04	650.00	434.02
02-800-01-इको डवलपमेंट से आय	295.90	272.59	502.92	550.00	280.00
02-800-02-रणथम्भौर बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	216.44	707.31	749.06	750.00	547.24
02-800-03-सरिस्का बाघ परियोजना में पर्यटन व्यवस्था से प्राप्ति	21.15	38.42	49.01	50.00	28.77
02-800-04-रणथम्भौर बाघ परियोजना में इको डवलपमेंट	627.43	1046.54	1202.36	1100.00	917.07
02-800-05-सरिस्का बाघ परियोजना में इको डवलपमेंट से आय	70.87	100.70	94.82	100.00	72.77
050-01-अनुपयोगी वाहनों के निस्तारण से प्राप्तियां	15.60	13.57	6.31	1.00	9.35
050-02-अनुपयोगी सामानों के निस्तारण से प्राप्तियां	2.08	1.79	3.77	1.00	4.37
महायोग	**8723.25**	**13181.15**	**11100.34**	**12456.02**	**13988.30**

परिशिष्ट-8

20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 की उपलब्धि एवं वर्ष 2017-18 (माह दिसम्बर, 2017 तक) जिलेवार वृक्षारोपण के लक्ष्य एवं उपलब्धि

क्र.सं.	जिला	वृक्षारोपण (हैक्टेयर)					रोपित पौधे एवं बीजारोपण से अंकुरित पौधे (सं. लाखों में)				
		उपलब्धि 2014-15	उपलब्धि 2015-16	उपलब्धि 2016-17	लक्ष्य 2017-18	उपलब्धि 2017-18 (दिस. 17	उपलब्धि 2014-15	उपलब्धि 2015-16	उपलब्धि 2016-17	लक्ष्य 2017-18	उपलब्धि 2017-18 (दिस. 17
1.	अजमेर	1195	1392	700	810	1056	7.680	9.05	3.890	5.27	6.07
2.	अलवर	1580	1833	2124	1620	1460	11.47	18.01	15.900	10.53	14.08
3.	बांसवाड़ा	3514	1231	3064	1385	1262	22.650	10.161	19.713	9.00	7.979
4.	बारां	1724	2100	950	3490	3105	12.650	14.750	7.65	22.59	25.22
5.	बाड़मेर	405	721	3050	410	432	2.075	4.23	18.200	2.67	2.59
6.	भरतपुर	200	700	353	60	60	1.35	4.68	2.200	0.39	0.40
7.	भीलवाड़ा	1865	900	1895	250	250	13.990	5.80	9.00	1.63	1.636
8.	बीकानेर	6035	5640.99	6966	880	798	34.00	30.92	41.763	5.72	4.457
9.	बूंदी	1478	2381	491	1120	1142	8.8	11.30	3.17	7.28	6.993
10.	चित्तौड़गढ़	2424	2200	2299	1950	1955	19.350	14.00	15.42	12.68	13.12
11.	चूरू	372	399	1185	400	414	2.07	2.006	7.17	2.60	2.128
12.	दौसा	1645	1782	311	250	250	10.497	11.04	2.19	1.63	1.44
13.	धौलपुर	1772	2097	1665	1290	1238	15.980	15.48	14.79	8.39	9.140
14.	डूंगरपुर	2945	1413	2036	1070	1181	23.772	11.092	14.358	6.96	7.99

क्र.सं.	जिला	वृक्षारोपण (हैक्टेयर)					रोपित पौधे एवं बीजारोपण से अंकुरित पौधे (सं. लाखों में)				
		उपलब्धि 2014-15	उपलब्धि 2015-16	उपलब्धि 2016-17	लक्ष्य 2017-18	उपलब्धि 2017-18 (दिस. 17	उपलब्धि 2014-15	उपलब्धि 2015-16	उपलब्धि 2016-17	लक्ष्य 2017-18	उपलब्धि 2017-18 (दिस. 17
15.	श्रीगंगानगर	1565	1037	1108	750	905	11.066	7.104	7.555	4.88	6.268
16.	हनुमानगढ़	990	511.34	596	480	494	5.459	3.620	4.00	3.12	3.98
17.	जयपुर	3130	2333	2720	1800	1630	18.588	13.720	18.59	11.70	8.49
18.	जालौर	1159	1051.08	1576	900	1248	7.271	56.90	19.348	5.85	11.91
19.	जैसलमेर	5586	9556	8518	2785	2774	29.19	11.046	52.07	18.10	18.10
20.	झालावाड़	1588	2189.69	977	1320	1295	12.140	11.588	8.86	8.58	7.620
21.	झुंझुनूं	978	977	1338	945	957	5.285	6.57	11.66	6.14	6.35
22.	जोधपुर	889	1602	2516	1300	1644	3.92	7.94	11.11	8.45	8.26
23.	करौली	1398	1942	2168	1580	1591	9.04	12.59	17.07	10.14	9.58
24.	कोटा	2592	2164.74	2454	3880	3648	15.924	11.826	12.559	25.22	23.71
25.	नागौर	1785	1273.11	729	440	498	13.335	8.037	4.645	2.86	3.19
26.	पाली	2479	1803	3807	1300	1510	10.340	9.39	14.12	8.45	9.54
27.	प्रतापगढ़	4446	3069	2100	1700	1538	27.053	21.08	19.930	11.05	10.433
28.	राजसमंद	1057	1684.54	927	550	646	5.720	12.37	6.06	3.58	4.61
29.	सवाई माधोपुर	1100	900	320	250	354	6.800	4.93	2.82	1.63	2.85
30.	सीकर	1591	1367	1829	1100	1172	10.578	10.21	13.52	7.15	4.65
31.	सिरोही	1255	2652	932	1130	1023	8.745	14.389	6.619	7.35	5.00
32.	टोंक	1700	2077	934	1175	1228	11.300	13.06	6.07	7.64	7.98
33.	उदयपुर	7705	7236.14	4177	3650	3875	53.790	51.184	31.548	23.73	29.660
	कुल	**70423**	**70357.64**	**66815**	**42000**	**42633**	**451.962**	**450.075**	**443.568**	**273.00**	**285.394**

TECHNIQUES OF "RAISING TALL PLANTS"

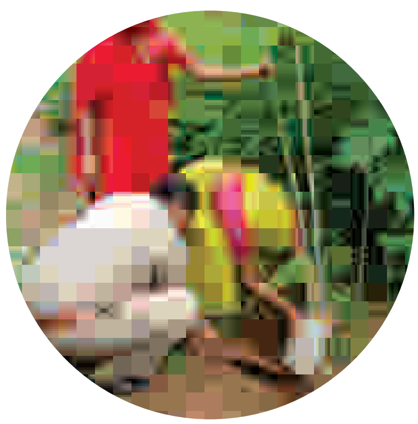

68वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव में माननीया मुख्यमंत्री श्रीमती वसुधंरा राजे सिंधिया द्वारा उद्बोधन।

वन विभाग द्वारा विगत 4 वर्षों की उपलब्धि संबंधित ''वन विकास के बढ़ते कदम'' का विमोचन करते हुए

छाया सौजन्य : मनफूलसिंह विश्नोई

सीतामाता अभयारण्य में वॉटर होल पर चौसिंगा

छाया : मुकेश सैनी

आमझरिया झरना, बस्सी अभयारण्य

Financial Assistance by :

Project for Development of water Catchments Through Greening of Rajasthan Under RIDF XXII (Phase-III)

नाबार्ड

मुख पृष्ठ : सीतामाता अभयारण्य में लव-कुश बरगद ● छाया : मुकेश सैनी

वन विभाग राजस्थान द्वारा प्रकाशित व प्रसारित। ● फरवरी–मार्च, 2018

संकलन एवं सम्पादन : डॉ. राकेश कुमार शर्मा